खण्ड-259, अंक-4
गुरूवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(26 अगस्त, 1965 ई0)

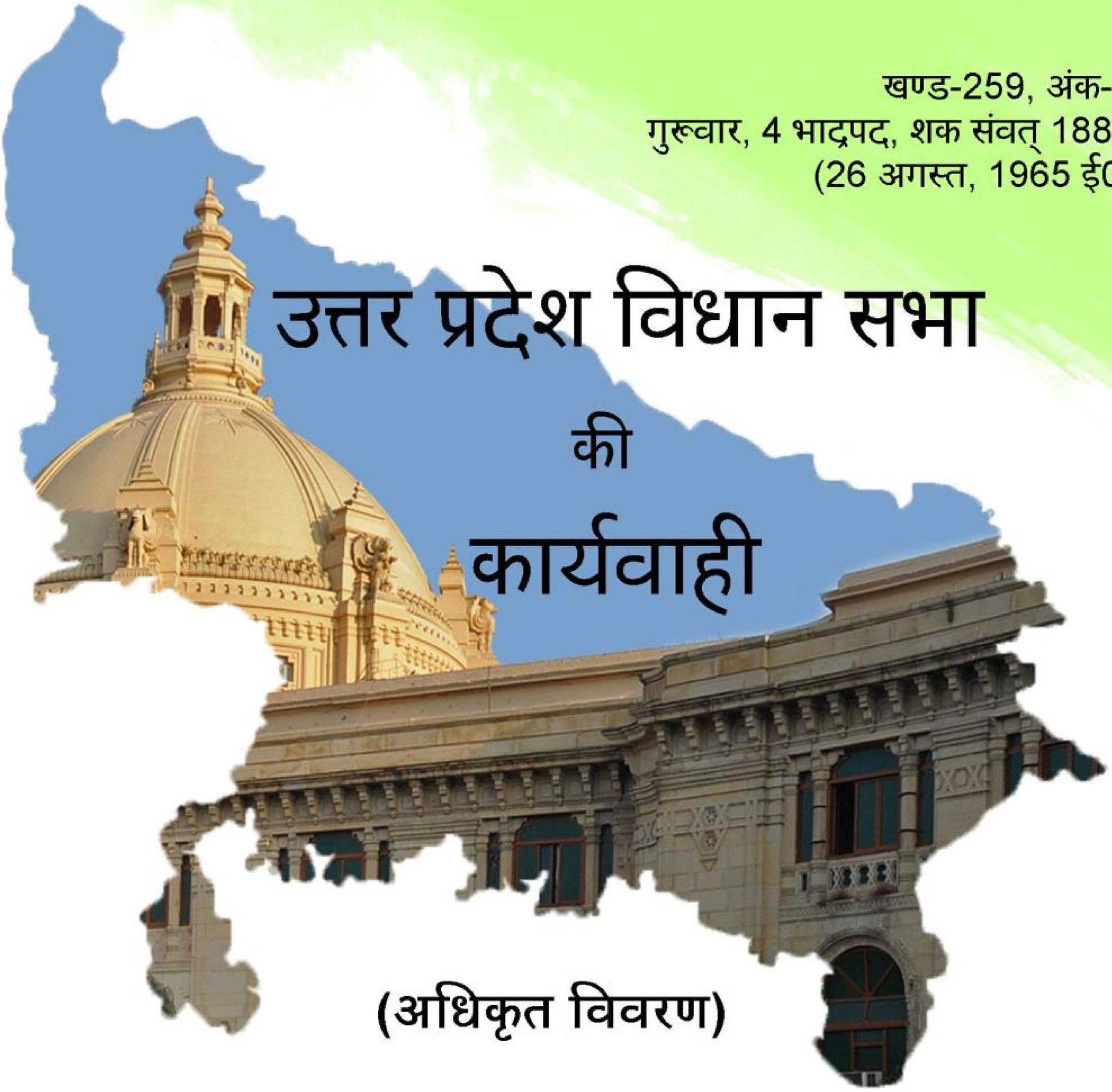

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	२९३–२९७
प्रश्नोत्तर	२९७–३२६
भारतीय सेनाओं को धन्यवाद का प्रस्ताव लाने के लिये सूचना ..	३२६
उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६५ (वापस ली गयी) ..	३२७–३३७
"पायोनियर" में विधान सभा की कार्यवाही गलत छापने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अस्वीकृत) ..	३३७–३३८
विस्थापित सुनारों के लड़कों की फीस माफी की धनराशि को शिक्षा संस्थाओं को न प्रदान किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (स्वीकृत)	३३८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	३३८
कतिपय विषय	३३९
लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज–कौंसिल के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	३३९
विभिन्न सूचनायें	३४०
टंडला कालेज के छात्रों एवं यात्रियों के विषैले पदार्थ से मिलावटी भोजन खाने के फलस्वरूप बीमार पड़ जाने के संबंध में वक्तव्य ..	३४०–३४१
विधान सभा के सदस्य श्री मुहम्मद रफी खां की गिरफ्तारी संबंधी गलत खबर का निराकरण	३४१
कतिपय विषय (क्रमागत)	३४१–३४२
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (खंडशः विचार जारी) ..	३४२–३६३
गोरखपुर के राजकीय उर्वरक कारखाने के सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा ..	३६४–३८७
नत्थियां	३८८–४०३

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली , श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमा शंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पान्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद,श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान , श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त, वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद, पालीवाल, श्री
बनवारीलाल, विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह,श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह, वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नुसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूडी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर, यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह राजा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
बैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द , श्री
शिवजनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसंपत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकतहमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दरशुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद , श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह युसूफ, श्री

सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीलारोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया , श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन-नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

फर्रुखाबाद में औद्योगिक ऋण की वसूलयाबी

*१—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद नगर में अप्रैल, १९५४ से दिसम्बर, १९६२ तक जितने लोगों को जिला औद्योगिक विभाग द्वारा ऋण दिया गया था उसमें से कितने व्यक्तियों ने अब तक एक भी किस्त की अदायगी नहीं की तथा सरकार ने उनसे ऋण की रकम को वसूली के लिये क्या कार्यवाही की ?

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

उनमें से १९ व्यक्तियों ने जुलाई, १९६५ तक एक भी किस्त की अदायगी नहीं की । इन व्यक्तियों से एक मुश्त संपूर्ण धन की वसूली हेतु अंतिम नोटिसें दी जा चुकी हैं तथा कलेक्टर, फर्रुखाबाद को भूमिकर के बकाया की भांति वसूलयाबी करने हेतु लिखा जा चुका है ।

*२—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त व्यक्तियों पर कितना-कितना रुपया बकाया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के रूप में रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८८ पर)

श्री दयाराम शाक्य—

जिस अन्तिम आदेश का जिक्र आपने किया है वह कब दिया गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

तिथि की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य—

महीना बता दें। ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रश्न देने के पश्चात् नोटिस दिया गया हो।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैंने यह अर्ज किया कि मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य—

इन्हीं डिफाल्टर्स के विषय में जब आयुक्त इलाहाबाद दो साल पूर्व फर्रुखाबाद गये थे उनकी जानकारी में यह बात लायी गयी थी और उन्होंने जिलाधीश को आदेश दिया था कि इन व्यक्तियों से एक मुश्त सारे धन की वसूली करा ली जाय और उस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सवाल समझ में नहीं आया, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

एक मुश्त उस सारे रुपये को वसूल कर लिया जाय ऐसा आदेश आयुक्त, इलाहाबाद ने दिया था और उस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, जो किस्त नहीं देते उनके लिये यही आदेश दिया जाता है कि वे एक मुश्त दे दें और जिलाधीश को भी लिखा जाता है कि अगर यह नहीं देते तो लैन्ड रेवेन्यू की तरह से उनसे वसूल कर लिया जाय। वह कार्यवाही कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है कि कितनों से उन्होंने वसूल कर लिया है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

जिन लोगों को औद्योगिक कामों के लिये ऋण दिया गया था और उन्होंने काम नहीं किया तो उनमें किन-किन को ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया दिया गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

यह आदेश कब दिये गये थे शासन की तरफ से जिलाधीश को ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह तो मैं पहले बता चुका हूं कि इनकी सूचना नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

इलाहाबाद मण्डल के अन्तर्गत यह जो ऋण दिया गया था उनका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। पिछले साल एक उद्योग अभियान चलाया गया। उस अभियान के अन्तर्गत बहुत सा पैसा लोगों को दिया गया किन्तु उनमें से अनेक कार्य आरम्भ नहीं हुए हैं। फिर भी सरकार की तरफ से, यानी मुख्य मंत्री या राज्यपाल की तरफ से प्रशंसा के सर्टिफिकेट जारी किये जा रहे हैं, तो यह क्या सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह सूचना मांगी गई थी कि फर्रुखाबाद जिले में सन् १९५४ से ६२ तक जितने लोगों को ऋण दिया गया था उनमें कितने लोगों ने एक भी किस्त अदा नहीं की। यह कुल ऋण तो १ लाख ५७ हजार रुपया बांटा गया था जिसमें ६८ हजार रुपया लगभग वसूल हो चुका है। उनमें केवल १९ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है और किस्त भी नहीं दे रहे हैं। उनमें खिलाफ कार्यवाही की गई है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो रकम वसूली के लिये कार्यवाही की गई है इसमें यह बात केवल फर्रुखाबाद के लिये नहीं है बल्कि सारे प्रदेश में है कि वे लोग पैसा दे नहीं पा रहे हैं, इसलिये वसूल नहीं हो पा रहा है या उनके जो उद्योग लगे हुए हैं उसमें उनको लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या सरकार इस वजह से सारे प्रदेश में जांच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त करेगी जो यह देखे कि वह रुपया क्यों नहीं वसूल हो रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें कमेटी की कौन सी आवश्यकता है ? इसमें हमेशा अधिकारी देखते रहते हैं और जांच करते रहते हैं। मैंने सारे प्रदेश के फिगर नहीं बतलाये। केवल फर्रुखाबाद के बतलायें हैं।

स्याना तथा सैदपुर क्षेत्रों में हरिजनों को सहायता

*३—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर व विधान सभा क्षेत्र, सैदपुर, जिला गाजीपुर में सन् १९६२ ६३, १९६३–६४, १९६४–६५ में हरिजन कल्याण विभाग की ओर से किस-किस किस्म की कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

†सूचना परिशिष्ट 'अ' और 'ब' में क्रमशः संलग्न है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गृह निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये जो रुपया दिया गया था उसमें कितनी भूमि ऐसी है जिस पर निर्माण हो चुका है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो सूचना दी गई है उसमें सबका विवरण पूरा दिया है। माननीय सदस्य उसको कृपया देख लें।

---

†छापी नहीं गई।

श्री कमलासिंह यादव—

सिर्फ भूमि के बारे में दिया है जो खरीदी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी जमीन जो खरीदी गई सरकारी अनुदान से उसमें कितनी भूमि ऐसी है जिस पर निर्माण हो चुका है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी ने आइटम नम्बर २९ में गन्दी नालियों की सफाई के बारे में अनुदान ७६७ रुपया दिया जाना बतलाया है किन्तु वहां पर हरिजन बस्ती में कोई नाली नहीं है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसकी जांच करेंगे कि यह अनुदान किस रूप में खर्च किया गया जब कि वहां पर कोई भी नाली नहीं है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो अवश्य जांच करा ली जायगी। मैं आपकी आज्ञा से यह बतलाना चाहती हूं कि यह १९६२ से लेकर ६५ तक विभिन्न उद्योगों, गृह निर्माण, कूप निर्माण आदि योजनाओं के लिये धनराशि दी गई जिसमें ९९,११७ रुपया ८७ पैसे दिये गये। सब बंट गया। काम भी काफी किया गया है। केवल ७०० रुपया बच गया है। पहले की कोई नाली या कुछ काम बाकी होगा बाकी सब पूरा हो गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

सौ रुपये में उत्तर प्रदेश में कहीं भी कुवां नहीं बन सकता। तो यह सौ रुपया कुएं के लिये किस आधार पर दिया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कुएं के लिये ५०० रुपया दिया जाता है और नल बनाने के लिये सौ रुपया दिया जाता है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि बहुत जगह गृह निर्माण नहीं हुआ है, ऐसा क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह सूचना तो मैं दे चुकी हूं। उनको बनाने का प्रयास हो रहा है। इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें मद ४, ५ और ६ के कार्य अपूर्ण हैं। वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। क्या उसकी जांच करायेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

हमारी सूचना है कि सैदपुर ब्लाक में कार्य पूरा है। अगर अधूरा है तो माननीय सदस्य लिख कर दें, जांच हो जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने कहा कि लिख कर दें तो हमारे पास तो कोई मशीन, दफ्तर आदि है नहीं। हम क्या करें ? यह तो वही कल वाली बीमारी हो गयी।

टीन का कोटा

*४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मार्च, १९६४ से अक्तूबर, १९६४ तक कुल कितना टीन का कोटा उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ और साथ ही साथ नवम्बर, १९६४ से फरवरी, १९६५ तक कितना टीन मिला और दोनों किस्तों में कितने-कितने परमिट जारी किये गये और अलग-अलग उन दोनों किस्तों के माल की कीमत क्या मुकर्रर हुई थी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

केन्द्रीय सरकार से टिन का कोटा छमाही किस्तों में जो अप्रैल से सितम्बर तथा अक्तूबर से मार्च तक होता है, मिलता है। इस तरह से इस प्रदेश को अप्रैल, १९६४ से सितम्बर, १९६४ की अवधि के लिये ३४·६० मैट्रिक टन, टिन का निदेशन प्राप्त हुआ था परन्तु वास्तविक माल जो लघु उद्योग निगम को प्राप्त हुआ वह कुल ३०·४५० मैट्रिक टन रहा। अक्तूबर, १९६४ से मार्च, १९६५ तक की अवधि में ३४.६० मैट्रिक टन का निदेशन मिला परन्तु लघु उद्योग निगम को अभी तक केवल २७.२९४ मैट्रिक टन माल वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ। उपरोक्त छमाही किस्तों में लघु उद्योग निगम द्वारा क्रमशः १५३ तथा ९७ परमिट जारी किये गये। इन किस्तों में माल की कीमत जो अलग-अलग बिक्री केन्द्रों द्वारा निर्धारित की गई थी उसकी सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८९ पर)

मुरादाबाद जिले में उद्योगों के लिये लाइसेंस

*५—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में पिछले दो साल में (पहली जनवरी, १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक) किन-किन उद्योगों के लाइसेन्स सरकार ने किस-किस को दिये और उन उद्योगों के लगाने के लिये कितना-कितना कर्जा दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिये कोई लाइसेन्स नहीं दिया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष १९६३ तथा १९६४ में मुरादाबाद जिले के लिये निम्नलिखित लाइसेन्स प्रदान किया था :

(१) सर्वश्री मुरादाबाद स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लिमि०, मुरादाबाद को १,२०० स्पिन्डिल्स लगाकर काटन वेस्ट यार्न बनाने के लिये दिनांक २५-३-१९६३ को एक लाइसेन्स दिया गया।

(२) सर्वश्री मुरादाबाद स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लिमि०, मुरादाबाद को ६,००० स्पिन्डिल्स लगाकर काटन यार्न बनाने के लिये दिनांक ८—१—१९६४ को एक लाइसेन्स दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा इन लाइसेंसेज को कार्यान्वित करने के लिये कोई कर्जा नहीं दिया गया।

(२६ अगस्त, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

चीनी उत्पादन

*१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ के सीजन में सफेद चीनी के उत्पादन का लक्ष्य क्या था और उसका कितना उत्पादन हुआ ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

वर्ष १९६३–६४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये सफेद चीनी उत्पादन का लक्ष्य १५ लाख मट्रिक टन निश्चित किया गया था, किन्तु ११·०६ लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन हो सका।

*२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष भी कोई उत्पादन लक्ष्य निश्चित किया है? यदि हां, तो यह क्या है और अब तक इसकी प्रगति क्या है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१९६४–६५ में ऐसा कोई चीनी उत्पादन लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया। इस वर्ष चीनी का उत्पादन १२·५० लाख मीट्रिक टन हुआ।

*३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि गन्ने की कमी और गन्ने का त्रुटिपूर्ण बंटवारा के कारण चीनी के उत्पादन में बाधा पड़ रही है? यदि हां, तो उसके सुधार का क्या प्रयास हो रहा है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सही नहीं है कि गन्ने की कमी और गन्ने का त्रुटिपूर्ण बंटवारा के कारण चीनी के उत्पादन में कमी हुई है। वास्तव में वर्ष १९६१–६२ में केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी उत्पादन में १० प्रतिशत कटौती लागू किये जाने के कारण गन्ने का सुरक्षित क्षेत्र जो उपरोक्त वर्ष २४.३० लाख एकड़ था १९६३–६४ में घट कर २०.०६ लाख एकड़ रह गया जिसके फलस्वरूप चीनी उत्पादन में कमी हो गई। वर्ष १९६४–६५ में प्रदेश में गन्ने की वृद्धि एक समान न थी किन्तु गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ने की स्थिति का समय-समय पर पुर्ननिरीक्षण करके मिलों को यथासंभव गन्ना उनकी आवश्यकतानुसार दिये जाने के कारण चीनी का उत्पादन १२.५० लाख मैट्रिक टन हुआ जब कि इसके विरुद्ध १९६३–६४ में ११.०६ लाख मैट्रिक टन चीनी उत्पादित हुई।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जब १० प्रतिशत कटौती लागू की गयी तो यह एकरेज हट करके २४ से २०.६ लाख रह गया जो कि सन् १९६१–६२ का बताया जाता है, उसके बाद सन् १९६२–६३ के सीजन में केन्द्रीय सरकार ने १५ लाख मैट्रिक टन का कोटा उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया। तो कौन सी वजह थी कि १५ लाख मैट्रिक टन का जो हमारा लक्ष्य था वह पूरा न होकर वह ११ लाख रह गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

साधारण रीति है कि जब १९६१–६२ में ज्यादा चीनी हुई, भारत सरकार ने कहा कि १० प्रतिशत कटौती की जाय। वह कम होते-होते साढ़े ८ लाख टन हुआ। जब बढ़ायेंगे तो एक दम से १५ लाख नहीं हो सकता, धीरे-धीरे बढ़ेगा। पहले ११ था, फिर १२ हुआ, ऐसे ही होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

वह कौन से कारण केन्द्रीय सरकार ने आपको बताये कि अपना १५ लाख टन चीनी का जो उत्पादन हुआ था उससे केन्द्रीय सरकार के उस आदेश के मुताबिक आपने कमी कर दी अपने एकरेज में, जिससे फारेन एक्सचेंज जो आज सबसे बड़ी जरूरत है उसमें कमी हो गयी—क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज थी जो बाहर भेज कर हम फारेन एक्सचेंज लेते थे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो पुरानी बात है, कारण बड़े लम्बे हैं। मैं ३–४ बार दोहरा चुका हूं। मैं फिर दोहरा दूंगा, एक घंटे के करीब लगेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आपकी डेवलपमेंट स्कीम चल रही है तो कोई ऐसी योजना आपने बनायी है कि उस डेवलपमेंट के अनुसार आप अब चीनी का उत्पादन बढ़ा सकें और एकरेज बढ़ा सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एकरेज बढ़े या न बढ़े, लेकिन प्रयास है कि प्रति एकड़ उपज बढ़े और उसके लिए विभिन्न प्रकार के हम उपाय कर रहे हैं। अगर कहें तो बतला दूं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ने का एकरेज कम होने के कारण चीनी का जो इतना प्रोडक्शन हुआ, उसको बढ़ाने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो २४ लाख से गिर कर २० लाख हुआ इसलिये इसे कम बताया। पर एकड़ गन्ना भी बढ़ाया गया है।

श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो उत्पादन कम हुआ उसका एक खास कारण यह भी था कि किसान ढाई और ३ रुपये मन मांगता था गन्ने की कीमत, सरकार ने वह नहीं दिया इसलिये गन्ने का उत्पादन कम हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जिस तरह से धान की फसल ज्यादा पैदा करने के लिये जापानी मैथेड इस्तेमाल किया गया, उसी तरह क्या सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये कोयम्बटूर मेथड को जारी किया, यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम (समाज कल्याण मंत्री)—

कोयम्बटूर की वेरायटी हमारे प्रदेश के पूर्वी जिलों में वहां की जलवायु तथा भूमि के लिये उपयुक्त है। ३१२ की वेराइटी पश्चिमी जिलों में बहुत दिनों से प्रचलित है। लास्ट इयर वाटर लागिंग की वजह से पश्चिमी जिलों में खासकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर आदि में यह वेराइटी कामयाब नहीं हुई। वहां इसको डिस्कार्ड करके एक अच्छे किस्म की वेराइटी लाई जा रही है। सन् १९५१–५२ से लेकर १९६४–६५ तक, केवल १९६०–६१ और १९६१–६२ को छोड़कर, जितना गन्ना और सालों में पैदा हुआ वह सबको बाई पास कर गया और इसका एक खास कारण यही था कि हमने अच्छे किस्म की वेराइटी इस प्रदेश को कोयम्बटूर से लाकर वितरित की। शाहजहांपुर में जो रिसर्च इन्सटीट्यूट हैं वहां इस पर अनुसन्धान भी हो रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्पादन न बढ़ने का कारण यह भी था कि जैसी कि सरकार की नीति थी कि गन्ना सहकारी समितियों द्वारा सप्लाई किया जायेगा, वह मिलों ने अपने एजेन्सियों द्वारा खुद लिया और चूंकि वे ज्यादा तौलते हैं, इसलिये उन्होंने उनको नहीं दिया और इसका उत्पादन पर भी असर पड़ा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह ठीक है। उस नीति के हिसाब से प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में काम हो रहा है। आपकी यह दिक्कत जरूर है, उसको हम देख लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

गन्ने के विकास में माननीय मंत्री ने ३१२ वेराइटी का जिक्र किया है इसका उत्पादन और महाराष्ट्र में जो गन्ना, इस वक्त हो रहा है, दोनों के प्रति एकड़ उत्पादन में बहुत फर्क है। तो क्या माननीय मंत्री जी महाराष्ट्र के किसी सेन्टर पर, यहां जो रिसर्च करते हैं, उनको भेजकर वहां की वेराइटी को दिखाने की कृपा करेंगे ताकि जो प्रति एकड़ पैदावार हो रही है उस तरह की उत्तर प्रदेश में भी हो सके ?

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारीगण जाते ही रहते हैं और देखते ही रहते हैं। महाराष्ट्र में प्रति एकड़ चीनी का प्रोडक्शन अधिक है, यह सत्य है। लेकिन वहां गन्ने की मैच्योरिटी १८ महीने में होती है जब कि हमारे सूबे में ८ महीने में होती है। वर्ष में वेराइटीज के अनुसार जब हम प्रोडक्शन लेते हैं उनके मुकाबिले में अनुपात तो कम पड़ता है लेकिन इस बात को भी दृष्टि में रखना पड़ेगा कि उनकी क्राप की मैच्योरिटी १८ महीने की है वहां २३–२४ दफे पानी देते हैं, फर्टीलाइजर देते हैं। जब कास्ट आव् प्रोडक्शन जोड़ते हैं तो महाराष्ट्र का कम पड़ता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि बताया गया कि गन्ने की पर एकड़ पैदावार बढ़ी। तो क्या गन्ने में चीनी का प्रतिशत भी बढ़ा, अगर वह बढ़ा है, तो किस अनुपात से और कितना ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

चीनी का अलग-अलग साल में अलग-अलग रहा है। इस साल कुछ थोड़ा–सा घटा है। इसमें अलग-अलग बातें हैं। अगर आप जिलेवार चाहेंगे तो मैं सूचना दे दूंगा।

*४—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

[हटा दिया गया।]

बदायूं जिले के पुलिस कर्मचारी

*५—श्री उल्फतसिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के ८वें गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर से सम्बन्धित क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कि एस० आई० बाबूराम का रामपाल सिंह तथा का० शिवसिंह के खिलाफ भा० दं० वि० की धारा ३२३/२९४ के अधीन मुकदमा चल रहा है और वह गवाहों के साथ सख्ती कर रहे हैं ऐसी दशा में उक्त पुलिस कर्मचारियों का उस थाने से अब तक न हटाने का क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

सब-इंसपेक्टर श्री बाबूराम, कान्स्टेबिल रामपाल सिंह व कांसटेबिल शिवसिंह के विरुद्ध श्री परमी द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा ३२३/३९४ के अन्तर्गत दायर किया गया अभियोग उसकी स्वयं की प्रार्थना पर मार्च, ३१, १९६५ को ए० डी० एम० (जे) द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा परमी या किसी गवाह पर कोई भी दबाव नहीं डाला गया। इन परिस्थितियों में किसी पुलिस कर्मचारी के तबादले का प्रश्न नहीं उठता।

सब-इंसपेक्टर बाबूराम का तबादला दिनांक अप्रैल १८, १९६५ को थाना जरीफनगर से हो गया है।

कानपुर में हैड आफ लेदर वर्किंग पद के लिये श्री शिवलाल का चुनाव

*६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित लेदर इंस्टीट्यूट, कानपुर के लिये हैड आफ लेदर वर्किंग पद का चुनाव जनवरी, सन् १९६३ में यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बुलाया उनमें से श्री शिवलाल को निर्धारित योग्यता का होने के कारण चुना तथा सन् १९६४ के प्रथम सत्र के दूसरे गुरुवार के प्रश्न संख्या २ के उत्तर में कहा गया कि श्री शिवलाल की नियुक्ति के आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो नियुक्ति अब तक क्यों नहीं हुई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेदर इंस्टीट्यूट, कानपुर के लिये हैड आफ लेदर वर्किंग पद के लिये जो निर्धारित योग्यतायें पद के विज्ञापन में रक्खी थी उनको देखते हुये श्री शिवलाल योग्य नहीं हैं। इसी विषय पर कमीशन से पत्र व्यवहार चल रहा है कि अयोग्य व्यक्ति का उक्त पद पर नियुक्ति करना उचित नहीं है और योग्य व्यक्ति का चुनाव फिर से किया जाय। इसी कारण मामले पर पुनः विचार करने पर श्री शिवलाल की नियुक्ति के आदेश कार्यान्वित नहीं कराये गये।

*७—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त आदेश के पालन में लापरवाही व अवहेलना करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर कुरील—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में विभागीय कोई अफसर भी था। यदि हां, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या दी इस मामले में ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सूचना मेरे पास नहीं है कि आयोग में विभागीय अफसर बैठे थे। इसलिये क्या कहा था, यह, तथा न आयोग के केसेज में मेरे समक्ष हैं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या आदरणीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करते हुये कि यह आदमी टैक्निकल है और बहुत पुराना है, अनुसूचित जाति का है, इन विशेष परिस्थितियों में विचार करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह योग्यता का प्रश्न है। इंस्टीट्यूट का स्टैन्डर्ड बढ़ गया है। इसलिये आवश्यक है कि योग्य आदमी रक्खा जाय।

श्री मुरलीधर कुरील—

श्रीमन्, जहां तक योग्यता की बात है तो कमीशन में कहा गया था कि निर्धारित योग्यता सिर्फ शिवलाल में है और लोगों में नहीं थी और इसी आधार पर उनको नियुक्ति के आदेश दिये गये।

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान) यह लाबी साथ में है। बात करने का काम लाबी में लेना चाहिये।

श्री मुरलीधर कुरील—

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो पत्र व्यवहार हुआ उसमें कब यह पत्र लिखा कि यह योग्य नहीं और उसमें क्या रिपोर्ट हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह बात सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिर्फ शिवलाल को ही योग्य पाया जो अप्लीकेन्ट्स थे उनमें और यही विचार था कि शिवलाल को नियुक्त किया जाय।

मुख्य मंत्री जी ने उनसे सहमत हो कर यह आदेश जारी किये कि शिवलाल को नियुक्त कर दिया जाय, लेकिन डाइरेक्टर आफ टेक्निकल एजूकेशन ने मुख्य मंत्री जी के समक्ष यह रखा कि इसमें डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर कोई नहीं है और यह इंस्टीट्यूट अपग्रेड हो गया है इसलिये यह आवश्यक है कि डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर कोई होना चाहिये जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐडवर्टाइजमेंट में भी कहा गया था लेकिन अप्लीकेशन्स उनकी नहीं आयीं, तो अब दो साल हो गये हैं सेलेक्शन को हुये, अब ऐसे योग्य आदमी मिल सकते हैं, इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन से दोबारा प्रार्थना की जाय कि वह इसको फिर एडवर्टाइज करा दें ताकि योग्य आदमी मिल सकें तो उसकी नियुक्ति कर दी जाय।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यह हेड आफ लेदर वर्किंग का पद टेक्निकल है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जितनी एप्लीकेन्टस् उस इंटरव्यू में आये थे उस में सब से ज्यादा टेक्निकली क्वालीफाइड श्री शिवलाल थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले अर्ज किया था कि जो उनके सामने आये उनमें आयोग ने शिवलाल को ही सबसे योग्य समझा था।

जिला परिषद् जूनियर हाई स्कूलों में हरिजनों को छात्रवृत्ति

*८—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस प्रकार प्रदेश के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों में हरिजन व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधायें दी जाती हैं उसी प्रकार जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले उपरोक्त प्रकार के विद्यार्थियों को नहीं दी जाती ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार समान सुविधा देगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सुविधायें तो दोनों प्रकार के स्कूलों में समान ही दी जाती हैं। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों में यह सुविधायें जिला हरिजन सहायक समिति की उप-शिक्षा समिति द्वारा

स्वीकृत की जाती हैं और जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों की छात्रवृत्तियां परिषद् द्वारा स्वीकृत होती हैं ।

परिषद् के स्कूलों में वितरण सुलभ बनाने का प्रश्न हरिजन मूल्यांकन समिति के विचाराधीन है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार इस सदन में उठा है । जिला परिषद् के स्कूलों में जो कक्षा ६, ७, ८ के हरिजन और पिछड़ी हुई जाति के विद्यार्थी होते हैं उनको छात्रवृत्ति उसी प्रकार से नहीं मिल पाती जैसा कि सरकारी हाई स्कूलों में पढने वाले ६, ७ और ८ के विद्यार्थियों को या गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के इन विद्यार्थियों को मिलती है । उनको वहां ६ रुपये से ८ रुपये अब तक छात्रवृत्ति दी जाती है । लेकिन जिला परिषद् के लोग उसको नहीं बांटते । उनके पास धन भी कम जाता है और न वे उस तरीके से फार्म ही विद्यार्थियों से इन्वाइट करते हैं जिससे कि बहुत से विद्यार्थी रह जाते हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आदेश इस सत्र के लिये अविलम्ब प्रसारित करेंगे कि उनके फार्म भी भराये जायं जो जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों का कक्षा ६, ७ और ८ में पढ़ते हैं और उनको भी डिस्बर्समेंट जिले की उप-समिति द्वारा हो जिससे कि उनको समान सुविधायें प्राप्त हो सकें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रश्न के उत्तर में इस बात को बताया गया है कि जो जिला परिषद् में वितरण होता है छात्रवृत्ति वह जिला परिषद् करती हैं । उसमें एकरूपता लाने के लिये या कोई व्यवहारिक सुधार लाने के लिये मूल्यांकन समिति के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है । जो माननीय सदस्य इस सत्र के बारे में कह रहे हैं तो उसके लिये वह स्वतः अपने जिला परिषद् के अध्यक्ष से तथा वहां की शिक्षा उप समिति से निवेदन कर लें, तो हो जायगा, अगर वह चाहेंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जिला परिषद् वाले जब उसको नहीं बांट पाते, तो आप कृपा करके इस वर्ष वह अनुदान जिला परिषद् को न दे-कर अपने पास ही रखें और उस उप-शिक्षा समिति द्वारा या जो हरिजन कल्याण समिति बनी हुई है उसी के द्वारा उस रुपये को बंटवा दें ? चार-पांच साल से यह प्रश्न चल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरी चीज है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यही कहना चाहता हूं कि आप असंतोष फैला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि उन्होंने यह कहा कि जिला परिषद् द्वारा यह होता है और वह स्वायत्त शासन सत्ता है तो अब आप चाहते हैं कि यहां से वह हो, क्या मतलब है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा मतलब है कि जैसे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों तथा सरकारी स्कूलों में कक्षा ६, ७ और ८ के विद्यार्थियों के फार्म भराकर और उनका मूल्यांकन करके शिक्षा उप-समिति रुपया देती है उसी प्रकार से इस वर्ष से जिला परिषदों में भी यही इन्तजाम कर दें जिससे कि असंतोष न फैले ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जिला परिषदों और स्थानीय निकायों को हरिजन विभाग से छात्रवृत्ति की रकम एक मुश्त दे दी जाती है और उनको यह अधिकार दे दिया गया है कि वह स्वतः बांटें। जहां तक जिला स्तर की हरिजन सहायक समिति का सम्बन्ध है, उन्हें हमारे विभाग से डाइरेक्ट एकमुश्त रकम दी जाती है छात्रवृत्ति के लिये। उन्हें नीतियां बता दी जाती हैं कि ऐसे बांटो।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि निकट भविष्य में ही हरिजन कल्याण विभाग का एक आदेश गया है जिसमें यह उद्धृत किया गया है कि जिला परिषद् के द्वारा, उसकी शिक्षा उप-समिति के द्वारा, वह धन बंटवाया जाय जो हरिजन कल्याण विभाग से हरिजनों के लिये छात्रवृत्ति के लिये दिया जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

मेरा ख्याल है कि ऐसा आदेश गया है।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी उन जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों से सीधी अर्जी का फार्म मंगवा कर उन्हें छात्रवृत्ति देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--

सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वह विचार कर रही है कि कठिनाइयों को शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या वर्तमान सत्र के लिये सीधे जिला परिषद् को अनुदान न भेजकर उसे हरिजन कल्याण उप समिति को देंगे ताकि वह बांट सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय सदस्य जिला परिषद् के सदस्य हैं। क्या उन्होंने कभी इस प्रकार का प्रस्ताव वहां रखा ?

श्री अध्यक्ष--

ऐसा जवाब देने के बजाय आप यह कह सकती हैं कि जिला परिषद् में मूव करें। अर्थ वही होते ?

फतेहगंज ब्लाक में हरिजन कूप

*९--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली के अन्तर्गत फतेहगंज पश्चिम ब्लाक में वर्ष १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ में हरिजनों को पेय जल की व्यवस्था करने के लिये कितने कुयें बनवाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना सूची 'क' में संलग्न है।
प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९० पर)

*१०—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पेय जल की (हरिजन) व्यवस्था के लिये सरकार ने उक्त ब्लाक को उपरोक्त वर्षों में कितना अनुदान दिया है और १०० से ऊपर हरिजन आबादी वाले गांवों में भी उसका कोई उपयोग किया गया अथवा नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सूचना सूची 'ख' में संलग्न है। जी हां। दो गांवों में उपयोग किया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९० पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

ये दो कुएं किन गांवों में हैं और कितना रुपया इस में खर्च करने की व्यवस्था की गई है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

बकरऊ और मठौली में अनुदान दिया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उन दोनों कुवों पर कितना रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई है और वे पूर्ण क्यों नहीं हुये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अनुदान के साथ उनको स्वतः भी कुछ रुपया लगाना होता है। या तो वे उसमें असमर्थ होते हैं या सीमेंट वगैरह मिलने में देर होती है। १९६२-६३ में १,६०० रुपया दिया गया जब कि १६ नल लग चुके हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १९६३-६४ में आपने १,५०० रुपये की धनराशि दी है पेय जल की व्यवस्था के लिये और कुओं के बारे में लिखा है, ज.रो। इस 'ज.रो' लिखने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कुओं के बनाने में विलम्ब होता है और दूसरे जल भी नहीं पहुंचने पाता है। इसलिये १५ नल लगा कर पानी की कठिनाई को दूर किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

सूची 'क' में ६३-६४ में जिन पर कार्य चल रहा है, वहां दिखाया गया है—ज.रो। लेकिन शायद यह बन चुके होंगे।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी नहीं। यह अनुदान केवल इस नल लगाने के लिये दिया गया था, कुओं के लिये नहीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस गांव में १०० से ज्यादा हरिजनों की आबादी होती है उसकी आवश्यकता तो नल पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उनको अपने घरों के लिये पानी चाहिये और मवेशियों के लिये भी चाहिये। इसलिये क्या सरकार अधिक से अधिक कुओं के लिये अनुदान देगी ?

श्री अध्यक्ष--

उनकी शिकायत ठीक है कि कुएं नहीं बनाये गये ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

माननीय मंत्री जी ने १०० घरों की एक लाइन खींच दी है और उनका पूरा रुपया खर्च नहीं हो पाता तो क्या माननीय मंत्री जी हरिजनों के तमाम गांवों के लिये पानी देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, १०० से ऊपर की आबादी और १०० से नीचे की आबादी वाले दोनों प्रकार के गांवों के लिये योजना इस सूची में दी गयी है ।

ललिया थाने के अमला की मुअत्तली

*११--श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार को कोई सूचना है कि ललिया थाना, जिला गोंडा के थानेदार एवं एक काजी सिपाही एक महिला का शील भंग करने के आरोप में मुअत्तल किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कुछ सिपाहियों ने उसका विरोध किया था इससे उन्हें भी इस केस में फांस दिया गया है ? क्या गुप्त रूप में सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंड देने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, थाना ललिया के एक सब इंस्पेक्टर और काजी सिपाही एक महिला का शील भंग करने के आरोप में मुअत्तल किये गये हैं, कुछ अन्य कर्मचारी भी मुअत्तल किये गये हैं । मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है । अतः इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है । जांच समाप्त होने पर दोषी पाये जाने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री शुकदेवप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायगे कि एफ० आई० आर० में किन-किन के नाम थे और कितने लोगों को मुअत्तल किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसमें एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी, ११ आदमी मुअत्तल किये गये हैं ।

श्री शुकदेवप्रसाद--

उनकी शिकायत यह है कि दूसरी जाति का होने के कारण उनको फांस दिया गया है और मुअत्तल किया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर सही तरीके से जांच करा के केवल दोषी को ही दंड देंगे और जल्द से जल्द निर्णय कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

अभी जांच जारी है और सी० आई० डी० के सुपुर्द मामला कर दिया गया है वह जल्द रिपोर्ट देंगे । सी० आई० डी० के जांच के बाद अगर दोषी होंगे तो सजा मिलेगी ।

श्री शुकदेवप्रसाद--

क्या मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि दोषी को ही नहीं बल्कि उनको भी मुअत्तल किया गया है जिनकी शिकायत थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

शिकायत तो अब्दुल समद, थानाध्यक्ष ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पीछे यह सब हुआ लेकिन चूंकि अब्दुल समद का भी नाजायज ताल्लुक उस औरत से था हालांकि उस वक्त उनका कसूर नहीं था लेकिन उनको भी हटा दिया गया है और उनको सब-इंसपेक्टर बना दिया गया है। अभी सी० आई० डी० जांच कर रही है, जो दोषी होगा उसको सजा दी जायगी।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दस निकाले गये वह सब दोषी थे या सबको ही निकाला या मुअत्तल किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी तो दोषी उनको करार देना है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मंत्री जी ने कहा कि एफ० आई० आर० नहीं लिखी गई और कार्यवाही भी चालू हो गई तो जिस सूचना के आधार पर यह सब कार्यवाही हो रही है क्या उसी को आधार मानकर केस चलेगा या एफ० आई० आर० न होने पर वह वहीं खत्म हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कानूनी बहस है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह किस आधार पर कह रहे हैं कि एफ० आई० आर० नहीं हुई और कार्यवाही मुकम्मल क्यों नहीं हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने अर्ज किया कि अब्दुल समद थानाध्यक्ष जब छुट्टी से आये तो उन्होंने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को रिपोर्ट दी कि ऐसा वाकया हुआ है, उस औरत की तरफ से यह उसके घर वालों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। उसी पर विभागीय कार्यवाही हो रही है।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

अभी मंत्री जी ने कहा कि कोई एफ० आई० आर० नहीं थी और उस महिला या उसके घर वालों की तरफ से भी शिकायत नहीं थी और बताया कि अब्दुल समद ने शिकायत की थी तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो शिकायत की थी वह एक आदमी के विरुद्ध है या उन दसों के विरुद्ध है ? यदि नहीं, तो जिनके खिलाफ बाद में शिकायत मिली है उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अब्दुल समद ने जो शिकायत की थी वह यह थी कि श्रीमती कौशल्या देवी, थाना ललिया. . . .

श्री राजनारायण मिश्र—

यह मैंने नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो केवल यह जानना चाहते हैं . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह परम्परा रही है कि इस तरह से महिला का नाम प्रोसीडिंग में नहीं आता है, वह निकलवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि जिनको सस्पेंड किया गया है वह कैसे किया गया है, नाम उनके हैं या नहीं .... आप फिर से अपना प्रश्न करें ।

श्री राजनारायण मिश्र—

मंत्री जी ने कहा कि एफ० आई० आर० कोई लाज नहीं हुई, इंक्वायरी के दो तरीके होते हैं-या तो एफ० आई० आर० हो या कोई कम्पलेंट हो, यहां कुछ नहीं है केवल थानाध्यक्ष अब्दुल समद ने एक रिपोर्ट अपने छोटे अधिकारी को दी है जिसमें उनका नाम भी दिया है जिसके विरुद्ध शिकायत चल रही है, और जो अन्य निकाले गये हैं उनके नाम इंक्वायरी स्टेज पर आये तब निकाले गये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

निकाले तो नहीं गए हैं, मुअत्तल किए गए हैं। इन्क्वायरी के सिलसिले में जो दोषी पाए गए हैं, वे भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। जांच जारी है ।

श्री दयाराम शाक्य—

माननीय मन्त्री जी ने एफ० आई० आर० का मतलब बताया है कि जब एग्रीव्ड पार्टी ने रिपोर्ट नहीं की है तो यह आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही हो। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि एग्री ड पार्टी ही रिपोर्ट करे। तो जो शिकायत हुई है उसको एफ० आई० आर० मानकर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

डिपार्टमेंटल ऐक्शन हो रहा है। पुलिस का कोई केस नहीं है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन, इधर से प्रश्न यह था कि कुछ लोगों ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत की गयी कि फलां-फलां व्यक्तियों ने अभद्र व्यवहार किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब यह स्पष्ट हो गया कि किस सिपाही ने अभद्र व्यवहार किया तो फिर चा ; सी० आई० डी० जांच करे या मिनिस्टर साहब खुद जांच करें, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने यह कभी नहीं कहा कि श्री अब्दुल समद जब छुट्टी से लौट कर आए तो उन्होंने कबूल किया कि फलां-फलां आदमियों ने इससे गलत व्यवहार किया। मैंने केवल यह कहा कि उन्ह ने पुलिस सुपरिंटेंडेन्ट को रिपोर्ट दी कि ऐसा वा ्या हुआ है। उस औरत की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। इसकी जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द है और वे जांच कर रहे हैं।

थाना नवाबाद के कर्मचारियों की मुअत्तली

*१२—श्री लखपत ्म शर्मा (जिला झांसी)—

क्या गृह मन्त्री कृ ्ा यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सन १९६३ व १९६४ में जिलाधीश, झांसी को गुप्त रिपोर्ट के आधार पर सी० आई० डी० के एक अधिकारी द्वारा नवा ाद थाना, झांसी के एस० ओ० इत्यादि के विरुद्ध रिश्वत लेने इत्यादि-इत्यादि के गम्भीर आरोपों की जांच

की गई व एस० ओ० नवाबाद श्री चन्द्रपाल सिंह व एक सब-इन्सपेक्टर एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया व डी० आई० जी० द्वारा उन्हें नौकरी से पृथक कर दिया गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। थाना नवाबाद जिला झांसी के एस० ओ० इत्यादि के विरुद्ध रिश्वत लेने इत्यादि के आरोपों की जांच डी० आई० जी०, कानपुर रेंज के आदेशानुसार सी० आई० डी० के एक अधिकारी द्वारा हुई और एस० ओ०, नवाबाद, एक सब-इन्सपेक्टर तथा चार कांस्टेबलों को मुअत्तल किया गया। डी० आई० जी०, कानपुर रेंज के आदेशानुसार उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।

*१३—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि आई० जी० पुलिस द्वारा उक्त एस० ओ० इत्यादि को उन्हें नौकरी में पुनः लिए जाने के आदेश दिए गए ? यदि हां, तो उक्त सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग किस-किस प्रकार के थे व जांच कर्ता कौन-कौन अधिकारी थे और निकाल दिए जाने व पुनः कार्य पर लिए जाने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अपील पर आई० जी० पुलिस के आदेशानुसार केवल एस० ओ० चन्द्रपाल सिंह नौकरी में पुनः बहाल कर दिए गए। अन्य कर्मचारियों की अपीलें रद्द कर दी गयीं। इन कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग कथित अपराधियों से रिश्वत लेने, उन्हें मारने-पीटने तथा थाने में नाजायज तौर पर रोकने के थे। इनके विरुद्ध श्री टीकाराम, डी० एस० पी०, एन्टीकरप्शन, सी० आई० डी०, कानपुर ने जांच की। इन कर्मचारियों के निकाले जाने का कारण इनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का सही पाया जाना था। श्री चन्द्रपाल सिंह के पुनः सेवा में लिए जाने का कारण उनके विरुद्ध की गई वैभागिक कार्यवाही में "कारण बताओ" नोटिस में नियम की त्रुटि होना था। आई० जी० पुलिस ने डी० आई० जी० को आदेश दिया है कि वे श्री चन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध सही कार्यवाही फिर से करें।

श्री लखपतराम शर्मा—

प्रश्न १३ के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग कथित अपराधियों से रिश्वत लेने, उन्हें मारने पीटने तथा थाने में नाजायज तौर पर रोकने के थे। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस प्रकार के आरोपों की कोई शिकायत आयी है कि कुछ लोगों के गले में सरकारी पिस्तौल डाल दी गयी और उसके बाद उनको धौंस देकर उनसे भी रिश्वत ली गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० ओ० के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए वे कोई लिखित आरोप नहीं थे बल्कि एम० एल० ए० के जुबानी कहने पर थे, इसलिए आई० जी० ने उसे बहाल कर दिया।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने यह नहीं कहा। मैंने केवल यह कहा कि उनके विरुद्ध की गई वैभागिक कार्यवाही में "शो काज" नोटिस में नियम की त्रुटि होना था। आई० जी० पुलिस ने डी० आई० जी० को आदेश दिया है कि वे श्री चन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध सही कार्यवाही फिर से करें और उनको चार्जशीट दे दी जाय।

नोट—तारांकित प्रश्न १३ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

भदोही थाने में श्री रामदुलार के गोली लगने की रिपोर्ट

*१४—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३ फरवरी, १९६५ को ७ बजे गांव धनापुर, थाना भदोही, जिला वाराणसी में रामदुलार उर्फ नेउर को कुछ व्यक्तियों ने गोली मार दी जिसकी वजह से शिव प्रसाद गुप्त की अस्पताल वाराणसी में ३ तारीख को ५ बजे रात मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस आशय की रिपोर्ट मृतक के पिता द्वारा ३-२-६५ को ९.३० बजे रात्रि में थाना भदोही में दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर एक मुकदमा कायम कर विवेचना प्रारम्भ की गई। अभियुक्त फरार हो गए थे। दो नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८७/८८ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप वे अदालत में हाजिर हो गए। उनके विरुद्ध धारा १४८, ३०२ भा० दं० विधान के अन्तर्गत अभियोग-पत्र न्यायालय को भेज दिया गया है और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

*१५—श्री ऊदल—

क्या सरकार को यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि भदोही थाने में जब घायल को लेकर उसके पिता १० बजे रात पहुंचे तो थानेदार उठे नहीं और हेड मुहर्रिर सिर्फ रामदुलार के अंगूठे का निशान लेकर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और ५ फरवरी को दूसरे रामदुलार से जो उसी गांव के हैं, चौरी बाजार में बुला कर थानेदार ने रिपोर्ट लिखवायी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिले से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस आशय की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

*१६—श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी को पता है कि रामदास उर्फ पब्बर व शिवआधार तिवारी, एस० एस० पी०, वाराणसी से ४ फरवरी को मिले थे और सारी घटना को बता दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही है कि सर्वश्री रामदास उर्फ पब्बर तथा शिवआधार तिवारी ४ फरवरी, ६५ को इस घटना के सम्बन्ध में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले थे और आत्म रक्षा के लिए कहा था। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार श्री रामदास उर्फ पब्बर तथा उनके परिवार की सुरक्षा के लिए २ सिपाही धनापुर गांव में नियुक्त कर दिए गए और आसपास में आर्म्ड गार्ड द्वारा गस्त की भी व्यवस्था कर दी गई।

खिलाड़ियों को सहायता

*१७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितने खिलाड़ियों को और किस-किस प्रकार की सहायता १९६३-६४, १९६४-६५ में दी गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। १९६३–६४ में प्रदेश के १५ अच्छे खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् द्वारा १,५५० रुपये की सहायता अनुदान एवं छात्रवृत्ति के रूप में दी गई। इसी प्रकार १९६४–६५ में १ सज्जन को ३५० रुपये का अनुदान दिया गया। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविरों एवं केन्द्रों का निःशुल्क आयोजन किया गया जिसका पूरा व्यय उक्त परिषद् द्वारा वहन किया गया था। अच्छे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए प्रादेशिक खेलकूद संस्थाओं के माध्यम से अनुदान दिए गए।

*१८–१९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[स्थानान्तरित किए गए।]

[राज्य औद्योगिक निगम

*२०—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य औद्योगिक निगम की स्थापना कब हुई थी? उसके चेयरमैन तथा सदस्य इस समय कौन-कौन हैं और इनके कार्य-काल कितने वर्ष निर्धारित हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम की स्थापना कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत २९ मार्च, १९६१ को हुई थी। निगम के वर्तमान चेयरमैन तथा सदस्य निम्नलिखित हैं:

(१) श्री बी० बी० लाल, आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, विद्युत् एवं सिंचाई विभाग	चेयरमैन
(२) श्री पद्मपति सिंहानिया, जे० के० ग्रुप मिल्स, कानपुर ..	डाइरेक्टर
(३) श्री बी० पी० बजोरिया, प्रबन्धक निदेशक, बी० आई० सी० ग्रुप, कानपुर	,,
(४) श्री एस० एस० कनोरिया, कनोरिया केमिकल्स ऐंड इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता	,,
(५) श्री वी० एम० भिडे, आयुक्त एवं वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	,,
(६) श्री हरिश चन्द्र सक्सेना, उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	,,
(७) श्री पी० एन० कपूर, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	,,
(८) श्री आर० चन्द्रा, सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	,,
(९) श्री ए० बी० मलिक, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश ..	,,
(१०) श्री के० एन० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, भारत सरकार	,,
(११) श्री पी० एन० अग्रवाल, संयुक्त उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश	मैनेजिंग डाइरेक्टर।

चेयरमैन तथा मैनेजिंग डाइरेक्टर के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अन्य निदेशकों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है जिनकी अवधि निगम के वार्षिक सामान्य मीटिंग पर समाप्त हो जाती है तथा वे अवकाश प्राप्त हो जाते हैं। अवकाश प्राप्त निदेशक पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं।

*२१—श्री कृष्णानन्दराय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य औद्योगिक निगम की स्थापना से आज तक कितनी पूंजी और किस स्रोत से प्राप्त हो चुकी है और कितने ऋण का बंटवारा उसने आज तक किया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

निगम को उत्तर प्रदेश सरकार से अब तक एक करोड़ रुपए की अंश पूंजी प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त निगम को राज्य सरकार से औद्योगिक क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक १८२ लाख रुपए का ऋण भी प्राप्त हो चुका है। निगम ने अभी तक किसी को कोई ऋण नहीं दिया है।

कोतवाली मैनपुरी में श्री जगन्नाथप्रसाद काछी द्वारा रिपोर्ट

*२२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले के थाना कोतवाली के इलाके से ग्राम अजीतगंज के निवासी श्री जगन्नाथ प्रसाद काछी ने दिनांक २० अक्तूबर, १९६४ ई० को एक नामजद रिपोर्ट कोतवाली, मैनपुरी में राम स्वरूप, पुत्र बुद्ध सैन, ग्राम अजीतगंज के विरुद्ध की थी कि इन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, इस आशय की रिपोर्ट कोतवाली, मैनपुरी में श्री जगन्नाथ प्रसाद द्वारा २०-१०-६४ को अंकित कराई थी।

*२३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जगन्नाथ के शरीर से अस्पताल मैनपुरी में छर्रे निकाले गये थे और कई गवाहों ने पुलिस के समक्ष चश्मदीद बयान भी दिए थे उसके बाद रामस्वरूप को गिरफ्तार किया गया था और कुछ दिन जेल में रखकर बिला मुकदमा चलाए बाद में छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो इस मामले में अब कोई कार्यवाही हो रही है, या नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री जगन्नाथ के शरीर से छर्रे तो नहीं निकाले गए। उनके शरीर पर आग्नेय अस्त्र की चोटें अवश्य पाई गयीं। श्री जगन्नाथ की रिपोर्ट पर धारा ३०७ भा० दं० विधान के अन्तर्गत एक अपराध दर्ज किया गया। तीन गवाहों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित बातों के बारे में चश्मदीद शहादत दी। रामस्वरूप गिरफ्तार नहीं हो सका था, वह स्वयं न्यायालय में हाजिर हुआ था। जांच से मामला सही नहीं पाया गया। अतः उसमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है। अग्रिम कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला फतेहपुर में बन्दूक के लाइसेंस

*२४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर के तीनों परगनाधीशों द्वारा मई, १९६४ से अप्रैल, १९६५ तक तहसीलवार किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना धन राष्ट्रीय बचत योजना में जमा करने पर किस प्रकार की बन्दूकों के लाइसेन्स दिए गए?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह असत्य है कि जिला फतेहपुर में परगनाधीशों ने बन्दूक के लाइसेन्स राष्ट्रीय बचत योजना में धन लगाने के आधार पर स्वीकार किए हैं। बन्दूकों के लाइसेन्स आर्म्स ऐक्ट तथा रूल्स के प्राविधानों के अनुसार ही स्वीकार किए जाते हैं।

पेन्सलीन का कारखाना

*२५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सतापुर)—

क्या सरकार प्रदेश में कोई पेन्सलीन का कारखाना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कहां तथा उसकी पूरी रूप-रेखा क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जरीफनगर थाने में सिपाही को मारने की घटना

*२६—श्री उल्फतसिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री को यह ज्ञात है कि बदायूं जिले के थाना जरीफनगर के थानेदार को दिनांक २२ फरवरी, १९६५ को उसी थाने के ग्राम आंतर के कुछ लोगों ने पीटा? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना जरीफनगर, बदायूं में किसी थानेदार के पीटे जाने की कोई घटना नहीं हुई। २२ फरवरी, ६५ को ग्राम आंतर में एक कान्स्टेबिल के साथ एक घटना हुई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

> ग्राम आंतर की २ पार्टियों की ओर से कुछ रिपोर्टें थाने पर प्राप्त हुई थीं। गांव में शांति भंग का अंदेशा था। थानाध्यक्ष ३ सिपाहियों के साथ २२ फरवरी को उक्त ग्राम में जांच के लिए गए। एक पार्टी पुलिस के सामने आई। दूसरी पार्टी के लोगों को बुलाने के लिए थानाध्यक्ष ने एक सिपाही को भेजा परन्तु वे नहीं आए और सिपाही को मारपीट की धमकी देने लगे। दोनों पार्टियों के विरुद्ध धारा १०७, ११७ सी० आर० पी० सी० की कार्यवाही की गई। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

ललिया थाने में बन्दूक व पिस्तौल के लाइसेंस

*२७—श्री शुकदेव प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ललिया थाना, जिला गोंडा के अन्तर्गत श्री समद साहब दरोगा के समय में कितनों ने बन्दूक तथा पिस्तौल के लिए प्रार्थना-पत्र दिये उनमें किन-किन को मिला और किन-किन का खारिज कर दिया गया? क्या उसकी एक सूची सदन की मेज पर पते सहित रखने की कृपा करेंगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३९१ पर)

जिला बुलन्दशहर में गजटेड आफिसर

*२८—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि जिला बुलन्दशहर में कौन-कौन गजेटेड आफिसर ऐसे हैं जिनको तीन साल से अधिक से वहां नियुक्त हुये हो गये हैं और उन लोगों का तबादला न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दर्ज है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९२–३९४ पर)

मुजफ्फरनगर में रायल सिनेमा भवन के विरुद्ध शिकायतें

*२९—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह सच है कि मुजफ्फरनगर में एक भवन जिसमें पहले रायल सिनेमा था उस के मालिक ने कुछ निर्माण बिना आज्ञा पी० डब्ल्यू० डी० ने किया है, जिस की शिकायत जिला अधिकारी, मुख्य मन्त्री व मन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी की गयी है, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सच है कि मुजफ्फरनगर के एक सिनेमा घर, जिसका नाम पहले रायल टाकीज था, में कुछ निर्माण करने के विषय में शिकायतें जिलाधीश व सरकार को मिली थीं। इन शिकायतों की सरकार ने जांच करायी थी और वे निराधार साबित हुयीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के किनारे सिनेमा के पुराने भवन में कुछ परिवर्तन किये गये थे। यह उत्तर प्रदेश रोड साइड कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत घोषित कन्ट्रोल एरिया में स्थित अवश्य है लेकिन म्युनिसिपल क्षेत्र में पहले से ही बनी हुई इमारत होने के कारण उस पर उक्त ऐक्ट की पाबन्दी लागू नहीं होती और भवन में परिवर्तन करने के लिए पी० डब्ल्यू० डी० की आज्ञा आवश्यक नहीं थी।

*३०—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या यह सच है कि डी० आर० एम० रोड स्थित सिनेमा भवन (पुराना रायल) में सिनेमेटोग्राफ रूल्स व ऐक्ट के अनुसार बहुत भारी कमियां हैं उन कमियों को दूर कराने के लिए क्या शासन को कुछ शिकायतें जनता की ओर से प्राप्त हुई हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस सम्बन्ध में रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

*३१—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या यह सच है कि उपरोक्त सिनेमा भवन के बारे में एक मुकदमा मालिक व किरायेदार में नं० ५७, १९५०–१२९८, १९५४ सिविल न्यायालय में चला था, जिसमें न्यायलय ने अपनी यह राय जाहिर की थी कि सिनेमा भवन कमजोर हो गया है। क्या इस सिनेमा भवन को एक्जीक्युटिव इन्जीनियर पी० डब्ल्यू० डी० ने मजबूत करार दिया है जबकि जो कमियां माननीय अदालत ने वहां बतलायी थीं अब भी मौजूद हैं, क्या सरकार जनहित में किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण करायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार के पास उपरोक्त सिनेमा भवन के किरायेदार व सिनेमा मालिक के बीच चले दीवानी मुकदमों का विवरण नहीं है। लेकिन यह ज्ञात है कि दोनों की मुकदमेबाजी सर्वोच्च न्यायालय तक गयी और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सिनेमा भवन के किरायेदार ने मालिक को ३१ अगस्त, १९६४ को सिनेमा भवन सौंप दिया। इस सिनेमा को लाइसेंस देने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वारा निरीक्षण कराया गया था और जब उन्होंने इमारत को पास कर दिया तभी लाइसेंस दिया गया। अतः अब किसी निरीक्षण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

थाना कोतवाली, फतेहपुर में जमा किये गये चोरी के जेवर में गड़बड़ी

*३२—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

दिनांक २५ मार्च, १९६५ के प्रश्न ४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब मालखाना सदर के हेड कांस्टेबिल पर तीनों जेवरात गुम करने की जिम्मेदारी किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हुई तो फिर उनका आचरण सन्दिग्ध पाये जाने के तथ्य क्या हैं और दफा ७ की कार्यवाही में बड़ने उसे बैड इन्ट्री देने तथा पुनः यह सजा बढ़ा कर दो वर्ष के लिए कांस्टेबिल बनाने का नियमित आधार क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हेड कांस्टेबिल के कार्य में कुछ त्रुटियां पायी गयीं थीं जिन से उनका आचरण संदिग्ध पाया गया। अतः उन्हें दफा ७ की कार्यवाही के उपरान्त बैड इन्ट्री दी गयी थी।

उप-पुलिस महानिरीक्षक ने अपनी "रिवीजनरी पावर्स" के अन्तर्गत इस सजा को अपर्याप्त समझ कर बढ़ा दिया और हेड कांस्टेबिल को २ वर्ष के लिए कांस्टेबिल के पद पर अवनत कर दिया।

*३३—श्री बालोजी अग्रवाल, तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

दिनांक २५ मार्च, १९६५ के प्रश्न ४ के ही उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वादी ने तीनों प्रार्थियों की चोरी की नालिश किसके विरुद्ध दीवानी में की है और हेड कान्स्टेबिल मालखाना की नौकरी के समय का लगभग ३,००० रुपया वेतन देने की जिम्मेदारी किस पर डाली गयी है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

वादी ने जिन व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया है उनकी सूची संलग्न है। वैभागिक कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक समझे जाने पर कर्मचारियों को मुअत्तल किया जाता है और कार्यवाही के पूर्ण हो जाने के उपरान्त वेतन आदि के मामले में निर्णय लिया जाता है। हेड कांस्टेबिल मालखाना वैभागिक कार्यवाही के उपरान्त पूर्णतया दोष मुक्त नहीं हुआ और उसे वेतन दिये जाने के बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३९५ पर)।

बाराबंकी जिले में असलहा लाइसेंस

*३४—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में थानानुसार वित्तीय वर्ष १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में कौन-कौन असलहा (बन्दूक, रिवाल्वर, पिस्तौल तथा राइफल) का लाइसेंस दिया गया?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मांगी गयी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९६ पर)

*३५—[१७ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया ।]

देवरिया जिले में चीनी मिलों का उत्पादन

*३६—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९६४–६५ सीजन में देवरिया जनपद में कुल कितना गन्ना पेरा गया तथा प्रति फैक्टरी कितनी चीनी बनी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

निर्दिष्ट सीजन में देवरिया जनपद की चीनी मिलों द्वारा पेरे गये गन्ने तथा उत्पादित चीनी के मिलवार आंकड़े संलग्न तालिका 'क' में दिये हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३९७ पर) ।

*३७—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों को १९६४–६५ के सीजन का देवरिया में गन्ने का कुल कितना दाम मिला और कितना बाकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

देवरिया जिले में गन्ना किसानों को १९६४–६५ सीजन का गन्ने के मूल्य के रूप में भुगतान की गयी तथा बकाया धनराशि की स्थिति जो ३० जून, १९६५ को थी वह इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)—

देय धनराशि	९६२.३६
भुगतान की गयी धनराशि	९५१.३९
बकाया धनराशि	१०.९७

गन्ना आयुक्त ने इस बकाया रकम की वसूली के लिए देनदार मिलों के विरुद्ध रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर दिया है।

जिला शाहजहांपुर में असलहा लाइसेंस

*३८—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

३८—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, शाहजहांपुर व एस० डी० एम० ने शाहजहांपुर जिले के किन लोगों को दिनांक १ फरवरी, १९६५ से लेकर दिनांक १० जून, १९६५ तक फायर आर्म्स के लाइसेंसेज बिना पुलिस की रिपोर्ट के दिये ?

*३९—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार उन लोगों के नाम व पते व उनको दिये गये असलहों की तफसील बताने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मांगी गयी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३९८-४०१ पर)

*४०--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिन लोगों को यह असलहा दिये गये हैं उन में से कई हिस्ट्रीशीटर व अनडिजायरेबिल हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं।

शाहजहांपुर में श्री मुहम्मद रफी खां की कथित गिरफ्तारी

*४१--श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा शाहजहांपुर को डी० आई० आर० में किस तारीख को गिरफ्तार किया गया था और क्या यह, सच है कि वह जमानत पर छूटे हुए हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा को डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया। शेष प्रश्न नहीं उठता।

बिल्हौर थाने में दफा ४५७ की रिपोर्टें

*४२--श्री होरीलाल यादव--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बिल्हौर, जिला कानपुर के अन्तर्गत, दिनांक १६ दिसम्बर, १९६४ को धारा ४५७ आई० पी० सी० में कितनी रिपोर्ट लिखी गयी और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

केवल दो रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। एक मामले में अभियुक्तों का चालान किया गया है और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

दूसरे मामले में जांच के पश्चात् अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी।

*४३--श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार--

[हटा दिया गया।]

*४४-४५--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

[१७ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

बन्दूक का लाइसेंस

*४६--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) श्री बेदराम, श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), तथा श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर्म्स ऐक्ट के प्राविधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आत्म सुरक्षा के लिए यदि उसका चाल-चलन ठीक हो तो बिना आर्थिक मापदण्ड

[श्री राजेन्द्रसिंह—आदि]

के बन्दूक आदि का लाइसेन्स प्रदान किया जा सकता है? यदि हां, तो क्या लेखपाल एवं तहसील द्वारा बन्दूक के प्रार्थियों की माली हालत का ब्योरा लेने की व्यवस्था को बन्द कराते हुये केवल थाना एवं जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका ठीक चाल-चलन साबित कर दिये जाने पर ही बन्दूक-लाइसेंस दिलाने के आदेश जारी करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत बन्दूक का लाइसेंस ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा सकता है जिस का चाल-चलन अच्छा है, जो एक न्याय प्रिय नागरिक है तथा जिसमें उक्त ऐक्ट की धारा ९ में लिखित अयोग्यतायें विद्यमान नहीं हैं। इसके लिए हैसियत की कोई कैद नहीं है और न ही इस के आधार पर किसी को बन्दूक आदि का लाइसेंस अस्वीकार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

सहकारी चीनी मिल, किच्छा का कटौती धन

*४७—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास विभाग, हल्द्वानी ने सन् १९६१–६२ व १९६२–६३ में कुल कितना रुपया गन्ना उत्पादकों से सहकारी चीनी मिल, किच्छा के नाम पर कटौती में वसूल किया और यह रुपया किस खाते में जमा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सहकारी गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी द्वारा निर्दिष्ट वर्षों में गन्ना उत्पादकों से कटौती द्वारा किच्छा मिल के लिए जो धन एकत्र किया गया है, उसका विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	कटौती की रकम
१९६१–६२	३,३३,१५८
१९६२–६३	१,९५,२५५
योग	५,२८,४१३

यह रकम स्थानीय सहकारी समिति, हल्द्वानी में जमा है।

*४८—श्री खुशीराम—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि किच्छा चीनी मिल के कार्य प्रारम्भ करने में अब तक विलम्ब का कारण क्या है और जो काश्तकारों की एक काफी धनराशि गन्ना विकास विभाग ने वसूल की है वह गन्ना उत्पादकों को वापस क्यों नहीं की जाती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

किच्छा में चीनी मिल के चालू होने में देर का कारण विस्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक करोड़ रुपये के हिस्सों की under-writing की व्यवस्था करने और इन्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन से कर्ज लेने से सम्बन्धित है। under-writing का कार्य अभी समाप्त हो गया है। गन्ना उत्पादकों की जो धनराशि हिस्से खरीदने के लिये है गन्ना यूनियन द्वारा एकत्रित है, वह यूनियन के ही निर्णय पर आधारित है।

*४९—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

[१६ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया]

नये सिनेमा घर निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव

*५०—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

हमारे देश की सीमाओं पर पाकिस्तानी आक्रमण तथा चारों ओर शत्रुओं की सेनाओं के जमाव से उत्पन्न अत्यन्त संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुये तथा देश की सुरक्षा व्यवस्था के हित में क्या सरकार पुनः इस प्रकार के कठोर आदेश जारी करने पर विचार करेगी कि आपत्तिकालीन स्थिति के रहते हुये किसी भी दशा में नये सिनेमाओं तथा विलासितापूर्ण आमोदगृह के निर्माण की अथवा चलाने की आज्ञा नहीं दी जावेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नये सिनेमा घरों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना जनहित में नहीं होगा।

विलासितापूर्ण आमोदगृह के निर्माण अथवा चलाने पर प्रतिबंध के संबंध में उत्तर देना संभव नहीं है जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि इनसे माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है ।

*५१—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[१६ अगस्त ,१९६५ को उत्तर दिया गया ।]

कांसगंज थाने में रामपाल सिंह का चालान

*५२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रक्षपालसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सहावर, जिला एटा में दिनांक २४ जनवरी, १९६४ को एक रामपाल सिंह, पुत्र अजबसिंह का झूठा केस बनाकर चालान किया गया ? तथा उसक पश्चात् एस० पी० एटा को भी रामपाल सिंह एवं उसके पिता अजब सिंह ने कई प्रार्थना-पत्र इस आशय के दिये थे कि उसे गलत फंसाया गया है, परन्तु फिर सही जांच न करके उसकी चार्जशीट लगा दी ?

*५३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उपरोक्त गलत केस में अदालत का निर्णय कि केस झूठा है, को देखते हुये ऐसा झूठा केस बनाने वाले पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई । यदि नहीं, तो क्यों ? और अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २४–१–६४ को एस०आई० चन्द्रमणि, सेकिन्ड अफसर, थाना सहावर, जिला एटा की रिपोर्ट पर रामपाल सिंह, पुत्र अजब सिंह निवासी ठाकुर, थाना कासगंज, एटा का एक्साइज ऐक्ट की धारा ६० व आर्म्स एक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके उसका चालान किया गया था। इस मामले की जांच थाने के दूसरे थानेदार द्वारा हुई थी। अदालत ने पुलिस के गवाहों के बयानों को विश्वसनीय न मानते हुए अभियुक्त को जुर्म से बरी कर दिया था। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रामपाल सिंह का कोई प्रार्थना-पत्र उक्त मामले के बारे में प्राप्त नहीं हुआ है। उसके पिता का प्रार्थना-पत्र दिनांक १४–३–६४ को मिला था। मामला चालान हो जाने के कारण उस पर कार्यवाही नहीं की गई।

२—चूंकि न्यायालय के निर्णय में मामला स्पष्टतया झूठा नहीं कहा गया है। अतः संबंधित पुलिस अफसर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रिंसिपल अंधविद्यालय, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत

*५४—श्री उग्रसेन—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६५ के तीसरे सप्ताह में देवरिया के एक विधायक द्वारा उन्हें प्रिन्सिपल राजकीय अंध विद्यालय, गोरखपुर के विरुद्ध

[श्री उग्रसेन]

शिकायती-पत्र मिला है ? उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे तथा उक्त शिकायत पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। इससे पहले ही कुछ शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच के परिणाम स्वरूप प्रधानाचार्य को निलम्बित कर दिया गया था और जांच जारी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

कुदरहा ब्लाक में हरिजन कूपों के लिये अनुदान

*५५--श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के कुदरहा ब्लाक में सन् १९६२ में कितने हरिजनों को कुआं बनाने के लिये कहां-कहां और कितना कितना रुपया मंजूर हुआ, कितना रुपया उन्हें दे दिया गया और कितना रुपया देना अभी शेष है और अभी तक सम्बन्धित हरिजनों को बाकी रुपया न दिये जाने का कारण क्या है ? और उक्त के सम्बन्ध में सरकार ने कुदरहा ब्लाक के बी० डी० ओ० के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम --

सूचना संलग्न है। रुपया न दिये जाने का कारण निर्माण कार्य का प्रारम्भ न करना है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

*५६--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

[हटा दिया गया]

ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल की बैठकें

*५७--श्री हिम्मतसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल की कितनी बैठकें दिसम्बर, १९६४ में हुईं। उन बैठकों में जो व्यक्ति वादी अथवा प्रतिवादी की ओर से गवाही के लिये आये क्या उन सभी को भत्ता दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो किस-किस का बकाया है ? उनको अब तक न देने का क्या कारण है ? और कब तक दे दिया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

दिसम्बर, १९६४ में उत्तर प्रदेश ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल की कुल ११ बैठकें हुईं। प्रतिवादी की ओर से आये हुये ८ गैर-सरकारी गवाहों के भत्ता सम्बन्धी बिलों पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका। क्योंकि अभियुक्त अधिकारी के विरुद्ध अभी जांच चल रही है। नियमों के अनुसार अभियुक्त अधिकारी के गैर सरकारी गवाहों को भत्ता तभी दिया जा सकता है जबकि वह अधिकारी आरोपों से पूर्णतया निर्दोष ठहराया जाय और सम्बन्धित गवाह की गवाही महत्वपूर्ण समझी जाय।

कुम्भ के मेला में कथित भारत प्रदर्शनी

*५८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आने वाले इलाहाबाद के कुम्भ के अवसर पर मेला क्षेत्र में कोई भारत प्रदर्शनी नाम की प्रदर्शनी की योजना सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो वह प्रदर्शनी किस स्थान पर लगेगी तथा उसमें कितनी जमीन प्रदर्शनी ने मांग की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आगामी कुम्भ मेले के अवसर पर मेला क्षेत्र में भारत प्रदर्शनी नाम की प्रदर्शनी की कोई योजना सरकार के पास नहीं आई है।

सुधाकर महिला विद्यालय, वाराणसी में छात्रवृत्ति का भुगतान

*५९—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुधाकर महिला विद्यालय, वाराणसी में जिन छात्राओं को स्कालरशिप मिली है उन्हें वह मार्च, १९६४ से नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो इस तरह की कितनी छात्राएं हैं ? और मार्च, १९६४ में छात्रवृत्ति न देने का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। ७२ विद्यालय के प्रधानाचार्य, समस्त प्रबन्धक समिति तथा लिपिक आदि बदल गए थे और कोई पुराने अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सके। इस कारण से मार्च, ६४ से जून, ६४ तक की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[हटा दिया गया।]

पिंडरा ब्लाक में मुसहरों को सहायता

२—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में अपराधशील जाति मुसहरों के मकान तथा कूप निर्माण हेतु सन् १९६४–६५ में कितना रुपया ग्राम सभापति को दिया गया है और क्या मकान तथा कूप निर्माण अब तक हो गया या नहीं ? यदि हुआ तो कब ? नहीं हुआ तो रुपया किस के पास है और न होने का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

ग्राम सभापति को कोई भी रुपया नहीं दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस का बिल्ला

३—श्री रक्षपालसिंह—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २६ जनवरी, १९६५ को सम्पूर्ण प्रदेश में सारा कार्य राजभाषा हिन्दी में किए जाने का निर्णय लेने के बाद भी पुलिस विभागीय कर्मचारियों द्वारा लगाया जाने वाला "यू० पी० पी०" का बिल्ला अभी तक क्यों नहीं बदला गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस कर्मचारी अभी तक पुराने बिल्ले ही प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि नए बिल्ले खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि पड़ती तो वे हिन्दी में अवश्य लिए जाते।

४—श्री रक्षपालसिंह—

क्या गृह मन्त्री सम्बन्धित बिल्ले के स्थान पर "उ० प्र० पु०" का बिल्ला लगाया जाने का आदेश तत्काल जारी करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

तुरन्त ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें काफी व्यय होगा। फिर भी इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

बेहट केन्द्र से खाद वितरण में गोलमाल

५—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री को मालूम है कि केन यूनियन सहारनपुर के मातहत बेहट, जिला सहारनपुर में खाद वितरण करने का एक सेन्टर है ? क्या यह सत्य है कि मार्च तथा जून, १९६४ में जो खाद बांटा गया वह फर्जी नामों पर चढ़ा दिया गया ? क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इसमें कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं और कुल कितने रुपए का गोलमाल है और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। बेहट खाद वितरण सेन्टर पर मार्च से जून, १९६४ तक फर्जी नामों पर चढ़ा कर खाद बांटी गई। इसमें दो कामदारों के दोषी होने का सन्देह है। ३,७२८ रुपए ९६ पैसे की खाद फर्जी नामों पर चढ़ी है तथा ३,८६१ रुपए ८० पैसे की खाद कम है। कुल ७,५९० रुपया ७६ पैसे की खाद का गोलमाल है। दो कामदारों को निलम्बित कर दिया गया है। सम्बन्धित गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध जांच की जा रही है। पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी गई है।

भारतीय सेनाओं को धन्यवाद का प्रस्ताव लाने के लिये सूचना

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम ११३ में एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में जिन दो चौकियों पर अपना कब्जा किया है, उसके लिए मैं बधाई का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

ऐसे जितने प्रस्ताव होते हैं जैसा मैं आदरणीय सदन के सामने कह चुका हूं सब नेता लोग मिल लें और आपस में पहले बातचीत कर लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जब तक यह सरकार एक लाख वर्ग मील जमीन जो चीन के तथा पाकिस्तान के कब्जे में है वापस नहीं ले लेती है, तब तक यह सोचना होगा कि बधाई दी जाय या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिए मैं कहता हूं कि यह प्रस्ताव ऐसा है....

कुंवर श्रीपालसिंह—

सरकार को नहीं, सेना को बधाई देने की बात है। माननीय उग्रसेन समझे नहीं।

उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६५

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६५ को, वित्त लेखे, १९६३–६४ तथा विनियोग लेखे १९६३–६४ सहित, सदन की मेज पर रखता हूं।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है। मुझे दु ख इस बात का है कि अपनी आज्ञाओं के बावजूद भी आप इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा दे रहे हैं। यह इस प्रदेश की विधान सभा के लिए कलंक की बात है कि अंग्रेजी में सरकार रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही है। आज से नहीं, सन् ५३–५४ से या जब से हिन्दी पर बल दिया जाने लगा है, उस समय से यह सरकार बराबर इस काम में लापरवाही बरतती आ रही है। मैंने विभिन्न वर्षों का अध्ययन किया और देखा कि रिपोर्ट कब सबमिट की गयी? पहले कुछ वर्षों में कदाचित् हिन्दी के ट्रान्सलेशन पर इतना बल नहीं था। उस समय सन् ५८ में दो मास में हिन्दी में रिपोर्ट आ गयी और जब एक वर्ष में दो मास में आ सकती है तो फिर अन्य वर्षों में क्यों नहीं आ सकती और आज स्थिति यह है कि जो रिपोर्ट हमारे सामने है वह दो वर्ष के बाद आई है। उसका काम खत्म हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और इस प्रकार से हजारों रुपया और श्रम बेकार हो जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। माननीय खेर साहब की आज्ञा आपकी आज्ञा तथा संविधान की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए आप इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की आज्ञा न दें और उनसे कहें कि वे इसे वापस लें। आप दुहाई देंगे कि हिन्दी में ट्रान्सलेशन करने में बड़ी देरी होगी लेकिन जो मातृभाषा के कार्यक्रम को चलाने में क्षति होगी वह इससे पूरी नहीं की जा सकती।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि माननीया सुचेता कृपालानी के होते हुए इस प्रकार के लेखा-जोखा की पुस्तक इस सदन में पेश हो जबकि उन्होंने इस सदन में नहीं बाहर भी सारे प्रदेश में इस बात की घोषणा की है कि हिन्दी राज्यभाषा हो, हिन्दी में राजकाज चले और हिन्दी का प्रयोग सब स्थानों पर हो। उनके मित्रों के सामने इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में लिखे हुये कागज सदन के पटल पर रखे जायेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे उनकी ही नहीं बल्कि सदन का बड़ा भारी अपमान है। श्रीमन्, जब हमारे प्रदेश की विधान सभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली में निहित हो चुका है कि इस सदन में जो भी कार्यवाही होगी वह हिन्दी भाषा में होगी, हिन्दी में लिखी हुई होगी और हिन्दी भाषा में प्रश्न और भाषण होंगे। लेकिन इसके बाद भी प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के मंत्रिगण या लेखा परीक्षक इस प्रकार की सीनाजोरी कर के सदन में इस प्रकार के कागज पेश करें और हमसे मौन रूप से स्वीकार करने के लिये वे आग्रह करें तो मैं समझता हूं कि इधर के बैठने वाले खासतौर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के लिये सहन करना उनकी शक्ति से परे की बात है। इस देश के करोड़ों नर-नारियों द्वारा बनाया हुआ संविधान है, उसने निर्णय लिया है कि १९६५ से सारे देश में हिन्दी का प्रयोग होगा और इसके बाद हमारा संविधान बना हुआ है और उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है और अंग्रेजी, हिन्दी की सहचरी भाषा है। १९६५ के पहले अंग्रेजी की सहायक भाषा हिन्दी रही है और अब अंग्रेजी हिन्दी की सहायक भाषा है। इस समय भी यदि हम आदरणीय सदन के पटल पर अंग्रेजी को मूल रूप से प्रस्तुत करें तो इसे बर्दाश्त करना और सहन करना मेरी शक्ति से परे की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मैं निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि इससे काम में रुकावट पड़े और यह भी हो सकता है कि इस कार्यवाही से हम लाखों करोड़ों रुपये का नुक्सान देश को पहुंचायें, लेकिन इस में देश के लाखों करोड़ों व्यक्तियों के उत्थान का प्रश्न निहित है, देश का सवाल है तो अंग्रेजी को ग्रहण करके हम देश को गिरायेंगे। इसलिये मैं इसकी मुखालफत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री इसको वापस ले लें और अगर नहीं लेती हैं तो मुझे निवेदन करना पड़ेगा कि इस प्रकार की कार्यवाही में हम आपके साथ नहीं रह सकेंगे और बैठ नहीं सकेंगे।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस आदरणीय सदन को आश्वस्त किया था कि किसी भी सूरत में हम अंग्रेजी चलने नहीं देंगे, इसलिये मैं आपसे अपील करता हूं, आपकी जहनियत से अपील करता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके आश्वासन टूट रहे हैं। आज भी अंग्रेजी की पुस्तकें यह सरकार सदन में पेश कर रही है, इतनी देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही सरकार दुनिया के किसी देश में नहीं होगी। हम लोगों के पास जो पुस्तकें आदि भेजी जाती हैं उनके ऊपर हमारा नाम अंग्रेजी में लिखा जाता है। हमने एतराज किया तो लिखा आ गया कि यह पहले का छपा हुआ है। यह चीफ सेक्रेटरी के चट्टे-बट्टे अंग्रेजी को चला रहे हैं और माननीया मुख्य मंत्री इधर ध्यान नहीं दे रही हैं। अगर लोक भाषा को काटा जायेगा तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आप अंग्रेजी को हटाइये। हम इसका डट कर विरोध करेंगे। आपने सदन की गरिमा और गौरव रखने के लिये बड़े-बड़े कदम उठाये हैं, हमें निकाल कर बाहर फेंकना पड़ा है। इसलिये जो मंत्री ऐसा करें उन्हें भी बाहर निकाल कर फेंकिये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो बात कही कि सदन में हिन्दी में रिपोर्ट पेश होनी चाहिये, उससे हम सहमत हैं, लेकिन सदन के सम्मुख इस तरह से किताबों का फेंकना यह विशेषाधिकार की अवहेलना है और मैं आप को नोटिस देता हूं माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी के खिलाफ। ब्रीच आफ प्रिविलेज का आप नोटिस ले लें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

मुझे अफसोस है कि सदस्यगण को इतना दुःख हुआ जो अंग्रेजी में रिपोर्ट आप के सामने आयी है। आप को शायद विदित होगा कि केन्द्रीय सरकार ने कहा था कि २६ जनवरी के बाद भी हिसाब-किताब का काम वह कुछ दिन तक अंग्रेजी में चलाएंगे। अकाउन्टेंट जनरल की रिपोर्ट अंग्रेजी में बन कर आयी। हिन्दी में करने के काबिल वह नहीं हैं। इसको हम लोगों ने तर्जुमा करने को दिया है। जल्दी देने के लिये हमने आपके सामने अंग्रेजी में रिपोर्ट रखी। अगर वह पसन्द नहीं है तो जब हिन्दी हो जायगी तब आप के सामने रखेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

आश्वासन समिति ने निर्णय लिया था और सरकार ने यह जरूर कहा था ....

श्री अध्यक्ष--

यह अनुचित बात है कि नेता सदन बोल रही हैं और आप बोलने के लिये खड़े हो गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर श्रीपालसिंह—

वह बैठ गयी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप खड़े हो गये इसलिये वह बैठ गयीं। उन्हें समाप्त करने दीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसके कांस्टीट्युशनल ऐस्पेक्ट को आप देख लीजियेगा कि ओरिजिनल रिपोर्ट हम लोगों को रखनी है या नहीं, या तर्जुमा रखना काफी है क्योंकि केन्द्रीय सरकार आज भी यह काम अंग्रेजी में चला रही है। अगर उनको नहीं पसन्द है तो हम तर्जुमा रखने के लिये तैयार हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि चूंकि आडिटर जनरल के यहां अंग्रेजी में काम होता है और वह सेंटर से सम्बन्धित हैं, इसलिए हम वहां अंग्रेजी नहीं चला पायेंगे। परन्तु उसके साथ एक चीज यह है कि इसमें सरकार की ढिलाई यह है कि आडिटर जनरल के यहां अपने अनुवादक लगाये रहें जितने पेजेज अंग्रेजी में तैयार होते जायं हिन्दी में अनुवाद करते जायं और हमारे सामने हिन्दी में पेश हों। इसको वापस करें इसके सिवा कोई दूसर रास्ता नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट जो अंग्रेजी में पेश की गई है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। हिन्दी प्रदेश में, हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र में हिन्दी का अपमान सर्वथा असह्य है। विशेष कर उस स्थिति में जब कि हिन्दी राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों मान ली गयी हैं। हमारे प्रदेश में ऐसा व्यवहार कदापि नहीं होना चाहिये था और इस रिपोर्ट के पेश होने से पहले वह तमाम व्यावहारिक दिक्कतें जिनका जिक्र किया जा सकता है और किया भी गया होगा, उनको समाप्त करने की कोशिश सरकार की ओर से होनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि जो अंग्रेजी में रिपोर्ट पेश की गयी है, इस परिस्थिति को बचाया जा सकता था। जब कि हमारे प्रदेश में सारा कार्य हिन्दी में हो रहा है उस स्थिति में अंग्रेजी में रिपोर्ट आना जब कि सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी कभी ऐसा हुआ है तो उसका विरोध किया गया है, अनुचित है। मैं चाहता हूं कि यह कार्य आज हुआ है, यह आखिरी हो। इसके बाद कतई किसी प्रकार यह बात नहीं होनी चाहिए अन्यथा हमारा प्रस्ताव कि सभी कार्य हिन्दी में होगा, अमल में बेकार हो जायगा। अगर अंग्रेजी में रिपोर्ट आती रहेंगी और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हस्ताक्षर तक हिन्दी में होते रहेंगे तो हिन्दी केवल मुंह पर रहेगी, अमल में अंग्रेजी रहेगी। इसलिए आप के द्वारा सरकार से आग्रह है और भारत सरकार से भी आग्रह है कि आज यह आखिरी हो, फिर इसकी पुनरावृत्ति किसी प्रकार नहीं होनी चाहिए।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो आपत्ति की गयी है, यह अपनी जगह बहुत ठीक है। लेकिन मैं आप के सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे सामने एक दिक्कत आती है, क्योंकि पी० ए० सी० में मुझे भी बैठने का मौका मिलता है। आडिटर जनरल का जो आफिस है वह केन्द्रीय सरकार के अन्डर काम करता है और केन्द्र ने अभी अंग्रेजी छोड़ी नहीं है, खास कर के एकाउन्ट सम्बन्धी मामले में अंग्रेजी की व्यवस्था अभी चालू है, छोड़ी नहीं गयी है। यह बात सही है कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हम यह रिपोर्ट हिन्दी में दें। किन्तु आप को यह मालूम होना चाहिये कि यदि यह इस समय पेश न होती तो पी० ए० सी० एक साल तक काम न कर पायेगी, उसका काम रुका रहेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह कैसे आपने कह दिया कि अनुवाद कार्य एक साल में ही होगा।

श्री नवलकिशोर--

जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द अनुवाद हो जाये, लेकिन आप को एक बात तय करनी है कि आपकी श्रीमन्, यह व्यवस्था हो कि जब तक अनुवाद न होकर आ जाए, रिपोर्ट हिन्दी में न आ जाए, तब तक पी० ए० सी० में कोई काम न हो, क्योंकि इसके बिना पी० ए० सी० के अन्दर कोई काम होने वाला नहीं है।

श्री उग्रसेन--

आप महीनों और सालों की बात क्यों करते हैं, हमें खर्चा दीजिए हम एक सप्ताह के अन्दर इसका अनुवाद करा देंगे। आप तो करना ही नहीं चाहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

जो बात नवल किशोर जी ने कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि यह हमारी बराबर मांग रही है कि आडिट रिपोर्ट हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, जिससे कि माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर सकें और बजट भाषण के समय वे अपने विचार पूर्ण तैयारी से प्रकट कर सकें। इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट केन्द्र को भी जाती है। यह ठीक है कि इसका अनुवाद आना चाहिये, किन्तु इस समय जो सदन में रिपोर्ट पेश की गयी है, यह कतई वापस नहीं ली जानी चाहिये। इस समय जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया है, देश संकट से गुजर रहा है, हिन्दी और अंग्रेजी के बारे में हमें झगड़े नहीं करने चाहिये। हिन्दी के नाम पर इतना असहिष्णु नहीं होना चाहिये, हिन्दी तो रहेगी ही।

(व्यवधान)

श्रीमन्, इसलिये निवेदन मैं यह कर रहा था कि आपकी व्यवस्था यह है कि अंग्रेजी में यहां कोट कर सकते हैं, अंग्रेजी के डाकूमेंट पेश कर सकते हैं, अंग्रेजी की किताबों को रेफर कर सकते हैं, तो फिर ....

अनेक सदस्य--

"नहीं" "नहीं"।

श्री नेकराम शर्मा--

तो श्रीमन्, आपकी व्यवस्था होते हुये भी....

श्री अध्यक्ष--

अब व्यवस्था तो मैं दूंगा।

श्री उग्रसेन--

आप अपनी व्यवस्था दीजिये, हम आपसे व्यवस्था ले कर रहेंगे।

श्री नेकराम शर्मा--

तो श्रीमन्, आप की व्यवस्था होते हुये, भारत सरकार की नीति होते हुये यह रिपोर्ट बिलकुल ठीक पेश की गयी है, यह यहां से वापस नहीं होनी चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह--

हम हिन्दी के विषय में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह हिन्दी भाषा भाषियों का प्रान्त है, हम सब हिन्दी भाषा भाषी हैं, हमें हिन्दी से अति प्रेम है और हमारी सरकार ने हिन्दी भाषा को मातृ-भाषा बना कर हमारी भावनाओं का पूर्ण आदर किया है। फिर भी एक दो शब्द मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि उन्हें वे शान्तिपूर्वक सुनेंगे। जितना उनके हृदय में हिन्दी के प्रति प्रेम है उतना प्रेम हमारे हृदय में भी है किन्तु वे थोड़ी सहिष्णुता से काम लें तो अच्छा हो।

(व्यवधान)

आप जितने असहिष्णु बनते हैं, जितना जोश दिखा रहे हैं, उससे हिन्दी का किसी हद तक नुकसान होगा। आज जो हिन्दी विरोधी भावनाएं जाग उठी हैं, उसका कारण यही है कि हमने अनावश्यक जोश खरोश और जल्दबाजी में कदम उठाये हैं। अतः हमें शान्तिपूर्वक सहिष्णु ढंग से इसके प्रचार-प्रसार का प्रयास करना चाहिये। और जो कदम यहां उठाया गया है यह उचित नहीं है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, अभी कुछ दिन पहले पूरा मद्रास अंग्रेजी के पक्ष में फूंक दिया गया तो क्या अंग्रेजी बढ़ी नहीं? अगर मद्रास में अंग्रेजी बढ़ सकती है तो अगर हम अपने यहां हिन्दी में काम करने लगें तो हिन्दी भी बढ़ेगी। लल्लोचप्पो करने वाले ही कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं। यही लोग हिन्दी के दुश्मन हैं जो इस तरह की बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, यह गलत है, आप बैठ तो जाइये, अब माननीय बलवान सिंह जी को बोलने दीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि कुछ दिन पहले इसी सदन में जब कुछ माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की इत्तिला अंग्रेजी में आयी थी तो आपने इसी सदन के सामने खुले रूप में यह कहा था कि आयन्दा इस तरह की इत्तिला यहां अंग्रेजी में नहीं आनी चाहिये। तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि एक बार नहीं बल्कि हजारों बार आप की रूलिंग हो चुकी है कि अंग्रेजी में सरकारी कागज यहां न आयें, तो फिर इस पर विवाद होना कहां तक ठीक है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहस है, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, यह तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेज यहां थे और इस वजह से अंग्रेजी यहां आयी। लेकिन जैसा कि मेरे लायक दोस्त माननीय झारखंडे राय जी व माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा—यह सही है कि किसी भी देश में उसी देश की जबान होनी चाहिये—लेकिन इस तरह से अंग्रेजी के प्रति नफरत जाहिर करना कि अंग्रेजी शब्द को देखना भी हमारे जनसंघ और एस० एस० पी० के दोस्त पसन्द नहीं करते, तो इसका कोई हल नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे साथी जब कभी गुस्से में आते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं और अभी माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने अपनी जबान से कई अंग्रेजी के शब्द अपने भाषण में कहे हैं.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह तो केवल सिद्धान्त की बात है ।

श्री बलवान सिंह---

सिद्धान्त की बात यह है श्रीमन्, कि यू० पी० के अन्दर हमारी भाषा हिन्दी है और यहां हिन्दी में ही सारा काम होना चाहिए लेकिन जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने कहा---कि इसका अनुवाद हिन्दी में होना चाहिये, यह बात तो अपनी जगह पर ठीक है लेकिन यह कि अंग्रेजी की किताब को इस तरह से फेंक देना या उसकी शक्ल से ही नफरत करना, जनसंघ के इस तरीके का मैं सख्त विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि अगर सेंटर से कोई चीज आती है हिन्दी या अंग्रेजी में तो उसे हाउस के अन्दर आने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

(श्री उग्रसेन से) आप दूसरे की क्यों नहीं सुनते हैं, सुनने तो दीजिये । आप क्यों इतने उतावले होते हैं ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, हमें सोचना चाहिये कि हमारे प्रान्त की आबादी करीब साढ़े ७ करोड़ है । हममें से बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो यहां पर पेश होने वाले बिल को समझने में असमर्थ हैं । कोआपरेटिव बिल जो हमारे सामने पेश है, इसमें इतनी क्लिष्ट हिन्दी है कि तीन रोज से मैं ढूंढ़ता रहा हूं और अंग्रेजी की प्रति मुझे नहीं मिल पायी है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिन्दी इतनी क्लिष्ट न रखी जाय, लेकिन इतनी क्लिष्ट हिन्दी चलायी जाय और फिर उसका समर्थन किया जाय, यह बहुत गलत बात है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप सुन तो लीजिये । माननीय लखी सिंह जी, यह तरीका ठीक नहीं है । आप बैठ जाइये, उनकी बात तो सुन लीजिये ।

श्री उग्रसेन---

यह लोग महात्मा गांधी के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह तरीका ठीक नहीं है, आप लोग बैठ जाइये । उनको आप लोग जरा शान्ति से सुनिये ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो बचपन से हिन्दी का हामी रहा हूं लेकिन मैं अपने इन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि वे जरा अपनी छाती पर हाथ रख कर बतावें कि उनमें से कितने अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं और कितने अंग्रेजी का अखबार मंगाते हैं । इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी की सेवा इस तरह से बनेगी नहीं । मैं इसका विरोध करता हूं और जो कुछ नवलकिशोर जी ने कहा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इतनी कोशिश करने के बाद....

श्री अध्यक्ष---

आपने फिर वही बात शुरू की...

श्री यादवेन्द्र दत्त—

अगर आभार प्रदर्शन करना अनुचित हो तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप जिस प्रकार और जिस भावना से इन शब्दों को कह रहे हैं ठीक नहीं है।

*श्री यादवेन्द्रदत्त—

तो आप को आभार प्रदर्शन करना बुरा लगता है तो वापस ले लूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप फिर कृपा कर के उसको न कीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अच्छा, तो उस को वापस लिये लेता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहां के वातावरण को देखकर। यह तो बड़ा सीधा-सा सिद्धांत का प्रश्न है। हमारी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा दोनों हिन्दी है। उसमें नफरत का प्रश्न ही कहां है जो हमारे बलवान सिंह जी कहते हैं। हमारा यहां किताब पटकना कोई नफरत अंग्रेजी से नहीं दिखाता बल्कि वह दिखाता है कि हमारा प्रोटेस्ट है सरकार की उस दुर्लक्ष्य नीति से कि जब अंग्रेजी में उसने यह रिपोर्ट रखी तो उसका अनुवाद हिन्दी में क्यों नहीं कराया। हमारे बुजुर्गवार मित्र ने हिन्दी फैनेटिसिज्म की बात कही है। इसमें फैनेटिसिज्म की बात है कहां ? सिद्धांत को रखना और सिद्धांत का पालन करवाना फैनेटिसिज्म नहीं होता, फैनेटिसिज्म होता है गलत बात के लिये दुराग्रह करना। वह यहां पर बिलकुल नहीं है। सिद्धांत है कि राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा हिन्दी हो और उस पर अमल करना, उसे हम कराना चाहते हैं उसमें फैनेटिसिज्म कहां आता है ? आप श्रीमन, उस स्थान पर हैं जहां से जो नियम हैं उनका पालन कराना आप का कर्तव्य हैं। सीधी-सी बात है कि सरकार हिन्दी के राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा रहते हुये भी जो अंग्रेजी में साहित्य रखती है यह उसकी अकुशलता है, यह उसका दुर्लक्ष्य है। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि आप नियमों का पालन करावें।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस सदन में अनेक बार आपने आश्वासन दिया कि यहां सदन की कार्यवाही हिन्दी में होगी। मुख्य मंत्री जी ने भी इस सदन में और इस सदन के बाहर भी अनेक बार यह कहा है कि प्रदेश की भाषा हिन्दी है और यहां की कार्यवाही हिन्दी होगी। इस समय जो विवाद हुआ और आप ने जो इस रिपोर्ट को आने की आज्ञा दी इस पर मुझे आश्चर्य हुआ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आज्ञा नहीं दी है। अब आज्ञा दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या इस पर आज्ञा देंगे कि इसको रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आज्ञा से मतलब यह है कि व्यवस्था दूंगा कि इस बात की अनुज्ञा हो कि यह यहां रखा जाय या नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामचन्द्र विकल--

सवाल यह है कि किसी भाषा से घृणा का प्रश्न नहीं है। अंग्रेजी से भी कोई घृणा नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इस वक्त एक दृढ़ नीति का सवाल है और यह सरकार से सम्बन्ध रखती है। जो सरकार अपनी किसी नीति पर दृढ़ नहीं होती वह देश के लिए कभी-कभी खतरा बन जाती है। जब रोजमर्रा एलान करते हैं कि हिन्दी हमारी भाषा है तो फिर किसी ढुलमुल नीति का सवाल नहीं है।

कुछ दोस्तों ने मद्रास की चर्चा किया। मैं अपने भाइयों को गोहाटी कांग्रेस की याद दिलाना चाहता हूं। यहां पर हिन्दी के प्रस्ताव पर जो आज हमारे केन्द्र के खाद्य मंत्री हैं सुब्रह्मण्यम् साहब उन्होंने मद्रास के आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि मद्रास में लोग कितनी तेजी से हिन्दी सीख रहे हैं। यह जरूर है कि उन दिनों राजा जी का हिन्दी विरोधी आन्दोलन चल रहा था तो सुब्रह्मण्यम् साहब, जो हमारे आज खाद्य मन्त्री हैं उस समय वर्किंग कमेटी के मेम्बर थे उन्होंने मद्रास के आंकड़े रखे थे कि लोग बहुत तेजी से हिन्दी सीख रहे हैं। मैं अपने देश में देखता हूं कि रूस के बहुत से लोग जो हमारे गांवों में घूमते हैं वे हिन्दी अच्छी तरह से बोलते हैं। उनके सांस्कृतिक सेक्रेटरी और दूसरे अनेक अफसर और रूस के कृषि मन्त्री काफी अच्छी हिन्दी जानते हैं। जब वे लोग बाहर के देशों के हिन्दी सीख लेते हैं तो मद्रास का नाम लेकर यह बहाना नहीं किया जा सकता। जर्मनी को आप ले लीजिये। अभी दिल्ली के पास गांव में दो लड़के, लड़कियों को देखा कि वे अच्छी हिन्दी बोलते थे। विदेशी लोग तेजी से हिन्दी सीखने का कार्य कर लेते हैं और रूस के लोगों ने खास तौर पर हिन्दी के सीखने के कार्य को महसूस किया है तो उत्तर प्रदेश में आज अगर यह कहा जाय कि हिन्दी के नाम से मद्रास में घृणा फैल जायगी, मैं समझता हूं ये वही लोग हैं जो खाली हिन्दी के नहीं बल्कि देश के शत्रु हैं। वे आज भी हिन्दी भाषा का विरोध करते हैं। उन्होंने इस देश की एकता को धक्का पहुंचाने की कोशिश की है। मैं कहता हूं कि वे लोग संकीर्ण हैं जो राष्ट्रभाषा के नाम पर आज इस तरह का बहाना लेते हैं मैं इसका बहुत पुरजोर विरोध करता हूं और कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। आप से यह निवेदन करता हूं कि आप इस अंग्रेजी की रिपोर्ट को हरगिज पेश न होने दें।

एक तर्क मैं और देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि केन्द्रीय सरकार की भाषा अंग्रेजी है, यह बात गलत है। केन्द्रीय सरकार की नीति तय हो चुकी है कि जिस भाषा में उन के पास पत्र आयेगा उसी भाषा में उन को जवाब दिया जायगा। तो उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी होते हुए हमारी सरकार केन्द्र का बहाना नहीं ले सकती। हर एक प्रदेश केन्द्रीय सरकार से अपनी लिखा पढ़ी हिन्दी में करना चाहे तो कर सकता है। यह वहां पार्लियामेंट के सेक्रेटेरियट में होता है। यह वहां पर पास हो चुका है कि हिन्दी के पत्र का जवाब हिन्दी में दिया जायेगा इस लिए आप केन्द्रीय सरकार या एकाउन्टेंट जनरल के दफ्तर का बहाना नहीं कर सकते। अब यह हिन्दी का सवाल देर तक नहीं रुक सकता है। इस लिए यह रिपोर्ट, जब तक इसका हिन्दी में अनुवाद न हो, आप सदन में हरगिज पेश होने की इजाजत न दें।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)। श्रीमन्, यह कहा गया कि जो लोग इसके विपरीत बोले हैं वे देश के शत्रु हैं। मैं कहता हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की जूती चाटी। है (शोर)

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

जो लोग हिन्दी के विरोधी हैं, वे देश के शत्रु हैं। (शोर)।

श्री अध्यक्ष—

हमारे सदन का नियम है कि हिन्दी हमारी भाषा है, इस सदन की भाषा है । अनुच्छेद २१० के अन्दर (१) में यह दिया है "भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद २४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य के विधान मण्डल में कार्य राज्य की राजभाषा में या भाषाओं में, या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायगा ।" और उपबन्ध (२) में दिया हुआ है कि जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि यह अंग्रेजी में शब्द इस में से लुप्त कर दिये गये हों। हम ने सन १९५०–५१ में विधि द्वारा निश्चित रूप से यह तय कर दिया कि इस सदन की राजभाषा हिन्दी होगी और इस की लिपि देवनागरी होगी। यह हो जाने के बाद जब १५ वर्षों के बाद २१० का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे राज्य की भाषा का जहां तक सम्बन्ध है वह यह है कि जब यहां "भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मण्डल में कार्य राज्य की राज भाषा या भाषाओं में या हिन्दी में किया जायगा।" अंग्रेजी लफ्ज छोड़ दिया जायेगा : तो अब स्थिति यह है कि जहां तक अनुच्छेद २१० का सम्बन्ध है निश्चित रूप से हमारी भाषा हिन्दी है और हिन्दी में ही हमें काम करना चाहिए । मैं जिस परिणाम पर पहुंचा हूं उसे निवेदन कर दूं । मैं समझता हूं कि सब कानूनदाओं के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अब संघ की प्रमुख भाषा हिन्दी है और सह भाषा अंग्रेजी है । पहले अंग्रेजी प्रमुख भाषा थी और सह भाषा हिन्दी थी । प्रमुख भाषा अब हिन्दी है और उसकी सह भाषा अंग्रेजी है । अब इस के समर्थन में अनुच्छेद ३४३ में यह दिया हुआ है कि "संघ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा" किन्तु (१) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगी । अब अगर आप आज्ञा दें तो जिस प्रकार से अंग्रेजी में दिया हुआ है वह यह है कि यूज इन हिन्दी लैंग्वेज इन एडीशन टु इंग्लिश लैंग्वेज ।"

अब १९६३ में जो ऐक्ट पास हुआ लैंग्वेजेज ऐक्ट, १९६३, नम्बर १९, उसे हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है । उस में एक बात ध्यान देने योग्य है :

Notwithstanding the expiration of the period of 15 years from the commencement of the Constitution the English language may, as from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi—

इस में है कि अलावा हिन्दी के अंग्रेजी का प्रयोग होगा। उन्होंने इसका पुराना रूप बदल दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कानून के बनाने वालों का मंशा यह था कि प्रमुख भाषा हिन्दी रहेगी और "इन ऐडीशन", उस के अतिरिक्त अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा।

तो मेरा निवेदन यह था कि प्रमुख रूप से हिन्दी ही. . . .

श्री उग्रसेन—

उसमें भी जो क्रिया है, क्रिया केवल सपना है।

श्री अध्यक्ष—

इसका मतलब यह हुआ कि संघ की प्रमुखतः हिन्दी भाषा है, लेकिन उसके साथ-साथ अंग्रेजी का भी वह प्रयोग कर सकते हैं । अब प्रश्न यह है कि हमारे सामने जो यह रिपोर्ट

[श्री अध्यक्ष]

आयी है इसके सम्बन्ध में हम क्या तय करें ? जहां तक कि संविधान का प्रश्न है, जहां तक कि हमारे कर्त्तव्य का प्रश्न है वह मैंने आप के सामने रख दिया। अब सदन को यह तय करना है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि माननीय झारखंडे राय ने एक सुझाव रख दिया कि यह आखिरी मर्तबा होने दो और माननीय मुख्य मन्त्री और इस सदन की तरफ से यह आग्रह हो केन्द्र से कि वह हमें भविष्य में हिन्दी में रिपोर्ट दिया करे। इसे आप स्वीकार करें या जैसा आपका मत हो। (व्यवधान)।

श्री उग्रसेन—

हम इसे कतई नहीं मानेंगे। बिलकुल नहीं मानेंगे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने तो पहले ही यह निवेदन कर दिया कि मैं यह किताबें, रपटें, वापस ले रही हूं।
(तालियां।)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जो रिपोर्ट यहां पेश हो रही थी वह पेश नहीं होगी। अब खत्म हुआ। वह विषय समाप्त। अब कोई सवाल नहीं है इस रिपोर्ट से सम्बन्धित।

श्री विजय सिंह—

रिपोर्ट का प्रश्न नहीं है। मान्यवर, माननीय विकल जी ने अभी एक शब्द हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा जी के विरुद्ध जो कहा है, उसी का स्पष्टीकरण मैं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

विकल जी ने जो कहा उस सम्बन्ध में माननीय नेकराम ने बतला दिया। अब मैं देखूंगा उसको।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विकल जी के उन शब्दों की ओर दिलाना चाहूंगा जो कि अशोभनीय शब्द हाउस में उन्होंने प्रयोग किये हैं। मैं आप के द्वारा विकल जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह उनको वापस करें जो उन्होंने "देश के शत्रु" और "जयचन्द" शब्द कहे। अगर वापस नहीं करना चाहते हैं, तो उन शब्दों को कार्यवाही से आप निकाल दें। (व्यवधान)।

श्री उग्रसेन—

वापस नहीं होगा।

श्री विजय सिंह—

माननीय विकल जी ने स्वतन्त्र पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजा जी के विरुद्ध कहा कि वह हिन्दी के विरुद्ध मद्रास में आग भड़का रहे हैं या हिन्दी विरोधी प्रचार भी किया। मान्यवर, जब इसी माननीय सदन में हिन्दी भाषा विधेयक आया तो हम ने अपनी पार्टी की ओर से यही कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और हमारी पार्टी ने हिन्दी समर्थन में साथ दिया और कहा कि देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है। लेकिन यह कहना कि राजा जी ने हिन्दी के विरुद्ध मद्रास के अन्दर प्रचार किया, यह नितान्त भ्रमात्मक है। मान्यवर, कहा गया कि आदरणीय राजा जी ने हिन्दी विरोधी प्रचार किया। इस सम्बन्ध में यह कहना

चाहता हूं कि वे शब्द अत्यन्त अपमानजनक थे और ऐसे व्यक्ति के प्रति थे जो यहां पर अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता। अगर मेरी पार्टी के किसी नेता के कुछ ऐसे विचार हैं भी तो वे व्यक्तिगत हैं, हमारी पार्टी का विचार हिन्दी के प्रति श्रद्धास्पद है और वह हमेशा से रहा है। (व्यवधान)।

एक सदस्य—

मैं एक मसले पर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक-एक मसले पर सुनने को तैयार हूं, लेकिन यह मसला पहले खत्म हो जाय। मैं आप को फिर बुला लूंगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा कर एक जांच कमेटी बिठायें जो यह जांच करे कि विरोधी दलों के कितने बच्चे लारेटो कान्वेंट तथा अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं कहता हूं कि उन विरोधी दलों के बच्चे पढ़ते हैं या नहीं इससे क्या मतलब है? सारे सदस्यों के बच्चे पढ़ते हैं, उससे हमारे नियम और कानून नहीं बदल सकते। (व्यवधान)।

"पायोनियर में विधान सभा की कार्यवाही गलत छापने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार का प्रश्न लेता हूं। कल माननीय राजनारायण मिश्र ने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें यह शिकायत की थी कि मैंने "पायोनियर" समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनांक २४ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही का वर्णन पढ़ा। उक्त पत्र ने अपने मुख्य पृष्ठ पर बैनर–हेड–लाइन्स में मोटे-मोटे शीर्षक में लिखा है "डिसीडेंट्स ज्वाइन अपोजीशन वाक आउट"। उनका कहना है कि यह सत्य से बिलकुल परे है कि असन्तुष्ट गुट के लोगों ने विरोधी पक्ष के वाक आउट को ज्वाइन किया, उस समय तक किसी विरोधी पक्ष ने वाक आउट नहीं किया था और न करने का विचार ही प्रकट किया था और न हमारे सदन त्याग का विरोधी दल के किसी कृत्य से सम्बन्ध था। उन्होंने लिखा है कि यह हमारे विशेषाधिकारों पर कुठाराघात है। यह माननीय राजनारायण मिश्र तथा माननीय काजी जलील अब्बासी का है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

उन्होंने विरोधी दल के वाक आउट को लीड किया, यह सही है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह सही है कि माननीय कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में इन लोगों ने सदन का त्याग किया, इन पर मुकदमा चलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में "पायोनियर" पेपर के एडीटर का कन्ट्राडिक्शन आ गया है और उन्होंने मुझे लिख कर भी भेजा है...

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

मैंने भी उसे पढ़ा है। मगर उसका तो इलाज यह होगा कि पायोनियर वाले आप के पास अपालोजी भेजें।

श्री अध्यक्ष--

वह आयी है, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिन्दी में ही पढ़े दे रहा हूं। 'हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है कि हमारे पत्र के शीर्षकों में गलतियां हो गयी हैं। "पायोनियर" के अगस्त २५ की तारीख के संस्करण में। साधारणतया जो कार्यवाही का विवरण छपा है उसमें तो सभी बातें ठीक दी हुई हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश शीर्षक (हेडलाइन) गलत हो गया जिसमें हमने लिख दिया था "डिसीडेट्स ज्वाइन्ड अपोजीशन वाक आउट" और साथ ही साथ उस लेख में जो प्रथम पैरा था उससे भी गलत फहमी होती है। यह जल्दी की वजह से गलत हो गया है। हमने आज प्रातःकाल इसका परिमार्जन कर लिया है और उसको ठीक कर लिया है और मैं आप को विश्वास दिलाता हूं हमारी दरअसल कोई मन्शा दुर्भाव की नहीं थी"।

मैं समझता हूं कि इसके बाद इसे समाप्त किया जाय।

विस्थापित सुनारों के लड़कों की फीस माफी की धनराशि को शिक्षा संस्थाओं को न प्रदान किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय रामसुन्दर पांडेय की एक सूचना स्वीकार की है वह इस प्रकार है--

"स्वर्णनियन्त्रक कानून से प्रभावित सुनारों के पढ़ने वाले लड़कों के विषय में सरकार द्वारा गत वर्ष की फीस माफी से हुई क्षति पूर्ति की धनराशि शिक्षा संस्थाओं को अब तक नहीं प्रदान की गयी है जिसके कारण शिक्षा संस्थायें तो अधिक संकट में हैं, प्रदेश के हजारों सुनार छात्र इस वर्ष प्रभावित होते जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा संस्थाओं की क्षतिपूर्ति की धनराशि न मिलने के कारण उक्त जाति के, प्रभावित छात्रों पर फीस लगा दी है और फीस न देने के कारण शिक्षा संस्थाओं से उनके नाम काटे जा रहे हैं। इसके कारण उक्त जातियों के हजारों परिवार...."

मन्त्री जी, इस पर कब बयान दीजियेगा ?

विद्युत उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

मंगलवार को दे देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

(केशरीप्रसाद पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप सचेतक हैं और सचेतक का नियमों पर काफी ध्यान रहना चाहिए। मैंने एक नोटिस नियम ५२ में ले लिया। अब उस के अलावा जितनी नियम ५२ की सूचनायें आ गयी हैं, वह मन्त्री महोदय के पास जायेंगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, यह जो गेहूं में मिलावट की जा रही है और उसे सारे देश में बेचा जा रहा है, उसे जाफरगंज, जो लखनऊ की सीमा में स्थित है....

श्री अध्यक्ष--

विशेष ध्यान के लिए मन्त्री जी को भेजा जा रहा है। इसके अलावा, विशेष ध्यान के लिए माननीय चन्द्रजीत यादव तथा माननीय बालोजी अग्रवाल का भी भेजा जा रहा है।

कतिपय विषय

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने कल व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और मैंने आशा की थी कि आप उस पर कोई संशोधित व्यवस्था देंगे और यह कहेंगे कि जो मैंने प्रश्न उठाया उससे कोई व्यवस्था बनती है या नहीं बनती है। मैं अपने विवेक से जो प्रश्न रखता हूं मैं समझता हूं कि वह व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) . . . बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो आप कह देते हैं कि मैं समझ गया या . . .

श्री अध्यक्ष—

अब आप कहेंगे भी कुछ ?

श्री राजनारायण मिश्र—

हम यहां पर एक राजनीतिक दल से सम्बन्धित हैं जिसके कि हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है। दो-तीन दिन हुए यहां पर यह प्रश्न उठा था, दफा ५२ के अन्दर एक सूचना माननीय मैनेजर सिंह ने दी थी, मुझे उस दफा ५२ के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, मुझे एक शब्द के बारे में निवेदन करना है जो शब्द आप ने उस दिन कहा था जिस दिन कि इस सदन के कांग्रेस पार्टी के बहुत से माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया था, उसके कारण चाहे जो कुछ भी रहे हों, आपके द्वारा इस सदन में यह कह दिया गया कि उसम हाई कमान्ड भी है।

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय . . .

श्री राजनारायण मिश्र—

मेरी पूरी बात सुन ली जाय . . .

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो यह प्रसंग अभिलिखित नहीं होगा।

लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइव्ज कौंसिल के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

लोक लेखा समिति में श्री गेंदा सिंह के स्थान पर श्री श्रीराम तिवारी (उन्नाव) निर्वाचित हुये और उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित हुये हैं :—

(१) श्रीमती शकुन्तला नायर (बस्ती)।

(२) श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (बस्ती)।

(३) श्रीमती रामरती देवी (फैजाबाद)।

उत्तर प्रदेश नसज ऐण्ड मिडवाइव्ज काउन्सिल में निम्नलिखित दो सदस्य निर्वाचित हुये हैं:—

(१) श्री शिवचरण (आगरा)।

(२) राजा विजय कुमार त्रिपाठी (लखनऊ)।

विभिन्न सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आप ने शायद इस बात को देखा होगा कि हमने जो कामरोको प्रस्ताव है वह तीन बजे से रखा है। उसका कारण यह है कि श्री अशोक मेहता आ रहे हैं। उनका भाषण तिलक हाल में सवा पांच बजे से होगा। उनका विषय है रिसोर्सेज ऐण्ड टैक्सेज इन दि फोर्थ फाइव ईयर प्लान--साधन और कर चौथी पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार के हो सकते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

सरकार ने यह फैसला अभी कर दिया है कि जिला परिषदों को यह अधिकार होगा कि किसानों की मालगुजारी पर ५० पैसा फी रुपया के हिसाब से टैक्स लगावें तो...

श्री अध्यक्ष--

तो यह वहां पूछ लीजियेगा या यहां लेक्चर दीजियेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैंने कल आप से कहा था कि जो वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट है वह हिन्दी में छप कर हम लोगों को मिलनी चाहिए जिससे कि हम लोग उस की बहस में भाग ले सकें। बड़ा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, सरकार उसमें बहुत देर कर रही है। तो जरा आप यह जानकारी दिला दें कि कब तक वह छप जायेगी और कब तक सदन में आ जायेगी ?

टूंडला कालेज के छात्रों एवं यात्रियों के विषैले पदार्थ से मिलावटी भोजन खाने के फलस्वरूप बीमार पड़ जाने के संबंध में वक्तव्य

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

अध्यक्ष महोदय, गत १७ अगस्त को सबेरे लगभग साढ़े नौ बजे टूंडला, जिला आगरा, स्थित श्री बीरी सिंह इन्टर कालेज के सभी उपस्थित छात्रों में, कड़ुए तेल में तैयार किये गये बेसन के सेव व चने की दाल के सेवन के परिणामस्वरूप लगभग आध घंटे के अन्दर सिर दर्द, जी मतलाना, और उल्टी के लक्षण पाये गये। कुछ ही छात्रों को दस्त की शिकायत हुई, पर किसी छात्र को मरोड़ होने की अथवा ज्वर आने की सूचना नहीं मिली। लगभग सभी छात्र तीसरे दिन तक स्वस्थ हो गये थे।

संस्था ने मध्याह्न अल्पाहार योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों में वितरणार्थ उक्त खाद्य पदार्थ वहीं के स्थानीय बाजार से खरीदे थे। उसके नमूने लेकर जांच हेतु जन-विश्लेषक के पास भेज दिये गये हैं तथा रासायनिक परीक्षक के पास भेजे जा रहे हैं। आवश्यक परीक्षणों के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायगी। उक्त पदार्थ के लिए गल्ला किसी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से वितरित नहीं किया गया था।

गुजराती यात्रियों के किसी दल में इस प्रकार की घटना की सूचना नहीं मिली है।

इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सभी सम्भव कदम शासन द्वारा उठाये जा रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि इसमें कितने छात्र प्रभावित हुए ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

६४२ छात्र थे, सभी प्रभावित हुये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी देर से खड़ा हो रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता था कि बीरी सिंह कालेज के छात्रों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं हो सकते। केवल वक्तव्य होना था।

विधान सभा के सदस्य श्री मुहम्मद रफी खां की गिरफ्तारी संबंधी गलत खबर का निराकरण

श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आज के एजेन्डे के प्रश्न संख्या ४१ की तरफ में आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसमें यह पूछा गया है कि—"क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा, शाहजहांपुर को डी० आई० आर० में किस तारीख को गिरफ्तार किया गया था और क्या यह सच है कि वह जमानत पर छूटे हुए हैं ?" अध्यक्ष महोदय, इस मामले में, मेरे मुखालिफीन ने गलत खबर को उड़ाया है जिसको कान्ट्रैडिक्ट करने में मुझे परेशानी हो रही है। इस बारे में गवर्नमेंट का जवाब यह दिया गया है कि श्री मुहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा को डी० आई० आर० में गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं आप गवर्नमेंट से सही जवाब मालूम कर लें कि मेरी गिरफ्तारी हुई है या नहीं ?

विद्युत उपमन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, गिरफ्तारी नहीं हुई।

कतिपय विषय (क्रमागत)

श्री बलवानसिंह—

अध्यक्ष महोदय, क्या हाउस कल से बन्द हो रहा है ?

श्री बनारसीदास—

यह सूचना निराधार है। कल हाउस चलेगा।

श्री बलवानसिंह—

समय के बारे में ४ बजे फिर पूछ लीजिएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आडिट रिपोर्ट जो आज वापस हुई है उसके सम्बन्ध में आप कोई व्यवस्था सरकार से करा दें कि वह अब कब आएगी, उसका अनुवाद हिन्दी में जल्द होना चाहिए वर्ना जिस तरह से वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट पर इसलिए विचार नहीं हो रहा है क्योंकि उसका हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ। आज यह लेखा रिपोर्ट वापस हो गई इस से तो सरकार को और मौका मिल जायगा और बहुत महत्वपूर्ण बातों पर सदन में विचार नहीं हो सकेगा और पी० ए० सी० का काम रुक जायगा, अगर अनुवाद जल्द नहीं हुआ तो सदन अपने अधिकार से ही च्युत रह जायगा। अतः आप कोई समय निर्धारित कर दें कि जो भी पत्र अंग्रेजी में सदन में आयेंगे वह इतने समय के भीतर हिन्दी में सदन में फिर आयेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो अनुवाद हैं चाहे अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट का हो या आडिट रिपोर्ट का, वह मन्त्री जी शीघ्र करायें।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

यह रिपोर्ट तो काफी सदस्यों की मेज पर मौजूद है तो अब क्या यह पब्लिक डाकुमेंट हो गया या नहीं और इसका प्रयोग हो सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं हो सकता।

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

इस सम्बन्ध में हम प्रयत्नशील हैं और प्रयत्न किया जा रहा है कि शीघ्र अनुवाद हो कर वह सदन के सामने आ जाय।

श्री अध्यक्ष—

हम प्रयत्नशील हैं किन्तु यह तब हो सकेगा जब आप उस रिपोर्ट का एक-एक चैप्टर १५ आदमियों को बांट कर उसका अनुवाद करायें, अगर एक ही आदमी सारा अनुवाद करेगा तो ६ मास लग जायेंगे। इसलिए ज्यादा आदमियों को अलग-अलग चैप्टर बांट कर, जल्द ही उसका अनुवाद करा लें। इससे सहूलियत होगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मैंने भी पहले इसी तरह का वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के हिन्दी अनुवाद का प्रश्न सदन में उठाया था तो आप ने उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया बल्कि मुझे डांट भी दिया। अब उसी प्रश्न को माननीय चन्द्रजीत यादव ने उठाया तो मन्त्री जी से आपने उत्तर भी दिलवा दिया और अपनी सलाह भी दे दी, तो इस भेदभाव का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

आप को नाराज नहीं होना चाहिए, कभी-कभी हम ऐसा कर सकते हैं।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४

खण्ड २

२—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :

परिभाषायें

(क) "मध्यस्थ" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निबन्धक द्वारा उसको अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो,

(ख) "मध्यस्थ मण्डल" का तात्पर्य उस निकाय से है जो निबन्धक द्वारा उसको अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो,

(ग) "उपविधि" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) उपविधि से है,

(घ) "केन्द्रीय सरकार" का तात्पर्य भारतीय संघ की सरकार से है,

---

†२५ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही से।

(ङ) "प्रबन्ध कमेटी" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की ऐसी कमेटी से है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाय, जिसे धारा २९ के अधीन समिति के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो,

(च) "सहकारी समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी जाने वाली किसी समिति से है,

(छ) "सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके समापित होने (wound up) की दशा में, उसके ऋणों के लिए उसके प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस समिति की उपविधियों द्वारा निम्नांकित तक सीमित हो—

(१) सदस्यों द्वारा धारित अंशों की शेष धनराशि, यदि कोई हो, अथवा

(२) वह धनराशि, जिसका समिति की परिसम्पत्तियों (assets) में अंशदान देने का दायित्व उन सदस्यों ने लिया हो,

(ज) "असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" का तापर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसके सदस्य, उसके समापित होने की दशा में, उसके समस्त आभारों के लिए तथा समिति की परिसम्पत्तियों में न्यूनता पाए जाने पर उनमें अंशदान देने के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक के उत्तरदायी हों,

(झ) "सहकारी वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के पहले दिन से प्रारम्भ होकर अगले जून के तीसवें दिन समाप्त होने वाले वर्ष से है,

(ञ) "लाभांश" का तात्पर्य किसी [सदस्य की] सहकारी समिति की अंशपूंजी में [उसके] सदस्यों द्वारा धारित अंशों पर, उस (पूंजी) के लाभ से दिए जाने वाले व्याज से है, और अंशपूंजी पर दिया जाने वाला बोनस भी उसके अन्तर्गत है,

(ट) "वित्त पोषण बैंक (financing bank)" या "केन्द्रीय बैंक" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन सहकारी समितियों को रुपया उधार देना है जो उसके सदस्य हैं,

(ठ) "परिसमापक" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सहकारी समिति के कार्यों को समापित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है,

(ड) "अधिकतम दायित्व" का तात्पर्य उस अधिकतम धनराशि से है जो किसी सहकारी समिति द्वारा उधार ली जा सकती हो। इसके अन्तर्गत अंश पूंजी नहीं है,

(ढ) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी समिति के निबन्धन के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हुआ हो अथवा ऐसे व्यक्ति से है जिसे तत्समय प्रचलित ऐक्ट, नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे निबन्धन के पश्चात् सदस्य बनाया गया हो, किन्तु इस अधिनियम में कहीं पर भी किसी अधिकार के रखने या उसका प्रयोग करने अथवा किसी दायित्व या कर्तव्य के विद्यमान होने या निर्वहन करने

के सम्बन्ध में "सदस्य" के निर्देश के अन्तर्गत सदस्यों के किसी ऐसे वर्ग का निर्देश न होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण ऐसा अधिकार नहीं रखता या जिसका ऐसा कोई दायित्व या कर्तव्य न हो,

(ग) "सहकारी समिति का अधिकारी" का तात्पर्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति, सचिव, प्रबन्ध कमेटी के सदस्य, कोषाध्यक्ष, परिसमापक, प्रशासक अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से है जो पारिश्रमिक पर अथवा बिना पारिश्रमिक के समिति का कार्य करने अथवा उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए सहकारी समिति द्वारा नियोजित हो,

(त) "साधारण सदस्य" का तात्पर्य सहानुभूतिकर सदस्य से भिन्न, सहकारी समिति के ऐसे सदस्य से है जिसका इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार समिति के कार्यों में मत देने का अधिकार हो,

(थ) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है,

(द) "निबन्धक" का तात्पर्य धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन सहकारी समितियों के निबन्धक (रजिस्ट्रार) के रूप में तत्समय नियक्त व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त ऐसा व्यक्ति भी है जो निबन्धक के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करें,

(ध) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से है,

(न) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(प) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित सहकारी न्यायाधिकरण से है।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) की द्वितीय पंक्ति के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जायं :

"और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा धारा १४ के अधीन उपविधि में किए गए संशोधन भी हैं।"

श्रीमन्, जो परिभाषा बाई-लाज की या उपविधि की दी हुई है वह इस प्रकार है कि "उपविधि का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की तत्समय प्रचालित निबन्धित उपविधि से है।" इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी समिति रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिस फार्म में वह रजिस्टर हुई है उसी रूप में वह कार्य करेगी लेकिन धारा १२ (१) में यह दिया हुआ है :—

"सहकारी समिति इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियत रीति से अपनी उपविधियों का संशोधन कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संशोधन तब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह (संशोधन) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाय।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका मतलब यह है कि धारा १२ (१) के अनुसार बाई-लाज में अगर कोई भी संशोधन करना चाहे या संशोधन किया जाय तो जब तक वह रजिस्टर्ड न हो जाय तब तक वह बाई-लाज नहीं माना जायगा। इसके अतिरिक्त १४ (१) में भी यह दिया हुआ है कि किस तरीके से बाई-लाज में संशोधन होगा। १४ (१) में दिया हुआ है :—

"यदि सहकारी समिति के किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर या अन्यथा निबन्धक की यह राय हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन उक्त समिति के हित में, अथवा सार्वजनिक हित में, आवश्यक या वांछनीय है तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जायें, रजिस्ट्री डाक द्वारा समिति को लिखित आदेश जारी करके, समिति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त संशोधन ऐसे समय के भीतर करे, जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करे।"

तो धारा १४ में यह दिया हुआ है कि संशोधन जो समिति के हित में हो या इससे लाभ पहुंचने वाला हो, तो इस तरह के जो संशोधन होंगे वे रजिस्ट्रार के जरिए ही कराए जायेंगे और संशोधन हो जाने के बाद इस विधेयक के बाई-लाज की परिभाषा में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि जो अमेंडेड बाई-लाज हों, उनको स्थान दिया जा सके।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मद्रास के विधेयक की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसकी डेफिनेशन में यह दिया हुआ है कि:

"Bye-laws means the registered bye-laws for the time being in force and includes a reg stered amendment of the bye-laws."

तो उसमें यह दिया हुआ है कि कोई बाद में अमेंडमेंट हो उसकी भी इसमें व्यवस्था की गयी है। लेकिन हमारे यहां कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। अर्थात् आरम्भ में बाई-लाज का रजिस्ट्रेशन जिस फार्म में होगा वह ही माना जायगा। चूंकि यह एक प्रदेश का विधेयक है जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है इतना परिवर्तन करने के बाद वे बाई-लाज बाद में भी अमेंड हों वह भी इन बाई-लाज का पार्ट हो जायगा तो भविष्य में अगर कोई ऐसी एनौमली नहीं होगी जिससे आये दिन दिक्कत पैदा हो। अगर अमेंडेड बाई-लाज हों और उसमें कोई डिस्प्यूट हो तो यह कहा जा सकता है कि वे बाई-लाज का पार्ट नहीं है।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल पर बहुत थोड़ा समय निर्धारित किया गया है, तो अगर माननीय सदस्य इस पर विस्तृत रूप से बोलेंगे तो जो समय इसके लिये निर्धारित हैं उसमें यह समाप्त नहीं हो पाएगा।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय पांडेय जी इस सदन की व्यवस्था चलायेंगे या अधिष्ठाता जी चलायेंगे ?

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं और मैं अभी तक बैठा नहीं हूं। माननीय मन्त्री जी को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से किसी के भाषण में बाधा डालें।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मुझे एक सदन का सदस्य होने के नाते पूरा अधिकार है आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए।

श्री अधिष्ठाता—

मैं निवेदन कर दूं। मैं माननीय पांडेय जी का बहुत आभारी हूं कि जो उन्होंने मेरा ध्यान उपलब्ध समय की ओर आकर्षित किया है। आप स्वयं भी इस सीमा से अवगत हैं अत मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जो साहब उधर से कह गए कि वे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, क्या यह उचित है?

श्री अधिष्ठाता—

मेरी व्यवस्था पर आप कोई व्यवस्था नहीं दे सकते हैं।

श्री विजयसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यह विधेयक ६ करोड़ जनता के लिए है और जनहित को दृष्टि में रख कर उसके अनुसार हमने संशोधन पेश कर दिए हैं। मान्यवर, समय पर विशेष ध्यान दिया जायगा या विधेयक की महत्ता को देखा जायगा?

श्री अधिष्ठाता—

जो परामर्शदात्री समिति है और संभवतः आप भी उसके सदस्य हैं, उसने समय की एक सीमा बांध रखी है और उसी से हम व आप बंधे हुए हैं। इसलिए आप मेरे इस आग्रह को पुनः याद रखेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय कमलासिंह अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य हैं लेकिन वहां और यहां अन्तर पड़ जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

उनको आपको अलग से परामर्श देना चाहिए।

श्री मैनेजर सिंह—

आप हमारी भावना अध्यक्ष जी के यहां पहुंचा दीजिए कि जब अधिष्ठाता मण्डल के लोगों में दो राय हो सकती है हम साधारण सदस्यों के सामने, तब निर्णय करने में कठिनाई पैदा हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

संभवतः वह भूल गए हैं और अबकी दफा से याद रखेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी अगर इसको जल्दी से पास कर लेना चाहते हैं तो फिर बेहतर यह होगा कि इसको पढ़ दें और हाउस मंजूर कर ले। एक दिन में यह खत्म हो जायगा। इतना समय देने की जरूरत ही क्या है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसके लिए जो दिन नियत किए हैं उसके बाहर हम नहीं जायेंगे, उसके अन्दर ही हम अपने संशोधन करेंगे और उसके बाद जो बचेंगे आप सबको वाश आउट कर सकते हैं। जब ऐसी व्यवस्था है उस समय तक यह कहना कि कोई अपने विचार व्यक्त न करे तो यह उचित नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

*सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

ऐसी मंशा नहीं है। माननीय कमला सिंह ने स्वयं तजवीज की थी कि तीन दिन तक आम बहस चले। वैसे इस पर सामान्य विवाद दो दिन होना था और यह पहला अवसर है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीन दिन का समय इसमें लिया गया। यदि माननीय कमला सिंह जी चाहते हैं कि क्लाजेज पर इस पर ज्यादा बहस न हो तो जितना समय वह जनरल बहस पर लेना चाहें ले सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ३१ तारीख तक इस विधेयक को पास करना है और जैसा वह करना चाहें करें।

श्री मैनेजर सिंह—

बेहतर होगा कि अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य आपस में राय करके निर्णय दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैनेजर सिंह जी, परामर्शदात्री समिति का यह फैसला नहीं है। आपको स्मरण होगा सदन ने भी परामर्श दात्री समिति का जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ था उस पर एक प्रस्ताव इस सदन के द्वारा पारित हुआ था, लिहाजा यह सदन का निश्चय है। इसमें मन्त्री जी के पास समय है या नहीं है यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कमलासिंह यादव—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो समय इन सब बातों में लगाया गया है क्या उसकी क्षति-पूर्ति की जायगी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था नहीं अव्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मैनेजर सिंह—

सदन का निर्णय है यह तो ठीक है। लेकिन सदन के ऊपर अध्यक्ष हैं, जिस आसन पर कभी श्रीमन्, कभी माननीय कृष्णानन्द राय और कभी माननीय कमलासिंह यादव विराजमान होते हैं और उनका निर्णय अन्तिम होता है। अतः आप लोग तो सदन से भी ऊपर हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं ऐसा मानने से मजबूर हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

जो बातें मेरी थीं श्रीमन्, मैंने उनको रख दिया क्योंकि फ्यूचर में जिस तरह से बाई-लाज अमेंड होंगे और वह अमेंडेड बाई-लाज इसका पार्ट नहीं होंगे तब तक हर तरह की दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में ऐसे संशोधन कर दिए जायेंगे जैसा कि मैंने मद्रास ऐक्ट में से पढ़ कर सुनाया तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित होगा और कोई भी समय नहीं आ सकेगा कि ऐसी गड़बड़ी हो सके।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, उसके आशय से मैं पूर्णतया सहमत हूं लेकिन (ग) में जो लिखा हुआ है वह इस प्रकार है कि, "उपविधि" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) उपविधि से है।" इसलिए धारा १४ के अधीन जो संशोधन होगा वह भी तत्समय के अन्दर आ जायगा और इस सम्बन्ध में पूरी तरह से लीगल ओपीनियन ले ली है और माननीय सदस्य का आशय परिभाषा में आ जाता है। इस लिए इसकी जरूरत नहीं है।

श्री कमला सिंह यादव—

श्रीमन्, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) की द्वितीय पंक्ति के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जायं :

"और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा धारा १४ के अधीन उपविधि में किए गए संशोधन भी हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) की द्वितीय पंक्ति के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु ऐसी निबन्धित समितियों के सम्बन्ध में, जिनका खाता निबन्धक की स्वीकृति से दूसरी तिथियों से रखा जा रहा हो, ऐसी तिथियों पर ही वर्ष की समाप्ति समझी जायगी।"

श्रीमन्, जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है उनमें ८० फीसदी समितियों का वर्ष पहली जुलाई से शुरू होता है लेकिन कुछ ऐसी भी हैं, जिनका कार्यकाल दीपावली से शुरू होता है। अगर ऐसी समितियां रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो उनके लिए हर तरह की बाधा हो सकती है जब तक कि परिवर्तन न कर दें। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान मद्रास ऐक्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। इसके अन्दर जहां तक कोआपरेटिव ईयर का सवाल है, उसमें यह दिया हुआ है कि,

"Co-operative Year means the period commencing on the first day of the July of any year and ending with the 30th day of June of the succeeding year or, in the case of any registered society or class of registered societies, the accounts of which are made upto any other date with the previous sanction of the Registrar, the year ending with such date."

इसलिये ऐसी जो सोसाइटीज हैं जिनका वर्ष दीपावली से शुरू होता है या दूसरी तिथियों से शुरू होता है उनके लिये यह दिया हुआ है कि किस तारीख से वर्ष आरंभ होगा लेकिन इसमें नहीं दिया है। इसलिये ऐसी संस्थाओं को हम एकोमोटेड नहीं कर सकेंगे। इसलिये इसको मान लेने से मैं समझता हूं कि सहकारी समितियां जो बाद में रजिस्टर्ड होंगी और जिनका दीपावली से साल शुरू होता है वे भी अकोमोडेट की जा सकेंगी। इन्हीं विचारों से मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी उन सहकारी समितियों को जो भविष्य में रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, जैसा कि मैंने अभी बतलाया है, उसे मान लेंगे तो ज्यादा हित होगा।

श्री बनारसी दास—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश में जितनी सहकारी समितियां हैं, उनका कार्य वर्ष पहली जुलाई से ३० जून तक होता है। वार्षिक रिपोर्ट का संकलन होता है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। यदि पहली जुलाई के बाद में रजिस्टर्ड होने वाली सोसाइटियों का कार्य वर्ष पृथक-पृथक कर दिया जाय तो वार्षिक रिपोर्ट संकलन में कठिनाई होगी, रिजर्व बैंक को जो आंकड़े देने पड़ते हैं उनमें भी कठिनाई होगी। पृथक-पृथक वर्ष बनाने का मतलब है कि ३६५ दिनों में अलग-अलग दिनों में सोसाइटियां रजिस्टर्ड होंगी तो ३६५ अलग-अलग वर्ष हो गये। इससे आसानी होने वाली नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय कमलासिंह जी इस संशोधन को वापस लेंगे।

श्री कमला सिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी कानून बना रहे हैं। कानून सीमित नहीं होना चाहिये। मैं उसको विस्तृत करना चाहता हूं। हमारे संशोधन को पढ़ें। उसमें है "निबन्धक

की स्वीकृति से"। अगर आपका रजिस्ट्रार इस बात से सहमत हो तो उस वक्त ऐसा प्राविधान होना चाहिये जिसके अन्तर्गत ऐसी संस्थायें रजिस्टार हो सकें। इसलिये मैंने रखा है ताकि वर्षारम्भ की तिथि दूसरी होने के बावजूद भी सोसाइटियां रजिस्टर हो जायं। मैं आपको कंट्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। यह भी म नहीं कहता कि आप दुनिया भर की अनामली पैदा कीजिये। आपकी भावना ठीक है लेकिन म चाहता हूं कि आपका दायरा सीमित न रहे। ऐसी अवस्था में जब कि रजिस्ट्रार सहमत हो जाय तो ऐसी समितियों को भी मौका देना चाहिये। आप रूल में दे दें या कहीं दे दें।

श्री बनारसी दास—

अधिष्ठाता महोदय, अकेले रजिस्ट्रार निबन्धन का कार्य नहीं करते। उपनिबन्धक को भी वह पावर डेलीगेट करते ह। वह भी रजिस्ट्रार की तरफ से आदेश देंगे। रजिस्ट्रेशन में किसी सोसाइटी को आपत्ति नहीं होगी। जैसा अब तक होता रहा, हमारा आदेश होगा कि उनका कार्यकाल एक ही रखा जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

एनामिली यह है कि निबन्धक के आदेश से रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रार को सारी पावर इसमें है कि वह चाहें जिसका रजिस्ट्रेशन कराये और चाहें जिसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दे। मैं इसको गलत बयानी तो नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज मंत्री जी ने भ्रम पैदा करने वाली कही है, उसे सुधार दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड (२) के उपखंड (झ) की द्वितीय पंक्ति के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु ऐसी निबन्धित समितियों के सम्बन्ध में, जिनका खाता निबन्धक की स्वीकृति से दूसरी तिथियों से रक्खा जा रहा हो, ऐसी तिथियों पर ही वर्ष की समाप्ति समझी जाएगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड (२) के उपखंड (प) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (फ) रख दिया जाय—

"(फ) 'सहकारी कृषि समिति' का तात्पर्य ऐसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी कृषि समिति से है जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने, उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालन तथा पशुपालन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये अथवा उक्त प्रयोजन में किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिये व्यवस्था करना है।"

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, इस विधेयक के अन्दर चेप्टर ११ में सहकारी कृषि समिति के बारे में यह बात दी हुई है कि कृषि सहकारी समिति की हम किस तरह से योजना बनावें। जब तक इस विधेयक में यह परिभाषा न दी हुई हो कि कौन सी समितियां कृषि सहकारी समितियां कही जायेंगी तब तक जहां-जहां पर इस विधेयक के अन्दर सहकारी कृषि समितियों का नाम आया है, आदमी की समझ में नहीं आयेगा कि कृषि सहकारी समिति से क्या आशय है। इसलिये सहकारी कृषि समितियों की परिभाषा होना जरूरी है, इसलिये मैंने यह जोड़ा है। इन समितियों के बारे में काफी प्राविधान इस विधेयक में किया गया है और जिन-जिन चीजों का प्राविधान किया गया है उन सबको हमने इस परिभाषा के अन्तर्गत जोड़ लिया है,

[श्री कमलासिंह यादव]

सारी चीजें इस परिभाषा में कवर हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी भूल उधर से हो जाये, लेकिन सदन में वह भूल दूर न करना उचित नहीं है। इसलिये यह ऐसी बात नहीं है जो मंत्री जी को मालूम नहीं है, फिर भी यह आवश्यक है कि विधेयक में इसका जिक्र होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जिस रूप में मैंने परिभाषा को रखा है, उसी पूर्ण रूप में मंत्री जी उसे विधेयक के अन्दर रखने की कृपा करेंगे और संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री बनारसीदास—

अधिष्ठाता महोदय, सहकारी समिति की परिभाषा खंड (२), (च) के अन्दर दी गयी है जिसमें लिखा है "सहकारी समिति का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबंधित या निर्बन्धित समझी जाने वाली किसी समिति से है। यदि हम सहकारी समिति की व्याख्या करें तो फिर श्रम समिति, उपभोक्ता भंडार, इसके अलावा फेडरल बाडी की लिस्ट के अन्तर्गत जितनी सोसाइटीज दी गयी हैं उन सबकी व्याख्या करें और कितनी प्रकार की सहकारी समितियां हैं, कितने प्रकार की आगे होंगी उनके बारे में अभी कहना बड़ा कठिन है। इसलिये यह संशोधन अनावश्यक है। धारा ७७ के अन्तर्गत सहकारी समितियों के निबन्धन के सम्बन्ध में कहा गया है—जैसे मिलकर समिति के नाम से १० व्यक्तियों की एक सहकारी समिति हो या और कोई—समिति हो और फिर उनके कार्य के लिये लिखा गया है कि आगे वे क्या-क्या कार्य करेंगी। जैसे—कृषि, उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन आदि जितनी बातें माननीय सदस्य ने कही हैं वे सब धारा ७७ के अन्तर्गत दी गयी है। तो इसकी परिभाषा करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि यदि हम एक की परिभाषा करेंगे तो जितने प्रकार की समितियां हैं, और जितने प्रकार की समितियों की कल्पना हम कर सकते हैं उन सबकी परिभाषा करनी होगी। इसलिये मुझे यह यहां कोई संगत नहीं लगता है।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जिस बात को इंकार कर दिया तो फिर उसके लिये 'हां' करने वाले नहीं हैं। लेकिन ऐसा है कि मद्रास ऐक्ट के अन्दर अगर आप देखें तो उसमें भी यह लिखा हुआ है जहां कि सहकारी समितियों की परिभाषा दी गयी है। इसके अलावा बम्बई और पंजाब ऐक्ट के अन्दर भी यह दिया गया है। मैं इन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। उन चीजों को देख कर ही मैंने यह संशोधन रखा है लेकिन अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो न मानें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।....

श्री बनारसी दास—

आप बतलायें कि उससे लाभ क्या होगा ?

श्री कमलासिंह यादव—

इससे लाभ यह होगा कि जिस किस्म की सहकारी समिति होगी, जिनका कि वर्णन आपके इस विधेयक में किया गया है, उसके बारे में अगर कोई चीज आ जाय तो उस सहकारी समिति की डेफिनिशन को पढ़ने से मालूम हो जायगा कि किस सहकारी समिति के बारे में यह बात कही जा रही है। लेकिन केवल सहकारी समिति के रहने से यही मालूम होता है कि इसका सम्बन्ध केवल ऐग्रिकलचर से ही है। लेकिन यहां पर बहुत सी बातें दी गयी हैं, जैसे उद्यानकरण है, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करना, रेशम के कीड़े पालना तथा पशुपालन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये अथवा उक्त प्रयोजन में किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिये व्यवस्था करना है। तो जितनी चीजें हैं, परिभाषा ऐसी होनी चाहिये जो विस्तृत हो और सारी चीजें उसके अन्तर्गत कवर कर जायं। जो कांस्टीट्यूशन इस विधेयक का है उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं जो आपने लिखी हैं। इस विधेयक की परिभाषा को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इस विधेयक के अन्तर्गत आप क्या करने जा रहे हैं। इसलिये परिभाषा के लिये यह

जरूरी होता है कि वे चीजें जिनका कि प्राविधान इस विधेयक के अन्दर है उसकी परिभाषा अवश्य हो। इसलिये आप देखिये कि निबन्धक वगैरह की परिभाषा इसके अन्दर है। इसी ध्येय से इसको यहां रखा गया है। यह जरूरी है कि जितनी चीजें हैं सबकी परिभाषा होनी ही चाहिये। अगर आप इसका जिक्र अपने विधेयक में न करते तब तो बात दूसरी थी लेकिन जब आपने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की परिभाषा का जिक्र किया है तो जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की परिभाषा तो इस वक्त खत्म हो गयी है। अगर इस विधेयक के अन्तर्गत सहकारी कृषि समिति आदि की परिभाषा न हो तो मैं समझता हूं कि भगवान ही हम लोगों की मदद कर सकता है।

श्री बनारसीदास—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि माननीय कमला सिंह जी वकील होकर भी ऐसा संशोधन पेश कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने की बात होनी चाहिये। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी के पास पुराने किस्म का ट्रैक्टर है, या हल है तो क्या उसका नाम सहकारी समिति में निबन्धित न किया जाय। धारा ७७ के अन्तर्गत सारी चीजों की परिभाषा की गयी है, किसी को कोई बात कहने की गुंजायह नहीं है जिससे गलतफहमी पैदा हो। जब सारी चीजें इसके अन्दर मौजूद हैं तो क्या यह जरूरी है कि आधुनीकरण की अलग वाख्या की जाय, और पुराने ढंग से खेती करने वालों की अलग व्याख्या की जाय? इस तरह से सब की अलग-अलग परिभाषा नहीं हो सकती है, इसलिये मैं बहुत मजबूर हूं इसको मानने में।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (प) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (फ) रख दिया जाय—

"(फ) 'सहकारी कृषि समिति' का तात्पर्य ऐसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी कृषि समिति से है जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने, उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालन तथा पशुपालन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये अथवा उक्त प्रयोजन में किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिये व्यवस्था करना है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद पीठासीन हुये।)

श्री विजय सिंह (जिला जालौन)—

अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के अन्त में उपखंड (फ) और निम्न रूप में जोड़ा जाय—

"(फ) 'सहानुभूति कर सदस्य' का तात्पर्य उनसे है कि जो सहकारी सिद्धान्तों में अभिरुचि रखते हैं तथा सक्रिय सहयोग देकर भी सदस्य नहीं हैं।"

इस खंड में इस विधेयक में आने वाले सभी प्राविधिक शब्दों की परिभाषा है। किन्तु खंड १८(२) में जिस सहानुभूति कर सदस्य का वर्णन है उसके लिये जो शब्द हैं वह केवल एक प्रक्रिया ही बताते हैं लेकिन वास्तविक परिभाषा नहीं है। इस खंड में तीन प्रकार के सदस्य हैं सहानुभूति कर सदस्य, नाम मात्र सदस्य और सम्बद्ध सदस्य। साधारण सदस्य की परिभाषा तो खंड (२) (ढ) में दी गयी है। नाम मात्र सदस्य और सम्बद्ध सदस्य की परिभाषा की आवश्यकता नहीं है वह उसी से कवर हो जाती है। लेकिन अगर सहानुभूति कर सदस्य की परिभाषा नहीं रखी जाती है तो उसकी केवल प्रक्रिया मात्र ही रह जाती है और वह परिभाषा नहीं बनती है। अगर परिभाषा के रूप में इस सदस्य का वर्णन हो जाय तो ज्यादा लाभकर होगा।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, परिभाषा "सदस्य" की तो २(ढ) के अन्दर दी ही गयी है। "सहानुभूति कर सदस्य" के लिये तो १८(२) में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। उसके लिये यहां नियम में परिभाषा देना अनावश्यक है।

श्री विजय सिंह—

श्रीमन्, म तो पहले ही समझ रहा था कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे हालांकि यह विधि की दृष्टि में बहुत ही आवश्यक है। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगा कि एक एस० डी० एम० है उसके लिये यह लिख दिया जाय कि वह इस प्रकार से डी० एम० हो सकता है लेकिन डी० एम० क्या है उसकी परिभाषा भी तो होनी चाहिये। इसी तरह से सहानुभूति कर सदस्य की प्रक्रिया तो १८ (२) में है लेकिन परिभाषा नहीं है। इसका होना आवश्यक है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी उपयुक्त नहीं समझते हैं तो मैं इसे वापस लिये लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (प) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (फ) रख दिया जाय—

"(फ) भूमि विकास बैंक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हो और जो किसी भूमि विकास बैंक का कार्य कर रही हो और जो अपने सदस्यों को सामान्यतया भूमि के सुधार और कृषि से सम्बन्धित अन्य उत्पादन प्रयोजनों के लिये चल अथवा अचल सम्पत्ति के बन्धक पर अल्प तथा दीर्घकालीन ऋण देती हो"।

श्रीमन्, जहां तक सहकारी समिति का सवाल है इसके अन्दर भूमि बैंक नहीं हो सकता। भूमि विकास बैंक के लिये एक विधेयक इस सदन ने खुद बनाया था जिसका नाम था उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि बिकास बैंक, १९६४। इसको सरकार ने बनाया था। जहां तक इस विधेयक की धारा ८६ का सम्बन्ध है उसमें यह दिया है कि 'ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, सहकारी कृषि समिति राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के प्रयोजन के लिये अपने द्वारा अपने नाम से धारित किसी भूमि को, बिना कब्जा दिये हुये और सम्बद्ध सदस्यों से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् धारा ७९ की उपधारा (१) के अधीन अपने सदस्यों द्वारा अंशदान के रूप में दी गई भूमि को बन्धक रख सकती है, भले ही ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो। जहां तक इस विधेयक का सवाल है और भूमि बिकास बैंक अधिनियम की बात है, उसमें अन्तर है। उसके अनुसार यदि हमें अपनी भूमि को बन्धक रखना पड़ेगा तो हमको कब्जा देना पड़ेगा। क्योंकि भूमि विकास बैंक में परिभाषा इस तरह से दी है कि "भूमि विकास बैंक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में उस समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन अनुबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जो राज्य भूमि विकास बैंक के सदस्य के रूप में स्वीकृत की गई हो और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को सामान्यतया भूमि के सुधार और कृषि से सम्बन्धित अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिये अचल सम्पत्ति के बन्धक पर ऋण देना है।"

इसमें यह दिया है कि अचल सम्पत्ति को वह मार्टगेज करता है तो उसको तब ऋण मिलेगा जब वह उस पर कब्जा दे देगा। यह इसमें दिया है। अगर वह कब्जा नहीं देता है तो भूमि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास बैंक उसको ऋण नहीं दे सकता है। इसका नतीजा यह हुआ कि इस भूमि विकास बैंक की परिभाषा के अनुसार सहकारी समिति को कब्जा देने के बाद ही ऋण मिल सकता है। अगर हम इसकी परिभाषा को नहीं देते और ऐसे बैंक को हम इसमें शामिल नहीं कर देते तो इससे बढ़कर घातक और कोई चीज नहीं हो सकती है। अगर मेरी बात को सुनने के बाद उनकी वही जिद रहती है जो पहले थी तो मुझे कुछ कहना नहीं है। एक बात मैंने माननीय मंत्री जी से शुरू में ही कही थी कि आपको विधेयक विस्तृत बनाना चाहिये। अगर सहकारी समिति रजिस्टर्ड है तो उसका फायदा सब कोई उठा सकें इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। आप इस विधेयक द्वारा सहकारी समितियों का खात्मा करने जा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि पजेशन नहीं देंगे और एक जगह है कि पजेशन दे कर ही रुपया मिल सकता है। हंसना और गाल फुलाना, दोनों ही काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? अगर माननीय मंत्री जी इस बात को न समझें तो यह देश का दुर्भाग्य है। यह चीज ऐसी है कि इस चीज पर रिट लाया जा सकता है। इसलिये मंत्री जी को इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरह से रहने से यह चीज हास्यास्पद हो जायगी। इसलिये इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

*श्री बनारसी दास—

माननीय कमलासिंह जी ने जो मेहनत की है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि जितनी सूक्ष्म उनकी बुद्धि है वह मुझ तक पहुंच नहीं पाती और न विधि के अधिकारी ही उनकी बात समझ पाते हैं। सवाल यह है कि हमारे प्रदेश में अधिनियम ६४ के अनुसार भूमि विकास बैंक कायम हैं और उसके अनुसार तमाम प्रदेश में भूमि विकास का कार्य हो रहा है जिसमें भूमि को मार्टगेज करके पैसा दिया जाता है। इसमें धारा १२९ के द्वारा यह अधिकार दिया गया है रजिस्ट्रार को कि निबंधक बैंकिंग का कार्य करने वाली किसी सहकारी समिति को ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन तथा ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिये अनुज्ञा देने के निमित्त सक्षम होगा, यानि भूमि विकास के कार्य के लिये रजिस्ट्रार सक्षम है। तदुपरान्त उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित सहकारी भूमि विकास बैंकों से संबद्ध किसी विधि के उपबंध भी ऐसी सहकारी समिति पर प्रवर्तित होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो नियम कार्य करने के, ऋण देने के भूमि विकास बैंक से सम्बन्धित शाखाओं पर या सोसायटीज पर लागू होगें वह उस पर भी लागू होंगे। परिभाषा भी इसमें दी गई है। तो यह कहना कि वहां भूमि को बन्धक रखने पर ऋण मिलता है। यहां बिला बन्धक रखे ही मिल जायगा, समझ में नहीं आता। इसके अलावा आप अल्प कालीन और दीर्घ कालीन ऋण की बात करते हैं। भूमि बन्धक बैंक तो दीर्घ कालीन ऋण के लिये ही काम करता है और दूसरी सोसाइटीज या यू०पी० कोआपरेटिव बैंक शार्ट टर्म लोन के लिये काम करता है। तो यह परिभाषा भी मेल नहीं खाती और इससे एक उलझन पैदा हो जायगी। कमलासिंह जी का जो आशय है उससे मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन उनकी बात मान लेने से उलझन बढ़ जायगी।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी ने जो परिभाषा की बात कही उसी ने सारा भ्रम पैदा किया है। उन्होंने कहा कि सहकारी समिति के अन्तर्गत जितनी सहकारी समितियां हैं, सब कवर हो जायंगी। तो श्रीमन्, जहां तक भूमि प्रबन्धक समिति का संबंध है उसे मंत्री जी ने पढ़ा है, उसके अन्दर एक कांट्रेडिक्टरी बात है। जैसा मैंने बतलाया पजेशन हमें देना होगा और यहां पजेशन देने की बात नहीं है। भूमि विकास से संबंधित जो विधेयक बनाया जा रहा है वह भी है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

उसमें भूमि बैंक भी हैं। तो दोनों तरह की सहकारी समिति बनाना मैं उचित नहीं समझता। या तो भूमि विकास बैंक पर ही छोड़ दीजिये कि वहीं से रुपया ले और यह करना कि भूमि विकास बैंक से भी ले सके और सहकारी समिति से भी ले सके, उसमें गड़बड़ होगी। मैं यह नहीं कहता कि इन शब्दों में ही रख लीजिये, लेकिन हमारे प्राविधान में पजेशन और नान-पजेशन दोनों सवाल हैं और दोनों कांट्रेडिक्टरी चीजें हैं। जो बैंक पजेशन लेकर कब्जा लेता है अगर उसको हम इसके अन्दर लाना चाहेंगे तो इसके अन्दर नहीं ला सकेंगे। सहकारी समिति के लिए आपने कहा है कि हर एक इसके अन्दर आ जाय। फिर भूमि विकास बैंक इसके अन्दर नहीं आ सकते। आप ने एक भ्रम पैदा कर दिया है कि सहकारी समितियां सब इसके अन्दर रजिस्टर्ड होंगी। भूमि विकास बैंक तो अलग चीज है और सहकारी समितियां हम इस विधेयक के अन्तर्गत बनाने जा रहे हैं। वह इसकी डेफिनीशन में नहीं आता है। "सहकारी समिति का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबंधित....." यानी जो इस विधेयक के अन्तर्गत बनायी जायं। वह इस अधिनियम के अधीन निबंधित नहीं है। इस प्रकार का विधान रखने और भ्रम पैदा करने से तो यह बिल रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक हैं। अगर मंत्री जी चाहें तो स्वीकार करें वरना न करें। मैं तो कहूंगा कि वह जरा ला डिपार्टमेंट को भी कसंल्ट कर लें। मैं यह नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। एक एतराज मैंने रख दिया। पहले ही कहा जाता था कि अंगूठा-टेक हैं। मैं नहीं चाहता कि बाहर जा कर हंसी हो। हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर पास होने के बाद अगर कोई चीज आती है तो हम लोगों को भी अफसोस होगा।

श्री बनारसी दास—

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि अगर कमलासिंह जी यह संशोधन रखते कि भूमि विकास बैंक की परिभाषा दे देते कि भूमि विकास बैंक का तात्पर्य सन् १९६४ के अधिनियम से है, तो मैं समझ सकता था।

श्री कमलासिंह यादव—

आप जिस रूप में चाहें सुधार कर लें।

श्री बनारसी दास—

इस रूप में आप भूमि विकास और सुधार बैंक की परिभाषा करना चाहें और शामिल कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तात्पर्य सन् १९६४ के अधिनियम के अनुसार उसको बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो बात कही गयी है यह ठीक नहीं है। १२९ धारा में तो यह साफ कह दिया गया है कि अगर कोई साधन सहकारी समिति या अन्य समिति इस तरह का कार्य करना चाहे तो रजिस्ट्रार उसको अनुमति दे सकता है, लेकिन इस तरह का विशेष कार्य जो भूमि विकास बैंक करता है तो उस अधिनियम के जितने उपबंध, नियम आदि होंगे वह लागू होंगे। जो बाइलाज आदि होंगे उनको देखना रजिस्ट्रार का फर्ज होगा। माननीय कमलासिंह जी चाहें तो इसे इस प्रकार संशोधित कर सकते हैं कि "१९६४ के उत्तर प्रदेश विकास बैंक अधिनियम" इन शब्दों में रख सकते हैं।

अधिष्ठाता—

तो संशोधित रूप में स्वीकार है आपको ?

श्री बनारसीदास—

हां, अगर वे इसकी परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार रख सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

किसी रूप में भी रख लें, वह तो मैंने कह दिया है, जैसे भी वह ठीक समझें उसे रख दें।

श्री बनारसीदास—

उसको ऐसा रखा जा सकता है कि भूमि विकास बैंक का तात्पर्य सन् १९६४ के भूमि विकास अधिनियम से है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (प) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (फ) रख दिया जाय—

"भूमि विकास बैंक से तात्पर्य ऐसे बैंक से है जो उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, १९६४ की धारा २ की उपधारा (ग) में परिभाषित है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (फ) के अन्त में निम्नलिखित उपखंड (ब) रख दिया जाय—

"(ब) "सहकारी क्रय-विक्रय समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सामानों के क्रय-विक्रय बिला किसी मध्यस्थ के उसका उचित मूल्य दिलाने तथा उनके उपयोग से सम्बन्धित वस्तुओं को उचित मूल्य पर दिलाने की व्यवस्था करनी हो।"

श्रीमन्, अब एक सहकारी समिति या इसकी परिभाषा के रूप में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वीडन में भी श्रीमन्, क्रय-विक्रय समितियां ऐसी हैं जहां पर ऐसा प्राविधान है। जितनी न्याय पंचायतें हैं वहां पर उन्होंने ऐसी क्रय-विक्रय समितियां रक्खी हैं और मध्यस्थ जो आज तक रक्खा है उसके खत्म करने की कोशिश की गई है क्योंकि आज जो एक तरफ बड़े लोग या धनवान लोग या पूंजीपति हैं जो एक तरह से व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार के मुकाबले में जो गरीब जनता है जो खुद अपना उत्पादन करती है और उस उत्पादन के बावजूद भी उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती है या जितना उसको कीमत पानी चाहिये वह उसको प्राप्त नहीं कर सकती। तो ऐसी हालत में जब अपने प्रदेश में हम देख रहे हैं कि भूमि ऐसे लोगों के हाथ में है जो भूमि जोतना नहीं चाहते परन्तु उसके विपरीत ऐसे लोग हैं जो भूमि जोतते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं वे नंगे-भूखे हैं, उन पर लगान ज्यादा है और उन्हीं पर मालगुजरी की वसूली और तकावी की वसूली हो रही है। इसलिये वे अपनी चीज को सस्ते दामों पर बेच देते हैं। श्रीमन्, इतने परिश्रम से पैदा करने के बाद वे मजबूरी की परिस्थिति में पड़ जाते हैं और सस्ते भाव पर अपने गल्ले को बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस प्रदेश के अन्दर ऐसी व्यवस्था की जाय कि हर न्याय पंचायत में ऐसी समितियां हों जहां पर कोई भी किसान जिसके पास गल्ला है वहां गल्ला रख दे और उस समिति का यह काम होगा कि गल्ला इस तरीके से अगर ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकट्ठा हो तो चाहे सरकार से रुपया लेकर सरकार के माननीय मंत्री को दे दे और ज्यादा से ज्यादा रुपया जो इकट्ठा हो वह उन किसानों में बांट दे जिसकी वह चीज हो। इसके बाद स्वीडन में यह व्यवस्था है कि जब प्रदेश के अन्दर देखा जाता है कि कहां पर भाव गिर रहा है तो उस सामान को भेजकर या बेचकर अच्छी से अच्छी कीमत लेने की व्यवस्था होती है और जितने लोग ऐसी समितियों के मेम्बर होते हैं उनमें एक रूप से उसी रेट से रेटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इससे जब भी किसान का सामान बिकेगा, जितना प्राफिट आयेगा, वह हर एक को मिलेगा। दूसरी चीज यह है कि उपभोक्ता की जरूरत की सामग्री के लिए भी ऐसी व्यवस्था होती है कि मार्केट में जो भाव है उस पर खरीद कर समिति लाती है और उसके बाद उपभोक्ताओं को थोड़े से प्राफिट और कभी-कभी नो-प्राफिट नो-लास पर भी कहीं-कहीं वह डिस्ट्रीब्यूट करती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

है। तो इस तरीके की संस्था की इस प्रदेश के अन्दर भी जरूरत है क्योंकि यहां गरीब किसान बहुत ज्यादा है। तो चूंकि रुपये पैसे की कमी है और उन पूंजीपतियों से कम्पटीशन करने के लिये यह सहकारी समितियां निर्माण की गई हैं इसलिए ऐसी सहकारी समितियां हर न्याय पंचायत में होंगी तो उनका भी काम यही होगा और वह उन गरीबों और निर्बलों की दिक्कतों को दूर कर सकेंगी। इसके साथ-साथ माननीय पांडेय जी को और माननीय नेगी जी को भी इससे मदद मिलेगी उन को मदद इस तरीके पर मिलेगी कि हर न्याय पंचायत के अन्दर जितना उत्पादन होगा उसकी ठीक तरीके से जानकारी उनको हो सकेगी कि इतना उत्पादन इस न्याय पंचायत के अन्दर हुआ है और फिर वह देख सकते हैं कि जो उत्पादन हुआ है वह उन लोगों को खिलाने-पिलाने के लिए ही काफी है तब तो उसे बाहर भेजने की जरूरत नहीं है और अगर उससे ज्यादा है तो उसको दूसरी जगह भी वह भेज सकते हैं। इस तरह से एक तो सहकारी समितियों का जो निर्बल आदमियों की मदद करने का ध्येय है, वह पूरा हो जाता है, दूसरे जो आदमी उत्पादन करते हैं उनके उत्पादन का उचित मूल्य उनको मिल जाता है और तीसरी चीज यह है कि किस न्याय पंचायत के अन्दर कितना उत्पादन किस चीज का हुआ है, कितने की वहां और जरूरत होगी या कितना वहां से बाहर भेजा जा सकता है, इसकी सही-सही जानकारी सरकार को होती रहेगी। इस तरीके पर तीन-चार फायदे सरकार को हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे तो सहकारी समितियों का वाकई जो लक्ष्य है वह पूरा होगा। कोई भी प्रोपेगेंडा वर्क हमारे यहां नहीं होता है। यह हमारी बहुत बड़ी कमी है, प्रोपेगेंडा का जो विभाग है वह ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। अगर वह प्रोपेगेंडा विभाग अपने ध्येय को ले कर चले और यह देखे कि समितियां किस तरीके पर चलें तो सहकारी समितियों की काफी उन्नति की जा सकती है और इसका लक्ष्य पूरा हो सकता है। गरीब और निस्सहाय आदमी इसका भलीभांति उपयोग कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इसको रख रहा हूं। अगर इसमें भी माननीय मंत्री जी को कोई संशोधन करने की जरूरत हो तो कर लें लेकिन मेरा जो ध्येय है उसको माननीय मंत्री जी किसी न किसी रूप में अपने कानून में रखने की व्यवस्था करें। आज हम पूछते हैं कि कहां पर कितना गल्ला पैदा हुआ तो बिलकुल गलत और भ्रामक सूचना हमारा सांख्यिक विभाग देता है। ईमानदारी की बात है कि किसी को पता नहीं है, सप्लाई विभाग से पूछते हैं तो वह कहते हैं कि कृषि विभाग बतावेगा और कृषि वाले कहते हैं कि दूसरे विभाग बतावेंगे। एक-दूसरे के कंट्रेडिक्शन में सब बातें करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका निरूपण ठीक करने के लिये और सहकारी समितियों के लक्ष्य की पूर्ति के लिये आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही की जाय जिसका सुझाव मैंने रखा है।

*श्री बनारसीदास—

अधिष्ठाता महोदय, क्रय-विक्रय समिति की परिभाषा इसमें शामिल करने के लिये माननीय सदस्य ने इतना लम्बा भाषण किया, मैं उस में कोई संगत नहीं पा सका। माननीय सदस्य ने अगर बाई-लाज की किताब को देखा हो जो वह इससे करीब-करीब दुगुनी है। अगर सबकी परिभाषा दी जाय कि हाउसिंग सोसाइटी क्या होगी, रिक्शा पुलर्स सोसाइटी क्या होगी, लेबर या फारेस्ट सोसाइटी क्या होगी, प्रोसेस यूनिट क्या होगी, तो बाई-लाज का क्या लाभ होगा? माननीय कमलासिंह जी धारा ७ में देखेंगे कि इसमें रखा गया है कि प्रस्तावित समिति के उद्देश्य धारा ४ के अनुसार हैं और धारा ४ में लिखा है कि लोक सदाचार शिष्टता तथा भारत के संविधान में प्रतिपादित राज्य की नीति के संगत निदेशक तत्वों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हित की उन्नति, लाभ की भावना को विनियमित तथा निर्बन्धित करना, मितव्ययिता पारस्परिक सहायता तथा स्वावलम्बन को बढ़ाना, स्वैच्छिक सदस्यता, और समिति का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोकतांत्रिक संघटन। कोई समिति जो इस ऐक्ट के मातहत होगी उसका नाम, क्रय-विक्रय है, उपभोक्ता है या कोई और हैं धारा ४ के मूलभूत इस धारा के अनुसार उसके बाई-लाज अगर नहीं हैं तो रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर नहीं करेगा। तो क्रय-विक्रय समिति का सवाल इस विधेयक में कहीं नहीं आया है और परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। अगर परिभाषा करने बैठें तो ५०० परिभाषाएं करनी पड़ेंगी और साल भर उन पर विचार करने में सदन को लग जायगा।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं चाहता हूं कि मेरी भावना को किसी भी रूप में मंत्री जी रख दें। बाई-लाज में ही रख दें।

श्री बनारसी दास--

जो आपने कहा है, एक-एक शब्द बाई-लाज में मौजूद है।

कुछ सदस्य--

फिर इस संशोधन की जरूरत नहीं है। वापिस ले लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव--

सबकी राय है तो मैं संशोधन वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।)

श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड २ के उपखन्ड (फ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखन्ड (ब) जोड़ दिया जाय :--

"(ब) 'गन्ना उत्पादक सहकारी समिति' का तात्पर्य कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट १९१२, के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों तथा फेडरेशन द्वारा उत्पादित गन्ने का क्रय तथा विक्रय उनके लाभ के लिये आरक्षित क्षेत्र में फैक्ट्री तथा खन्डसारी मिलों से करती हो।"

श्री बनारसी दास--

इस शब्द का प्रयोग भी इसमें कहीं नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--

पेज ६८ पर देखें। उसमें यह है कि खंड (द) के वर्तमान उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--(१) जो गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति के कार्य के विषय में संस्था और फैक्ट्री या गन्ना उत्पादक और फैक्ट्री के बीच में हो। तो इसलिए मैंने रखा है कि इसका कहीं जिक्र नहीं है।

कुछ सदस्य--

इसकी भी जरूरत नहीं है, वापिस ले लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव--

अच्छा, तो मैं इसे भी वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड--३

निबन्धक

३--(१) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियों का निबन्धक नियुक्त कर सकती है।

(२) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निबंधक को सहायता देने के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है और सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को निबन्धक के सभी अथवा कोई अधिकार प्रदान कर सकती है ।

*श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "किसी भी व्यक्ति को" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जावें:--

"किसी व्यक्ति को जो सहकारिता विशेषज्ञ हो अथवा सहकारिता संबंधी कार्यों में रुचि तथा अनुभव रखता हो।"

श्रीमन्, अभी तक यह देखा गया है कि विदेशों में हमारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है और वापिस लौटने पर जिस विभाग की ट्रेनिंग वह लेकर आता है उस में न रख कर दूसरे में रख दिया जाता है। जब किसी को विशेषज्ञ बनाने में जनता का रुपया खर्च करते हैं तो हमारा धर्म हो जाता है कि उसे उसी विषय का काम दें और उसके विशेष ज्ञान का जनता को लाभ हो। निबन्धक की जिस तरह से यहां परिभाषा दी गई है और उसकी मदद के लिये जो लोग आवेंगे उसमें बड़ी दिक्कत होती है। इस विभाग में बराबर असन्तोष फैल रहा है कि विभाग के कर्मचारियों को अवसर नहीं मिलता है कि वे आगे बढ़ सकें और निबन्धक के स्थान तक वे पहुंच सकें। मैं यह नहीं कहता हूं कि जो लोग इस समय हैं वे निकम्मे हैं। मैं चाहूं कि निबन्धक ऐसे आदमी को बनाया जाय जो सहकारिता का एक्सपर्ट हो, उसके कार्यों में रुचि रखता हो। मेरा संशोधन मानने से ऐसे लोग इस विभाग में नहीं आ सकेंगे जिनको सहकारिता से रुचि नहीं है। आप जरबदस्ती किसी से काम नहीं ले सकते। बाई-लाज में यें सब चीजें दी नहीं जाती हैं। अगर माननीय मंत्री जी रखे हों तो बता दें। अगर ये तीन गुण, सहकारिता का विशेषज्ञ, उसमें रुचि और अनुभव, हमारे रजिस्ट्रार में होंगे तो माननीय भीखालाल जी ने जो भावना व्यक्त की थी उसे कहने की जरूरत नहीं होगी। अपनी रुचि से वह दूसरों में सहकारिता की प्रेरणा ला सकेंगे। इसकी एक धारा में यह दिया हुआ है कि यह विभाग, जैसे इनफर्मेशन विभाग है, लोगों को ट्रेन करता है। तो हमारे इस विभाग में ट्रेनिंग की अवश्य व्यवस्था हो जहां पर हम अपने कर्मचारियों को ट्रेन कर सकें। आज जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वह केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। कोई भी सहकारी समिति अपनी रुचि का आदमी मांगती हैं लेकिन यहां से विभाग अपनी रुचि का आदमी भेज देता है जिसका नतीजा यह होता है कि वह समितियां फेल होती जा रही हैं। इसलिये किसी वजह से बाहरी आदमी के आ जाने से दिक्कत पैदा हो जाती है। आशा है कि मननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, खंड ३ में जो संशोधन हैं वे मौलिक हैं और एक से हैं। इसलिये उन सब संशोधनों को एक साथ रखा हुआ मान लिया जाय और उन पर माननीय सदस्यों के भाषण हो जायं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मैनेजर सिंह जी का सुझाव ठीक है। खंड ३ में जो एक से संशोधन हैं वह सब एक साथ रखे हुए समझे जायं।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं भिन्न राय रखता हूं। ९ (क) में जो संशोधन है वह दूसरे प्रकार का है। वह इसमें आता है। इसी प्रकार और भी आगे के संशोधन हैं।

श्री अधिष्ठाता--

हां, उनका उद्देश्य अलग हो गया है। ९ तक के जो संशोधन हैं वह एक से हैं, अतः वे एक साथ लिए जायेंगे। बाद में माननीय मंत्री जी का वक्तव्य हो जायगा।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, मुझे उस पर कुछ विशेष कहना नहीं है....

श्री अधिष्ठाता--

पहले आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर दें।

श्री फूलसिंह--

मैं समझा था कि वह आपने रखा हुआ मान लिया। मैं उसे अब रखे देता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ (१) की प्रथम पंक्ति के शब्द 'भी' और 'व्यक्ति' के बीच शब्द 'ऐसे' रख दिया जाय तथा पंक्ति २ के अंतिम शब्द 'है' के बाद विराम हटा कर निम्न-लिखित जोड़ दिया जाय :--

'जिसे सहकारिता आन्दोलन का कम से कम चार साल का अनुभव हो।'

मैंने जो यह संशोधन रखा है वह दरअसल वही है जो माननीय कमला सिंह ने रखा है लेकिन उसमें कोई मापदंड नहीं आया है। कितनी रुचि हो, कौन विशेषज्ञ समझा जाय यह बात उसमें नहीं आयी। इसलिये मैंने उस को ४ साल का अनुभव, रख दिया है। वह ३ साल भी रखा जा सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति को रखा जाय जो उस महकमे में इतने वर्षों तक रह चुका हो। क्योंकि नये-नये व्यक्तियों के आ जाने से कभी-कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक व्यक्ति सप्लाई विभाग से आये। उन्हें पता नहीं था कि डिब्लर क्या होता है। वी० एल० डब्ल्यू० इस बात को जानता था कि उन को यह पता नहीं है। सामने अच्छी फसल थी, उसने कहा कि कितना अच्छा डिबलर है। उन्होंने जवाब दिया अच्छा है। उसने कहा बड़ा अच्छा है, उस को नहीं मालूम कि डिब्लर क्या होता है, किस चीज का नाम है। तो नये व्यक्ति से महकमे में आने से गलती होने का खतरा है। इसी को दूर करने के लिये मैंने यह प्रस्ताव संशोधन का रखा है।

श्री भोखा लाल (जिला उन्नाव)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के अन्त का पूर्ण विराम हटा कर कामा रख दिया जाय और उसके बाद निम्न वाक्य जोड़ दिया जाय:

[श्री भीखा लाल]

"जिसे सहकारिता आन्दोलन में विश्वास हो, सहकारिता के कार्यों में रुचि हो और सहकारिता आन्दोलन का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।"

मैं शायद यह संशोधन पेश न करता लेकिन जैसा कि मैंने सामान्य विवाद के अवसर पर कुछ अपने प्रवर समिति के अनुभव की झलक दी थी उसी के आधार पर वाध्य होकर....

श्री अधिष्ठाता--

सदन में कोरम नहीं है आप जरा बैठ जायं।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भीखा लाल--

मैं यह कह रहा था कि मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि सामान्य विवाद के अवसर पर जैसा मैंने कहा था कि प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते और वहां के अनुभव के आधार पर जो मेरी धारणा विभाग के अधिकारियों के सम्बन्ध में बनी उससे प्रेरित होकर हमने यह संशोधन रखा है। आप स्वयं जानते हैं कि सहकारिता का प्रश्न है और हमारा रजिस्ट्रार जो विभाग का अध्यक्ष होगा, वह विभाग का सम्पूर्ण अधिकारी होगा, उस की भूमिका उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और जैसा सभी मानते हैं कि रजिस्ट्रार हो या उस के अधीनस्थ कोई और अधिकारी हों उन की भूमिका सहकारिता आन्दोलन में एक फ्रेन्ड, फिलासफर और गाइड अर्थात् एक मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक की होगी। जैसा मैंने कहा कि सहकारिता आन्दोलन एक दर्शन है। अगर कोई रजिस्ट्रार ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस दर्शन में विश्वास नहीं है तो वह न तो स्वयं पथ प्रदर्शन करेगा और न सहकारिता आन्दोलन में उस की रुचि ही होगी। इसलिये मैंने ३ शर्तें इसमें रखी हैं कि उसका सहकारिता आन्दोलन में विश्वास हो, उस की उसमें रुचि हो तथा उसका कम से कम ५ साल का अनुभव हो। हमारे मंत्री श्री बनारसी दास जी का उसमें विश्वास है और वह जिस हद तक इसको चला रहे हैं बहुत खूबसूरती से चला रहे हैं, उन की रुचि भी इसमें है। लेकिन अगर उनके स्थान पर कोई दूसरा मंत्री होता और मैं नाम ले कर भी कह दूं कि अगर चौधरी चरण सिंह जी होते, मैं उन की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन वह इस स्थान पर होते तो क्या उस बिल में जो अध्याय ११ सहकारी खेती का जोड़ा गया है वह जुड़ता? क्योंकि उनका सहकारी खेती में विश्वास नहीं है। तो इसी तरह से जिसका विश्वास नहीं है यदि उस को कार्य-संचालन का भार दिया जाय तो वह कभी उस का सुचारू रूप से संचालन न कर सकेगा। उसकी भाषा तो वही हो सकती है जो सहकारिता विरोधियों की भाषा हो सकती है। इन तीन शर्तों का रखना जरूरी है जैसा कि माननीय कमला सिंह और फूलसिंह जी ने भी कहा है। जैसा मैंने निवेदन किया कि जिस व्यक्ति को निबन्धक के पद पर हम नियुक्त करें, उसके लिए ३ बातों का होना जरूरी है। कम से कम वह सहकारिता के आन्दोलन में विश्वास रखता हो क्योंकि अगर वह विश्वास नहीं रखता है तो वह सहकारिता विभाग को अच्छी तरह से और सुचारु रूप से नहीं चला सकेगा। तो मेरा संशोधन जो है वह अपनी जगह पर बहुत उचित है, मौलिक है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी को भी इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मैनेजर सिंह--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, खंड ३ में प्रस्तावित संशोधन मौलिक है। मैं समझता हूं कि इन पर माननीय मंत्री जी को बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इस विधेयक में इन्हें शामिल करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। आज जिस ढंग से इस देश का शासन चल रहा है इस नियोजन के युग में, उसी का यह परिणाम है कि इसी रूप में विधेयक में यह धारा रखी गई है। आप देश में नियोजन का कार्य चलाना चाहते हैं, इस देश में एक आर्थिक क्रान्ति करने की बात करते हैं, सहकारिता के आन्दोलन को एक जन आन्दोलन बनाने की बात करते हैं

और माननीय मंत्री जी ने अपने उद्देश्य और कारणों में भी संकेत किया है। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब कार्य करने की बात आती है तो उस तरफ से आप आंख मूंद लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि श्री अलबर्ट मायर साहब जिन्होंने उत्तर प्रदेश के २ देहाती इलाकों का दौरा किया था और नियोजन की रूप रेखा तैयार कर उत्तर प्रदेश शासन को दी थी, उन्होंने सारी बातों को लिपिबद्ध किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि यह बड़ी बदकिस्मती है इस देश की कि आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग है जिसको सर्वगुण सम्पन्न माना जाता है। उसमें यह भी लिखा है कि मैं नहीं समझ पाता हूं कि एक पी० डब्लू० डी० का सेक्रेटरी एक इंजीनियर के काम की कैसे देख-रेख करता है और दूसरे दिन वह ही व्यक्ति कोआपरेटिव विभाग का सेक्रेटरी बना दिया जाता है और तीसरे दिन वह कृषि विभाग का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, फिर उसी को किसी विभाग का डायरेक्टर बना दिया जाता है। उसके अन्दर सबसे बड़ी खामी है और इसी के कारण हमारा नियोजन का कार्य चल नहीं पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप कोई प्राविधान करें जिससे निबन्धक के पद पर ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति हो जिसकी रुचि और जिसका विश्वास सहकारिता आन्दोलन में हो ताकि इसको जन आन्दोलन बनाया जा सके। मैं इसको भी नहीं मानता हूं कि वह व्यक्ति ४ साल का अनुभव रखता हो क्योंकि यदि यह बात मान ली जाय तो मैं समझता हूं, कि हमारे प्रदेश में श्री इफ्तिखार साहब सबसे बड़े काबिल माने जायेंगे। तो मैं इस ४ साल वाले संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि अगर यह रहेगा तो श्री इफ्तिखार साहब का नाम सबसे पहले आ जायगा। जिन्होंने इस कोआपरेटिव विभाग का यहां पर रह कर सत्यानाश किया है। सोच समझ कर ३ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी भावनाओं को किसी न किसी रूप में इस विधेयक में निहित किया जाय। मेरी यह भी प्रार्थना है कि कम से कम नियोजन विभाग और सहकारिता विभाग में ऐसे अधिकारियों को आप जाने न दें, जिनकी रुचि नियोजन और सहकारिता में न हो। यदि ऐसा न किया गया तो निश्चय जानिए कि सहकारिता आन्दोलन जन आन्दोलन न होकर बिलकुल खाने कमाने और पार्टीबाजी का आन्दोलन रहेगा। आपके यह अधिकारी चाहते हैं कि यह काम न हो। एक मिसाल देता हूं कि बलिया में आम जलसा था सहकारी बैंक का। मैंने मंत्री जी के पास लिखित रूप से शिकायत भेजी कि ये-ये खामियां हैं। वह शिकायत प्रबन्धक के पास भेज दी गयी और प्रबन्धक ने उप प्रबन्धक के पास भेज दी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कारण यह है कि जो गैर-सरकारी लोग हैं उनसे मिल कर सरकारी लोग खाते पीते हैं और वे नहीं चाहते कि सहकारी आन्दोलन इस देश में फूले-फले। इसलिये सहकारिता का जो मानने वाला हो, जिसकी उसमें रुचि हो, जिसमें उसको ही निबन्धक के पद पर रखा जाना चाहिये।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो ३ संशोधन यहां उपस्थित हुए हैं उनके पीछे जो भावना है उनका मैं आदर करता हूं और समर्थन करता हूं। यह बात निर्विवाद सत्य है कि जिस पर सहकारिता के आन्दोलन को चलाने की जिम्मेदारी होगी उसको सहकारिता में विश्वास होना चाहिये, उसने सहकारिता में कोई विशेष योग्यता प्राप्त की हो उसे अवसर मिलना चाहिये। इसलिये जो ये संशोधन रखे गये हैं, उनका समावेश किसी न किसी प्रकार से इसमें होना चाहिये, उनकी भावनाओं का समावेश होना चाहिये ताकि योग्य आदमियों को प्राथमिकता मिल सके।

श्री प्रेम सिंह (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनका मैं आदर करता हूं। एक शेर है—

"तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली,
चलो हो चुकी सहकारिता, न तुम खाली न हम खाली।"

*श्री बनारसी दास--

जो इस सम्बन्ध में भावनाएं प्रकट की गयी हैं, अधिष्ठाता महोदय, मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाय। मैनेजर सिंह ने कहा कि रजिस्ट्रार जो होगा वह सरकारी नौकर होगा या नहीं? आज तक जो आदमी गैर सरकारी भी है यदि वह सरकार से तनख्वाह पाने लगेगा तो वह सरकारी नौकर होगा और वही उसकी मनोवृत्ति होगी। अगर इस विचारधारा से चलें तो सारा संगठन आनरेरी चलना चाहिये ताकि कोई सरकारी नौकर न हो, तभी काम ठीक चलेगा।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं। यह मेरा मतलब नहीं है कि कोई सरकारी आदमी न हो। उनमें भी बहुत से ऐसे होते हैं जो योग्य हैं और सहकारिता में विश्वास रखते हैं।

श्री बनारसी दास--

यह जो सिद्धान्त है कि नियुक्ति करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिये कौन अभिरुचि रखता है, कौन योग्य है, कौन विशेषज्ञ है, इसका फैसला तो नियुक्त करने वाला अधिकारी ही करेगा। मैं जानता हूं लोगों को पी० एच० डी० की डिग्री मिल जाती है, लोग ठीक समझ लिये जाते हैं और सेलेक्शन हो जाता है। तो अभिरुचि के लिये कौन फैसला करेगा और विशेषज्ञ कौन है इसका कौन फैसला करेगा तो जो बात कोआपरेटिव के बजट के सम्बन्ध में कहनी चाहिये थी वह इस समय विधेयक में कही जाती है। यदि इसमें रख देंगे कि जिसकी अभिरुचि हो और जिसका चार साल का अनुभव हो उसको रखा जायगा तो किसी को हमने रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया और किसी ने हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी तो हाई कोर्ट फैसला करेगा। ऐसा किसी कानून में नहीं होता है। कहीं कोई कानून बतलाइये जिसमें इस तरह की परिभाषा दी जाती हो। जो आपकी भावना है, जैसा कि ठाकुर फूलसिंह साहब ने कहा, उससे मैं सहमत हूं कि नियुक्ति करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाय। बहुत से ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिनको सहकारिता में अभिरुचि नहीं है और बहुत से ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिनको इसमें विश्वास है, अभिरुचि है और विशेषज्ञ भी हैं और इस विभाग का संचालन करते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसदीय प्रणाली में मूल सिद्धान्त यह है कि जैसे रेल की पटरी फिक्स होती है उन पर चाहे चितरंजन का इंजिन चले या कनाडा का इंजिन चले, कोई बात नहीं है। उसी तरह से सिविल सर्वेंट्स भी रेल की पटरी की तरह से फिक्स हैं, उन पर चाहे कांग्रेस का, जनसंघ का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इंजिन चले। वे तो गवर्नमट की नीति के अनुसार चलेंगे और जो गवर्नमट की नीति के अनुसार नहीं चलेंगे वे गवर्नमट सर्वेंट्स होने के योग्य ही नहीं हैं। संसदीय प्रणाली का सिद्धान्त है कि अगर कमांडर इन चीफ को डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया जाय तो उसको कोई ठीक नहीं मानेगा। एक सेक्रेटरी के लिये एडमिनिस्ट्रेटर होना आवश्यक है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस रूप में आप रखना चाहते हैं उसमें कठिनाइयां होंगी।

(इस समय २ बजकर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, कल मैंने कहा था कि जब तक आप इस कुर्सी पर बैठेंगे मैं सदन में नहीं बैठूंगा। इसलिये मैं जाता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपको घर जाना है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनासीदास—

उसका मंत्रि-परिषद् फैसला करता है। आज वह यह फैसला करता है कि आई० ए० एस० कैडर के लोग लिये जायं तो वे लिये जायंगे और कल को यह फैसला करें कि ये नहीं लिये जायंगे तो नहीं लिये जायंगे। इसलिये इसमें कठिनाई हो सकती है। जो प्राविधान किया गया है वह उचित है। नियुक्ति करते समय गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी कि कि ऐसा रजिस्ट्रार हो जिनकी इस काम में अभिरुचि हो जिससे सहकारिता आन्दोलन चल सके।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि इसका कौन फैसला करेगा कि कोई आदमी सहकारिता में अभिरुचि रखता है या नहीं जिसने इसमें डिप्लोमा या डिग्री पास किया है उसे माना जायेगा और उसकी डिग्री और डिप्लोमा ही इस बात का द्योतक है कि वह इसमें अभिरुचि रखता है। सरकारी कर्मचारी के कार्य के बारे में हर आदमी जानकारी रखता है कि कौन-सा अधिकारी किस किस्म की रुचि रखता है। कोई प्लानिंग में रुचि रखता है, कोई शिक्षा में रुचि रखता है। माननीय मंत्री जी से यह आशा की जाती है कि प्रदेश में हर एक के बारे में उनकी जानकारी होगी कि कौन आदमी प्लानिंग में भेजने लायक है और कौन कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में। जहां तक माननीय मंत्री जी ने ४ या ५ वर्ष के बारे में कहा, मैंने इसीलिए अनुभव शब्द रखा है। अनुभव शब्द बाइलाज में कर सकते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुभव वाला आदमी भी बुरा हो सकता है। कितने ही आदमी २० साल काम करने पर भी कामयाब नहीं हो सकते रजिस्ट्रार के पद के लिए। मैं तो आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि कोई भी विशेषज्ञ इस महकमे में या सहकारिता के सम्बन्ध में बाहर से डिग्री वगैरह लेकर आ रहा हो, उसकी रुचि हो, कि हमारे प्रदेश के सहकारी आन्दोलन को उच्च स्थान मिले, ऐसे आदमी को मौका देंगे तो ज्यादा सफलता होगी। जहां तक अनुभव की बात है, एक साल के अनुभव वाला भी अच्छा हो सकता है, और दस साल के अनुभव वाला बुरा हो सकता है। मैंने सरकार के विवेक पर छोड़ा है। अगर रजिस्ट्रार ऐसे रखेंगे जो विशेषज्ञ हों, सहकारिता के कार्यों में अभिरुचि रखते हों, और अनुभव हो, तो "जैक आफ आल ट्रेड्स ऐंड मास्टर आफ नन" वाली चीज हमारे सामने नहीं आयेगी। आज कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां आई० ए० एस० साहबान न भरे जायं। इसलिए मैंने इसको रखा है कि सरकार इससे गाइड हो। माननीय फूलसिंह ने मिसाल दी। वह कैबिनेट में भी रह चुके हैं। उनको ज्यादा अनुभव है। लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि जानकारी न होने के कारण, जानकार लोग न होने के कारण सारी गड़बड़ी हो रही है। अगर अच्छा आदमी रखेंगे तो आपके विभाग का काम अच्छा चलेगा। अगर विधेयक में नहीं तो बाईलाज में व्यवस्था कर सकते हैं ताकि विशेषज्ञ का हम किसी न किसी रूप में फायदा उठा सकें।

साथ ही यह कहना चाहता हूं कि बाम्बे जाने पर हम लोगों को कुछ तजुर्बा हुआ। वहां के अधिकारियों को देखा अपने काम में बहुत ही अभिरुचि रखते हैं। कितना प्रशंसनीय कार्य था। २५ लाख आदमियों को दूध सप्लाई करते हैं और अगली पंचवर्षीय योजना में ५० लाख आबादी को पूरा कर लेंगे। लेकिन यहां की कोआपरेटिव मिल्क यूनियन पानी मिलाने में ही एक्सपर्ट होती जा रही है। वह फैट कम करते जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी चाहे मोटे हो रहे हों तो दूसरी बात है लेकिन हम को फैट की जरूरत है। मिल्क से ज्यादा फैट निकाल दिया जायगा तो दूध किस काम का होगा? आप देख रहे हैं कि वहां का सहकारिता आन्दोलन बहुत ज्यादा सफल हो रहा है और वहां पर लोगों की यह प्रेरणा है कि जो भी काम उनके प्रदेश में हों वे सहकारिता के माध्यम से हों। इसीलिये आपने देखा होगा कि मिल्क कालोनाइजेशन जो है, वहां पर आदमी बसाये जाते हैं और उसका सारा खर्च सरकार वहन करती है। इसलिये वह नो प्राफिट नो लास पर चल रही है। लेकिन हमारे यहां यह टोटली फेल हो रही है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि दक्षिण के प्रदेश जिस लाइन पर जा रहे हैं, यदि उस लाइन को आप भी अमल में लायें तो मैं समझता हूं कि आपके सहकारिता को बड़ी सफलता मिल सकती है।

एक बात मैंने विजीलेंस कमीशन के बारे में मुख्य मंत्री जी से पूछी थी और उस समय आपको याद होगा एक बात मैंने कही थी शान्ति प्रसाद जी जो हैं, उनके अन्डर में जो

[श्री कमलासिंह यादव]

सिपाही हैं उनके बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं और वही जब श्री जियाराम के अन्डर में आते हैं तो उनके बारे में दूसरी बातें कही जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा हेड होगा उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी वैसे ही होंगे। हेड की अच्छाइयों और बुराइयों का असर उसके नीचे के कर्मचारियों पर अवश्य पड़ेगा। हेड के अनुसार कर्मचारियों का काम भी होगा। इसमें भी हेड जरूर होना चाहिये और मेरे संशोधन के अनुसार यदि हो जाये तो सारा कार्य सुन्दर तरह से होगा और अगले साल हम आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आप मेरी इस संशोधन की भावना को अवश्य इस विधेयक में ले आयें चाहे तो बाई लाज बनाते समय इसका ध्यान रखें या किसी अन्य तरीके से।

श्री फूलसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मेरे विचारों और भावनाओं को माननीय मंत्री जी समझ गये हैं और उन्होंने उन्हे अच्छी तरह से व्यक्त भी कर दिया है अपने भाषण में। इसलिये मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री भीखालाल--

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक माननीय मंत्री जी का सम्बन्ध है मैं जो कुछ समझ पाया हूं मंत्री जी के कथन से कि उस भावना से उनका कोई विरोध नहीं है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जब कभी भी किसी निबन्धक की नियुक्ति की जायेगी तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और इन बातों का ध्यान रख कर ही नियुक्ति की जायगी। हम लोगों के संशोधन से उन्हें दो आशंकाएं हैं। एक तो यह है कि यदि यह संशोधन मान लिया जाये तो इसका अर्थ यह होगा कि कोई भी निबन्धक सरकारी कर्मचारी न होकर आनरेरी आदमी ही हमेशा हुआ करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह की ध्वनि कहां इस संशोधन से निकलती है। यदि ऐसी कोई ध्वनि निकलती है तो वह इस विधेयक से ही निकलती है कि जिसमें दिया हुआ है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति कर सकती है। 'किसी भी व्यक्ति' में सरकारी कर्मचारी लेजिस्लेचर और गांव सभा के प्रधान तथा अन्य सभी लोग हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों के संशोधन से कहीं भी ऐसी ध्वनि नहीं निकलती है कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं होगा....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें, ३ बजे से कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विचार होना है।

श्री बनारसीदास--

इन्हें तो खत्म कर लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, उस पर ३ बजे से विचार होना है और ३ बज रहा है।

गोरखपुर के राजकीय उर्वरक कारखाने के सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर नगर से पांच मील दूर राजकीय उर्वरक कारखाने के पश्चिमी फाटक पर कल शान्त प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिये बड़ी निर्दयता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्वक गोली वर्षा की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ४ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये तथा २५ से अधिक व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से अनेक की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। पुलिस ने निशाना बना-बना कर गोलियां चलायीं। दूर खेत में काम करते हुए एक महिला को गोली मारी गयी।

पुलिस के इस अमानुषिक अत्याचार से जनता में घोर उत्तेजना व्याप्त होकर शान्ति एवं व्यवस्था के लिये संकट की दशा व्याप्त है। अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिये हम प्रस्ताव करते हैं कि आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

अधिष्ठाता महोदय, जब से माननीय गृह मंत्री जी इस पद को सुशोभित किये हैं प्रदर्शन कारियों पर होने वाली गोली वर्षा, लाठी वर्षा तथा इस प्रकार की अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में आये दिन माननीय अध्यक्ष महोदय को सदन में कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ता है। अधिष्ठाता महोदय, किसी भी सरकार के लिये और जो जनता की सरकार हो उसके लिये, यह निहायत शर्म और लज्जा की बात है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी इस समय एक प्रकार से अपने को गौरवान्वित सा समझने लगे हैं। इस सदन में तो अभी उनका भाषण नहीं हुआ है परन्तु सौभाग्य से उनकी एक दो बातें मुझे दूसरे सदन के भाषण से पढ़ने को मिली हैं, जिनको मैं यहां बतला देना चाहता हूं। उनका कहना एक तो यह है कि चूंकि प्रदर्शनकारी सुबह सात बजे वहां इकट्ठे हो गये थे इसलिये उनके हिंसक होने की सम्भावना थी। मैं नहीं समझता कि सुबह के ७ बजे और शाम के ७ बजे इकट्ठा होने में क्या फर्क है। अधिष्ठाता महोदय, जब प्रदर्शनकारियों पर कभी भी गोली चलायी जाती है तो उसके यह अर्थ नहीं होते कि किसी को मारने के लिये गोली चलायी गयी। उसका मात्र अर्थ यह होता है कि जनता के लोग वहां से तितर-बितर हो जायं, वहां से हट जायं। उनके हटाने के लिये जो तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं, उनमें पहला तो यह होता है कि गोली चलाने से पहले उन पर होज पाइप से पानी छोड़ा जाता है, फिर भी नहीं हटते तो आंसू गैस का प्रयोग होता है, फिर माइल्ड लाठी चार्ज होता है। जब तीनों तरीके इस्तेमाल करने के बाद भी भीड़ पर कोई असर नहीं होता तब अन्तिम रूप से किसी स्थान पर लोगों को हवाई फायर द्वारा हटाया जाता है। इसके अलावा ऐसे स्थान पर यह गोली चलायी गयी है जहां पहले से दफा १४४ भी नहीं लगायी गयी थी। इसके पहले हमारे विधान सभा के कुछ मित्रों ने मांग की थी कि जब कि वहां की जमीन कारखाने के लिये ली जा रही थी, तो सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि कारखाने में भूमि के चले जाने से जो लोग विस्थापित होंगे उनको उसमें रोजी दी जायगी। श्रीमन, आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रदर्शनकारियों की पहुंच मंत्रियों तक जाने की आसानी से नहीं हो सकती, डि टी कमिश्नर तक जाने की बात तो अलग रखें, वहां जनता के लोग पहुंच ही नहीं सकते। श्रीमन, बतलाया गया है कि करीब डेढ़ लाख रुपये मुआविजे का अभी तक सरकार ने उन लोगों को नहीं दिया है और जो नौकरी में लेने का वादा किया गया था उसको भी पूरा नहीं किया गया है। अब तक सात आठ सौ लोग जो भर्ती हुए हैं, उनमें मुश्किल से १५–२० आदमी ही वहां के हैं जो परमानेंट तरीके पर रखे गये हैं। शेष भर्ती जो की गयी है उसमें उन कोई स्थान नहीं दिया गया है। फिर उन लोगों के सामने उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि वे भूखों मरें। आप देखते हैं कि हमारे विधान सभा में भुखमरी के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है। पूर्वी जिले आज संकट की स्थिति में हैं और यह भी सभी लोग जानते हैं कि वहां लोग दाना बीन-बीन कर खाने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे स्थान पर जब लोगों के छोटे-छोटे भूमिखंड ले लिये गये तो उन लोगों के पास सिवा इसके और कोई चारा नहीं रहा कि वे प्रदर्शन करें। प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी मांग के समर्थन में नारे लगा रहे थे। श्रीमन् सरकार की विज्ञप्ति में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जनता के लोगों ने प्रारम्भ में ही उत्तेजनात्मक भावना अपनायी कि साढ़े सात बजे प्रातःकाल लोगों ने धरना देना शुरू किया और कर्मचारियों को और पुलिस वाले जो वहां खड़े थे, उनको फैक्टरी के अन्दर जाने से रोका। थोड़े समय के लिये

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

भी पुलिस वालों को सन्तोष नहीं हुआ और फौरन गोली चल गयी। अब देखें कि गोली चली तो किस प्रकार के लोगों पर चली। जहां पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे अवांछनीय लोगों को दंड दें वहां उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि निरीह व्यक्तियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, लेकिन यहां क्या होता है? पांच सौ गज दूरी पर खेत में काम करती हुई एक महिला पर भी गोली चली। बन्दूक की नली जब तक बहुत नीचे न हो तब तक गोली अगर रिवाउन्ड भी कर जाय तब भी वहां लग नहीं सकती। इसी के साथ साथ जिन लोगों को गोलियां लगी हैं, उनमें अधिकतर लोगों की पीठ पर लगी हैं, सामने से शायद एकाध व्यक्ति को लगी हो, और इससे स्पष्ट है कि प्रदर्शनकारी भाग रहे थे न कि ईंटें चला रहे थे। एक बात बड़ी मजेदार यह है कि वह एक फैक्टरी है जहां कहा जाता है कि प्रदर्शनकारी ईंटें चला रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कैसे हो सकता है। जहां प्रदर्शनकारी ईंट चलाते हैं वहां जनता के घर होते हैं, दीवाल होती हैं यह तो फैक्टरी के सामने ईंटें जमा की गयी होंगी। तो आपने पहले से ईंटें जमा करवाई होंगी, और फिर उनको दावत दिया होगा कि तुम आना और ईंट चलाना और फिर हम गोली चलायेंगे। अक्सर देखा गया है कि पुलिस के लोग ही पहले कहीं से ईंट चला देते हैं और फिर बहाना लेकर गोली चलाते हैं। कहीं वही यहां भी तो नहीं किया गया है?

अब इन्क्वायरी की बात देखिए। जिन सज्जन को यह एन्क्वायरी सौंपी गयी है, वह इस घटना से फौरन पहले तक वहां के कलेक्टर थे। उसके तत्काल बाद उनको यह एन्क्वायरी सौंप दी गयी और कहा जाता है कि जो वहां एस० डी० एम० थे वह उनके नीचे थे। हालांकि मेरी सूचना है कि जिस वक्त गोली चली वहां कोई मजिस्ट्रेट था ही नहीं, न दफा १४४ की घोषणा की गयी। लेकिन मजा यह है कि मजिस्ट्रेट वहां नहीं, एन्क्वायरी में यह कहा जाता है कि कोई एस० डी० एम० थे। और जिनको एन्क्वायरी दी गयी है वे थोड़ी देर पहले तक वहीं के कलेक्टर थे और जिलाधीश के रूप में उनके आर्डर्स से ही वहां गोली चली, उन्हीं की यह सारी व्यवस्था थी और अब उन्हीं को यह जिम्मेदारी है कि वे इन्क्वायरी करें, तो यह जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है।

तीसरी बात और है। जिन व्यक्तियों को गोली लगी और जो व्यक्ति पकड़े गये वह भी व्यक्ति पुलिस की हिरासत में हैं। एक तो गोली चलाई और जो गोली से घायल हुए उनको पकड़ कर पुलिस हिरासत में रखा गया और इस तरह पुलिस ने वहां एक आतंक स्थापित कर दिया है। जेल सामने है लेकिन पुलिस हिरासत में रख कर जैसे डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसी तरह से उन पर भी दबाव डालकर आखिरी वक्त में जो बातें वह हिम्मत से भी कहना चाहें वह गिरफ्तारी के भय के कारण न कह पावे और इस तमाम आतंक के राज्य में आप यह भी घोषणा कर रहे हैं कि आप वहां निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गृह मंत्री जी की सोलह आने जिम्मेदारी है इस बात के लिये, जब तक कि वह न्यायिक जांच की आज्ञा नहीं देते और जब तक कि वे जिन लोगों की वहीं पर मृत्यु हुई है उनके साथियों को छोड़ नहीं देते। उस समय तक यह जांच भी निरर्थक है। हमारी तरफ के साथी इसी समय वहां से लौटकर आये हैं। उन्होंने दो-चार बातें बतायीं। उन बातों को सुनकर बड़ा दुख हुआ। अगर सरकार को इसी प्रकार से वहां के लोगों को भूनना था तो उसके पहले वह कुछ सूचना देकर उनको सचेत कर सकती थी और मारने से पहले लोगों को पकड़ सकती थी जिससे प्रदर्शन करने की नौबत ही न आती, लेकिन उन्होंने यह रीति न अपना कर एक प्रकार से उसको बढ़ावा दिया कि जब जनता अपनी मांगों को लेकर आये तब उनको कुचला जाय जिससे कहीं और की जनता अपनी मांगों को न उठा सके। मैं समझता हूं कि काश्तकार वर्ग या मजदूर वर्ग, जो फैक्टरी में काम करने जाता है वह फैक्टरी को कोई क्षति पहुंचाने की भावना को

लेकर नहीं जाता है। वह तो एक ही उद्देश्य को लेकर जाता है कि वह वहां पर काम करे। फिर कृषकों ने शायद कभी भी समाज में हड़ताल नहीं की है और न कभी आन्दोलन किया है। अगर वे आन्दोलन करते तो यह सरकार आज यहां पर दिखाई न देती। इसकी दीवार हिल जाती और इस सरकार को इस स्थान पर रहना असम्भव हो जाता अगर कृषक आन्दोलन को कुछ बल मिलता। उन लोगों की कोई यूनियन भी ट्रेड यूनियन की तरह से नहीं है। उन्होंने कभी इस तरह की अपनी कोई यूनियन संगठित नहीं की है। उनके सामने तो केवल अपनी रोजी का सवाल था। ऐसे गरीब लोगों पर इस प्रकार से अमानुषिक अत्याचार करने के बाद मैं समझता हूं कि सरकार की जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। मेरा निवेदन है कि इस समय तत्काल उन लोगों को छोड़ा जाय। तत्काल न्यायिक जांच की व्यवस्था की जाय और तत्काल उन तमाम अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय और अगर गृह मंत्री जी शर्मदार हैं तो वह भी अपने पद को छोड़कर चले जायं। यह मेरा उनसे आपके द्वारा निवेदन है। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि यह सदन मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब सब लोगों को केवल ८ मिनट का समय मिलेगा।

*श्री नरसिंहनारायण पान्डेय (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उस बदकिस्मत जिले का नुमाइन्दा इस सदन में हूं कि जिस जिले के ऊपर दो बार गोली की वर्षा हो चुकी है। २० अक्तूबर, १९६२ को पहली बार जब चीन ने हमारे मुल्क पर हमला किया था, उस समय हमारे उस अभागे गोरखपुर शहर में वहां वर्तमान पुलिस ने बर्बरता पूर्वक गोली चार्ज किया जिसमें एक मृत्यु हुई थी। जिस आदमी की मृत्यु हुई अभी उसकी याद हमारे दिलों से मिटी ही नहीं थी कि उसके बाद गोरखपुर पुलिस ने हमारी निरीह जनता पर फिर लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज के बाद आज हमारे ऊपर जब कि हमारे यहां एक खाद का कारखाना बन रहा है और जिसके लिये ७०० परिवार उजाड़े गये वहां दूसरा कान्ड हो गया। हमारी जनता को रोजी देने के नाम पर वहां खाद का कारखाना खोला गया। आज वहां पर हमारे बच्चे जब रोजी के लिये जाते हैं जब कि इस सदन में आश्वासन दिया गया, पार्लियामेन्ट में आश्वासन दिया गया कि उन लोगों को इस कारखाने में रोजी दी जायगी, काम दिया जायगा, उनकी योग्यता के मुताबिक, आज वहां पर गोली की वर्षा की गई। उन ७०० परिवारों में केवल ५० परिवारों को कैजुअल लेबर की जगह पर रखा गया। मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वह भी १ रुपया ७५ पैसे पर जब कि सारे जिले में २ रुपया और ३ रुपया मजदूरी आज भी कैजुअल लेबर को मिलती है। ऐसे समय में हमारे ऊपर गोली चार्ज की गई जब कि पाकिस्तान का हमला हो रहा है हमारे मुल्क पर। आज जैसे समय में पुलिस अधिकारी की मुझे सूचना है कि लाठी चार्ज के जुल्म में कश्मीर ट्रान्सफर किया गया, लेकिन उनको एस० पी० बनाकर वहीं पर रोक लिया गया और सरकार फिर उसको मौका दे रही है कि वह दो महीने के बाद फिर गोली चलाये। आज सवाल इधर या उधर बैठने का नहीं है। सवाल यह है कि जो आज गोली चल रही है, पुलिस आज नागरिकता का अपहरण कर रही है, सरकार उसके ऊपर नियंत्रण कर सकती है या नहीं? इस पर काबू पा सकती है या नहीं? अगर काबू नहीं पा सकती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन-सा रास्ता अख्तयार किया जाय जिससे आज सरकार सही तरीके से हमारे जानमाल की रक्षा कर सके हमें रोजी दो, रोटी दो, हमारी हिफाजत करो। मुझे गोरखपुर के प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना जी का एक पत्र मिला है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

जो वहां गांव गांव में घूम रहे हैं। उनके पत्र से पता चलता है कि निरीह लोगों पर गोली वर्षा की गयी। ५०० गज पर एक औरत खड़ी थी उसके पेट में गोली लगी और वह वहीं गिर गयी। गोली चलाने का तरीका क्या है ? मैं मंत्री जी का ध्यान इसके लिये पुलिस रेगुलेशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। सी० आर० पी० सी० की तरफ दिलाना चाहता हूं। आप को जब प्रदर्शन की नोटिस प्राप्त हुई कि २४ तारीख को प्रदर्शन होने वाला है तो आपने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिये ? आपने धारा १४४ क्यों नहीं लगायी और अगर नहीं लगायी तो आपने क्या और ऐक्शन लिया उन अधिकारियों के खिलाफ जिनको इस प्रदर्शन की सूचना मिल चुकी थी ? यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपने और आपके अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन नहीं किया।

अब देखें कि इसकी जांच कौन कर रहा है ? जांच कर रहे हैं वही श्री मेवा राम जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। वही आपकी मैजिस्टीरियल इंक्वायरी करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि शिब्बन लाल जी का वक्तव्य है, उसके अनुसार उस भीड़ को डिस्पर्स होने के लिये कोई वार्निंग नहीं दी गयी और न कोई इत्तला दी गयी जबकि कानून के तहत में यह होना जरूरी था। इसके अलावा गोली चलाने के पहले कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। हवाई फायरिंग भी नहीं की गयी और वहां पर गोलियां चलायी गयीं २२ राउन्ड। तो ऐसी हालत में गोली चलाना कोई मामूली बात नहीं कही जा सकती। मैं गृह मंत्री जी से इस विषय में पहले बात कर चुका हूं जब कि इस्तफा हुसैन साहब मारे गये थे और लाठी चार्ज हुआ था। तब भी गृह मंत्री जी कुछ नहीं कर सके थे और उस सिलसिले में उनको कार्यवाही करना चाहिये थी ताकि वहां की जनता में उनके प्रति विश्वास पैदा होता तथा एक शान्ति का वातावरण पैदा हो सकता। लेकिन जब यह कान्ड हो गया तो उसकी मैजिस्टीरियल इंक्वायरी भी उस व्यक्ति को दी जाती है, जिसके आर्डर से वह फायरिंग हुई। पिछली बार जब वहां गोली कान्ड हुआ था तो श्री चन्द्रभानु गुप्त जी यहां विराजमान थे और मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी की बात मानी थी। आपने उसे क्यों नहीं माना, आपने अपने अफसरों को वहां से हटाने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया ? आज के हालत में सरकार को चाहिये कि वह इन अफसरों की इस मनोवृत्ति को कंट्रोल करे और यदि उनकी यह तानाशाही मनोवृत्ति पर कंट्रोल नहीं होता तो कांग्रेस के पीछे बैठने वाले बहुत से सदस्य इस बात को सहन नहीं करेंगे और यह हमारा अधिकार है कि जिस जनता के वोट से चुनकर हम यहां आये हैं, उसकी सही बात को यहां रखें और उनकी मांगों को आप से मनवायें। एस० पी० को हटाइये। एक भी वहां आपके अधिकारी को रहने की जरूरत नहीं है। आज जनता की मांग न्यायिक जांच की है। वह होनी चाहिए। यह जनता की भावना है। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे विवाद में भाग लेने का मौका दिया।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं भी उसी अभागे जिले से आता हूं जहां इस कांग्रेसी राज्य में आधे दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गयीं। मेरा तात्पर्य गोरखपुर नगर और जिले से है। छबीला गोलीकान्ड हुआ। उसके पहले रेलवे के मजदूरों पर गोली चलाई गयी, विद्यार्थियों पर चलायी गयी और आज फर्टीलाइजर कारखाने के मजदूरों पर चलाई गयी। मैं आपके सामने अश्वनीकुमार, जो फर्टीलाइजर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनका एक पत्र आया है, उसकी दो लाइन पढ़ना चाहता हूं—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"आज प्रातः जब उजाड़े किसान मर्द-औरतों ने धरना प्रारम्भ किया तो पुलिस ने उनके नेता, सर्वश्री रमाकान्त पाण्डेय, सुभाषचन्द्र एवं केशवसिंह को घसीटा। किसानों ने उन्हें पकड़ कर जाने से रोका। पुलिस ने लाठी चलाना प्रारम्भ कर दिया और पत्थरों से भी मार कर जनता को उत्तेजित कर दिया। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। उसके बाद दीवाल की आड़ से धुआंधार गोली वर्षा शुरू हो गयी। गोली छिपकर शिकारी की तरह चलाई गई, जिसके फलस्वरूप दो आदमी तत्काल मर गये। दर्जनों घायल हैं तथा चार आदमी लापता हैं। संदेह है कि उनकी लाश भी गायब कर दी गयी है।"

ऐसे दर्दनाक शब्दों में उन्होंने लिखा है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

दीवाल की आड़ से क्या हुआ ?

श्री उग्रसेन--

यह मैं माननीय बैजनाथसिंह और उनकी तरह से सोचने वाले लोगों को बताना चाहता हूं कि १८ वर्ष में कांग्रेस राज्य में क्या हुआ। आप जरा "कांग्रेस राज में गोलीकान्ड" नामक पुस्तक खोल कर पढ़ लें, इन्दुमति कलकर की लिखी हुई है। उसमें बतलाया गया है कि २,५०० बार १८ साल के अन्दर कांग्रेस राज्य में गोली वर्षा हुई है। बैजनाथ जी पढ़ लीजिये। मंत्री जी भी पढ़े हैं। लेकिन इंगलैन्ड में ९९ वर्षों में एक बार भी गोली नहीं चली। स्वेज के मामले पर ईडेन का बंगला घेरा गया, लेकिन गोली नहीं चली। जापान में १०,००० आदमियों का प्रदर्शन हुआ। सकड़ों आदमी प्रधान मंत्री के मकान में घुस गये, लेकिन गोली नहीं चली। लेकिन आपके राज्य में २,५०० बार गोली चली है। मुझे गांधी जी की एक बात याद आ गयी। गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस से हमने रोटी मांगी, लेकिन उन्होंने हमें पत्थर दिया। ओ गांधी के चेलो ! उनकी मूर्ति आज आपके सामने लटक रही है। हे गांधी जी ! आपके जो चेल हैं वह तो रोटी मांगने वालों को पत्थर नहीं जिसकी आप अंग्रेज के खिलाफ शिकायत करते थे वह तो गोली मारते हैं। आप उसका न्याय करो।

यह मामूली मसला नहीं है। आप गोली चलाते हो। काश ! हमारे हाथ में भी थ्री-नाट थ्री हो तो क्या नतीजा निकलेगा ? कौन हिंसा की तरफ दौड़ रहा है ? आज आपके यहां लिखा है कि गोली कहां लगे। नीचे मारी जाय। लेकिन यह मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके जरिये से प्रदेश की जनता से कि गोली जितनी लगी हैं वा छाती से ऊपर लगी हैं और पीठ पर और पेट पर लगी हैं। एक औरत के पेट में लगी है। यही आपका जनतंत्र है ! गांधी जी के चरणों में बैठकर यही पाठ माननीय प्रातः स्मरणीया सुचेता जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने सीखा है जिनका दामन आज हमारे खून से रंगा हुआ है ? आज भी उनकी हिम्मत है कि वह इस कुर्सी पर आसीन हैं। उनको इस कुर्सी से भगा देना चाहिए। आज प्रदेश में लोग भूखे मर रहे हैं, दाने-दाने को मोहताज हैं।

किसानों का क्या कसूर था ? एक राठौर साहब जनरल मैनेजर से समझौता हुआ। उनको १ लाख ३९ हजार रुपया दिया गया। नरसिंहनारायण जी ने सब बताया है कि क्या हुआ, वह मजदूरों में काम करते हैं। ७४६ आदमियों को नौकरी उस कारखाने में मिली है। ५१२ परिवार ऐसे थे जो उजाड़े गये हैं। राठौर साहब ने कहा था कि प्रति परिवार एक आदमी को नौकरी मिलेगी। लेकिन केवल ४३ आदमी लिये गये और उसमें से भी सबके सब निकाल दिये गये। मजदूरों ने कहा कि यह समझौता हुआ है, हमको नौकरी पहले देनी चाहिए। उन्होंने साफ-साफ मांगें रखीं। और वह बदमाश खन्ना, जनरल मैनेजर शराब पिये सोया पड़ा है। शाम को पत्रकारों से कहता है जबकि ३० तारीख की शाम को जब मुन्ना लाल

[श्री उग्रसेन]

पत्रकार ने उससे कहा कि शांतिमय प्रदर्शन होंगे तो तुम्हारा क्या प्रबन्ध रहेगा ? तो उसने कहा कि हमने बढ़िया प्रबन्ध कर लिया है । मतलब उनका यह था कि हमने गोली का प्रबन्ध कर दिया है । जब सवेरे टेलीफोन हुआ तो वह बदमाश खन्ना शराब पिये हुए पड़ा हुआ था । यह कुत्ता मैजिस्ट्रेट गोली चलाने के वक्त था ही नहीं ।

जांच की बात की जाती है, मैं अच्छी तरह से उनको जानता हूं । मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, आज गोरखपुर के गोलीकान्ड का ही सवाल नहीं है, यदि माननीय हरगोविन्दसिंह पुलिस मंत्री रहे तो याद रखना, हर जिले में गोली चलेगी । अभी राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन करने वाले हैं, इंजीनियर्स आन्दोलन करने वाले हैं, वे अभी से काला बिल्ला लगा कर आते हैं, उन सब पर माननीय हरगोविन्दसिंह गोली चलायेंगे क्योंकि यह सरकार तो लाठी गोली की सरकार है, दफा १४४ की सरकार है । मैं बैजनाथसिंह जैसे लोगों पर तरस खाता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई मजाक नहीं है । अगर तुम गोली का रास्ता दिखाते हो तो हमने भी दुनिया का इतिहास देखा है । इन्सान ने भी पैगम्बर का पार्ट अदा किया है । "इन्सान ने की है नबूबत कभी कभी, जब फर्ज बन जाता है तो बगावत कभी कभी ।" आज प्रदेश की जनता मजबूर हो गयी है, वह बगावत करेगी । आप जेल में उसको डाल सकते हैं, डी० आई० आर० में बन्द कर सकते हैं, मगर वह अपने फर्ज को पूरा करेगी । जिस वक्त गोली चलायी गयी, मैजिस्ट्रेट वहां थे नहीं, बाद को उनसे लिखा लिया गया कि हमने गोली चलाने का आदेश दिया । आज भी जाकर देखा जाय खून के धब्बे लगे हुए हैं । वह व्यक्ति जो बेचारा भैंस चरा रहा था, उसे गोली लगी। जबरदस्ती आदमियों को पकड़ा गया और मारा गया । निहत्थी जनता पर गोली चलाने वालों ! तुम कायर हो , तुम गुन्डागर्दी और तानाशाही का राज्य करते हो । आज कांग्रेस का राज्य नहीं है । मैं नरसिंहनारायण जी से कहना चाहता हूं कि इस सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, न्याय लेना है तो इस सरकार को भगाओ , तभी देश का कल्याण होगा । मैं चाहता हूं एक मिनट भी यह सरकार यहां न रहे । अगर रही तो गोली खानी ही पड़ेगी ।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, कोई भी सरकार को और खास तौर से जो जनतांत्रिक सरकार होती है, उसके लिये तो और भी यह बड़े दुख की बात होती है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों किसी जगह पर कि वहां गोली चलानी पड़े । मान्यवर, गोली चलाना आमतौर से यों भी एक आखिरी हथियार माना जाता है । जब यह विश्वास हो जाय कि परिस्थिति अब इतनी खराब हो गयी है कि वह काबू से बाहर है, इन्तजाम करने वालों की जान खतरे में है, उस समय गोली चलाई जाती है । मान्यवर, अच्छा होता यदि पहले माननीय गृह मंत्री की ओर से वाकयात पेश कर दिये जाते । एक बात यह हमारे सामने आयी कि यह जो वहां पर कारखाना बना, उसमें करीब ७००–८०० परिवारों की जमीन ली गयी । मानवता के आधार पर यह बात न्याय पूर्ण है कि जिनकी जमीन ली गयी है और वहां कारखाना बनाया गया है तो उनको नौकरी मिलनी चाहिये । मान्यवर, मेरा भी अनुभव है कि जब कारखाना बनता है तो उनका जो मुआवजा दिया जाता है वह नहीं के बराबर होता है । बहुत दिनों से इस बात की मांग आई कि मुआवजे के कानूनों को बदलकर जो बाजार भाव हैं, उसके ऊपर मुआवजा मिलना चाहिये, वह नहीं हो पाया है । मैं और भी कारखानों को जानता हूं, जहां लोगों को हटाया गया वहां भी जबानी वायदे थे कि कारखाना बनने के बाद नौकरी दी जायेगी, मगर कारखाने के बनने के बाद नौकरी नहीं दी जाती है और न ही दी गई । इस लिये मेरा सुझाव है कि जब अगर आगे कारखाना बने तो एग्रीमेन्ट में हिस्सा होना चाहिये कि उनको मजबूर किया जायेगा कि ऐसे लोगों को नौकरी दी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि गोली चली। यह बात सही है। बहुत से तथ्य हमारे सामने आये। मैं इस संबंध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं इत्फाक करता हूं कि अगर भीड़ हो और काबू से बाहर हो गई हो तो पहिले पानी का इस्तेमाल करना चाहिये। पानी के इस्तेमाल के बाद टीअर गैस का इस्तेमाल करना चाहिये। टीअर गैस के बाद लाठी चार्ज करना चाहिये और उसके बाद हवाई फायर और फिर उसके बाद गोली का चलाना औचित्यपूर्ण हो सकता है। मैं माननीय उग्रसेन से इस संबंध में इत्तफाक नहीं करता कि गोली का चलाना तब हो जब देश में सिविल वार की स्थिति हो। मैं इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि जब ये डिमान्स्ट्रेशन होते थे तो उसके लिये क्या क्या प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये गये। जब भीड़ इकट्ठी हुई तो जो बातें मैंने पहिले बताई हैं उनका इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। अगर हवाई फायर हुए तो कितने हवाई फायर के बाद गोली चलाई गई, क्योंकि मान्यवर, अपनी जगह ये आवश्यक चीजें हैं।

मान्यवर, एक बात और है जिसको मैंने खुद नहीं देखा मैंने केवल पढ़ा था कि कुछ संख्या में लोग ईंटों से जख्मी हुए। यह भी सोचने की बात है कि ईंटें कहां से आ गईं? क्या पुलिसवालों ने ईंटें अपने आप गिरा दीं? उससे एक बात साबित होती है कि ईंटें फेंकी गई हैं या कुछ भी हुआ हो। माननीय उग्रसेन ने अभी कुछ पढ़ा उसमें खुद लिखा हुआ था कि जनता ने पुलिस को घेर लिया, जनता उत्तेजित हो गई और पुलिस को घेर लिया और उसके बाद गोली वर्षा शुरू हो गई। एक बात अवश्य हुई जो चोटें आई हैं वह इस बात को साबित करती हैं कि जनता में उत्तेजना थी और उसने उत्तेजित होकर पुलिस को घेर लिया। जब जनता उत्तेजित हो और पुलिस को ही घेर ले तब सवाल आता है कि इस मामले में गोली चलाने का। इस मामले में फिर गोली का इस्तेमाल किया गया। तीन मौतें हुईं। एक बात और कही गई कि एक लेड़ी जो चार सौ गज दूर थी, उसकी पीठ पर गोली लगी तो यह इन्क्वायरी की बात है।

मान्यवर इसमें दो तीन चीजें और भी जोड़ दी गईं। सन् १९६२ का गोलीकान्ड भी जोड़ दिया गया है, इसमें जस्टिस मुकर्जी ने उसकी इन्क्वायरी की थी उसकी फाईन्डिंग भी आ गई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसके बाद इफ्तिखार हुसैन की बात कही गई। अगर हम उन तीन घटनाओं को जोड़ दें तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस पर जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी काफी नहीं है। एक तो उन्होंने यह बताया कि जो अब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह काम करते थे उनको इतना तो काम मिलना चाहिये कि वे मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी कर सकें। लेकिन मान्यवर, अगर मैजिस्ट्रेट के आर्डर के बाद फायरिंग हुई है तो कम से कम उससे ऊपर के जो अफसर हैं, कमिश्नर के ग्रेड के, उनके द्वारा इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं बड़ी अदब के साथ गृह मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि यदि उन्हें कोई आपत्ति जूडिशियल इन्क्वायरी में है तो इस बात को वह जरूर मान लें कि इसकी इन्क्वायरी कमिश्नर के द्वारा करायी जाय क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या आस पास के लोग अगर इन्क्वायरी करते हैं तो कितने ही न्यायपेश होकर काम क्यों न करें, कुछ न कुछ लोगों के दिमाग के अन्दर शक व शुबहा रह जाता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ऊपर का जो अफसर है, और जो इम्मीडिएटली ऊंचा अफसर कमिश्नर होता है उसके द्वारा इन्क्वायरी होनी चाहिए।

और जो बहुत सी बातें माननीय उग्रसेन जी ने कह दीं, मैं समझता हूं उनका मुनासिब जवाब गृह मन्त्री ही दे सकते हैं, न मुझको उसकी आवश्यकता है। उन्होंने तो महात्मा गांधी से लेकर सारा इतिहास जो था गोरखपुर के गोलीकांड के साथ जोड़ दिया और जाने कहां से आंकड़े ले आए कि २२ सौ या २५ सौ बार यू० पी० के अन्दर फायरिंग हुई है।

सारे देश में हुई है। "कांग्रेस राज्य में गोलीकांड" किताब है, उसको पढ़ लीजिए।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, अगर वह किताब उग्रसेन जी के पार्टी के किसी आदमी ने लिखी है तो मैं बिना देखे उनकी बात को मान लेता हूं क्योंकि जर्मनी में एक डाक्टर गोयबेल्स थे। उनका सिद्धांत था, जैसे आपके आधार भूत सिद्धांत हैं, कि एक लाख गुना झूठ बोलो, घटते-घटते भी तीन चार गुना तो रह ही जायगा।

जो गोली कांड हुआ यह निहायत दुख की बात है इसमें कोई खुशी किसी को नहीं हो सकती है। सरकार को कभी-कभी बहुत दुखद कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन जो कार्य किया गया, यह सरकार का काम है कि वह इसको साबित करे कि उस समय क्या परिस्थितियां थीं और उसमें क्या मिनिमम फोर्स इस्तेमाल किया गया? यह बात साफ हो जाय, आज की डिबेट का मंशा केवल यही है और मैं यह चाहता हूं कि इस गोलीकांड के पीछे मुख्य चीज जो है सात सौ या आठ सौ परिवार जो हटाए गए हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय गृह मन्त्री जी के ढाई वर्ष के गृह मन्त्रित्व काल में हमारे प्रदेश में जितनी बार गोलियां चली हैं, जितनी बार लाठी चार्ज हुआ है और जितनी बार टीयर गैस का प्रयोग हुआ है, उतना आजादी के बाद किसी और के ढाई वर्ष के समय में नहीं हुआ है। आज हमारे प्रदेश का पुलिस प्रशासन अनियंत्रित हो गया है, पुलिस के एक-एक आदमी का मन जो इतना बढ़ गया है, उसकी सारी जिम्मेदारी मौजूदा गृह मन्त्री जी की है। मैं समझता हूं कि इसका समाधान एक ही बात में हो सकता है कि वर्तमान मन्त्री जी इस्तीफा दें अपने पद से, अपनी भूल स्वीकार करें, और पुलिस के अनियन्त्रित होते जाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, तभी कुछ हो सकता है वर्ना जो आदमी रोटी की मांग करे उसको गोली से जवाब दिया जाय। जहां पर ३७२ लोग भूमिहीन हो चुके हों, वहां केवल ४५ को ही छोटा-मोटा काम दिया गया है। ऐसी स्थिति में भूमिहीन और साधन हीन लोग जब रोटी की मांग करें, उसके लिए अनशन करें, धरना दें, जो चीजें महात्मा गांधी की देन हैं, तो उनके ऊपर गोली चलाई जाय, उनको दौड़ा-दौड़ा कर मारा जाय, बूढ़ी औरतों तक को गोली का शिकार बनाया जाय, बाहर बैठे हुए और दूरी पर काम करते मजदूरों तक को न छोड़ा जाय, यह स्थिति ऐसी है, जिस पर सारे सदन को राजनीति से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिए।

मैं माननीय नवलकिशोर जी की उस बात से सहमत हूं कि गोली का इस्तेमाल कहां होना चाहिए, इसके लिए कुछ अवश्य हो जाना चाहिए। अगर माननीय गृह मन्त्री जी उनके सुझाव को स्वीकार कर लें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उसके आदेश दे दें तो आज के इस वाद-विवाद का अच्छा परिणाम निकल सकता है।

एक बात और बड़ी गम्भीर है। कहा जाता है कि ढेलेबाजी हुई। यह पुरानी कहावत है। गृह मन्त्री जी भी पुराने राष्ट्रीय आन्दोलन के सिपाही हैं, यह ढेले फेंकने वाली बात पुलिस की ओर से अनन्तकाल से कही जाती रही है। अच्छा मान लीजिए ढेलेबाजी हुई भी तो क्या उसका जवाब २२ राउन्ड गोली चलाना था? मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां लाठी वर्षा हो रही हो और उस समय जनता को दो चार ढेले चला दें तो इसमें क्या असाधारण बात हो गयी। स्थिति बड़ी गम्भीर है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। गोरखपुर की पुलिस का मन बेतहाशा बढ़ा हुआ है। ढाई साल में गोरखपुर की जनता को २ बार गोलीवर्षा का सामना करना पड़ा है। जिस डी० आई० जी० ने विद्यार्थियों पर गोली १९६२, २० अक्तूबर को चलायी थी, उसके विरुद्ध आपने क्या किया, मैं यह पूछना चाहता हूं। उस समय गुप्ता जी मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने सब दलों के नेताओं को बुलाया था और कहा कि चीन का आक्रमण हो रहा है, आज इस प्रश्न को न उठाइए, हम इसको देख लेंगे। मैं पूछता हूं मन्त्री जी से कि आप उसी दल और उसी गुट के हैं, आप बतायें कि उस आश्वासन का क्या हुआ?

इस्तफा हुसैन साहब की भी एक कहानी है। स्वयं माननीय मन्त्री डाक्टर सीताराम उसके गवाह हैं। उस घटना से मालूम होता है कि गोरखपुर की पुलिस का मन किस प्रकार बढ़ा हुआ है। माननीय गृह मन्त्री जी जब इसी प्रकार आप पर मार पड़ेगी, तब बैठकर रोयेंगे और कहेंगे कि हम लोग आपका सदन में बैठकर विश्वास नहीं करते थे, अब समझे हैं कि पुलिस इस प्रकार का जुल्म करती है। तब उनको ज्ञान होगा। माननीय इस्तफा हुसैन ने आंखों में आंसू भर कर अस्पताल में मुझसे कहा कि पहले मैं समझता था कि आजकल के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आज जब मार खायी है तब उस बात का कायल हुआ हूं। तो क्या एक-एक मिनिस्टर पर जब ऐसे ही मार पड़ेगी तब उनको अक्ल आएगी। अतः यह जो गोली चलाई गई है यह एक बहुत ही निन्दनीय कार्य हुआ है। जवानों की बहादुरी जो नेफा, लद्दाख, कच्छ, काश्मीर में सेकेन्ड डिफेंस लाइन के रूप में दिखायी जानी चाहिए थी, उसको निहत्थे लोगों पर दिखाया जाना कितनी अशोभनीय बात है। अगर उनके हाथ में लाठी होती, उनके पास अन्य घातक हथियार बल्लम, बरछे, फर्से-कांते आदि होते तब तो माना जा सकता था कि गोली ठीक चलायी गयी, लेकिन इस प्रकार निहत्थों पर गोली चलाना, निरी कायरता है।

जो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी बैठाई गई है वह मखौल है, एक उपहास और व्यंग है। एक मैजिस्ट्रेट साहब ने आर्डर दिया कि गोली चला दो और दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब उसकी जांच कर रहे हैं। "चोर-चोर मौसेरे भाई" वाली कहावत। "जलेबी की रखवाली कुतिया करे"! मैं कहता हूं कि इसको बन्द कीजिए और अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो एस० पी० तथा डी० एस० पी०, सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट को वहां से हटाइए और मिस्टर खन्ना को भी केन्द्रीय सरकार से कह कर हटवाइए। हाई पावर की जुडीशियल इन्क्वायरी करायें। कोई विशिष्ट जज इस प्रदेश के या अन्य प्रदेश के हों, उनसे जांच करायें। उस रिपोर्ट का हम सब स्वागत करेंगे और उसको जनता भी स्वीकार करेगी। मैं मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वह अपने पद से इस्तीफा दें और अपने पापों को यहीं खत्म करें दो पथ और दो भाषाएं आज विश्व में हैं। एक शान्तिपूर्ण जनवादी परिवर्तन का और दूसरी वियतनाम नमूने का। गृह मन्त्री को सोचना और तय करना होगा कि वे कौन पथ और भाषा समझना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

गृह मन्त्री जी थोड़ा अब बोल लें, बाद में उनको और अवसर दिया जायगा।

*गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

मान्यवर, मैं वह अभागा मन्त्री हूं जो एक अभियुक्त के रूप में इस सदन के सम्मुख खड़ा हुआ हूं, लेकिन इस जनतन्त्र प्रणाली में एक अभियुक्त को भी अवसर मिलता है अपनी बात कहने का। इसलिए मैं आशा करता हूं और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह बहुत शांति से तस्वीर का दूसरा पक्ष भी देखें। यह एक दुखद घटना हुई, इसमें सन्देह नहीं और कोई दो रायें भी इस पर नहीं हो सकतीं, चाहे उधर के बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों, कि गोली का चलना या चलाना एक दुख की बात है। परन्तु यदि यह कहा जाय कि किसी भी अवस्था में गोली चलाना अच्छा ही नहीं है तो मैं समझता हूं कि कोई राज्य व्यवस्था चल ही नहीं सकती। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि गोली तभी चलाना चाहिए जब कि जनता के हाथ में भी गोली चलाने को हो। एक बात की मैं और प्रार्थना करूंगा कि आवेश में आकर किसी बात को समझने में दिक्कत होती है। किसी बात को समझने के लिए, उस पर निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आवेश रहित ढंग से उस पर सोचा जाय। मैं आपके और सदन के सम्मुख केवल इतना ही कहूंगा कि वहां क्या हुआ। इस पचड़े में भी मैं नहीं पड़ूंगा कि किस प्रकार से आज के जनतांत्रिक युग में हमारे राजनैतिक दल इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जितना भी सम्भव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

हो सके इस बात का प्रयत्न किया जाय कि जनता की आंख हमारी तरफ हो जाय। लेकिन जैसा मैंने कहा मैं तो स्वच्छ रूप से ठीक-ठीक जो घटना वहां घटी उस को मैं यहां रखना चाहता हूं।

अभाग्यवश, श्रीमन, जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं न वे घटनास्थल पर मौजूद थे और न मैं था। दोनों में कोई घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। किसी के पास एक पत्र आया। यह भी पता नहीं कि पत्र लिखने वाला आदमी भी घटनास्थल पर रहा होगा। तो इसलिए उस पर कोई धारणा बना लेना भी ठीक न होगा। जिस प्रकार से आपके पास (माननीय सदस्यों के पास) एक सूचना है, मेरे पास भी एक सूचना है। उस सूचना को भी आप देख लें। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कहना कि किसी भी अवस्था में, चाहे कुछ भी हो जाय, गोली न चलाई जाय, इससे मैं असहमत हूं। इसलिए नहीं कि मैं गृह मन्त्री हूं बल्कि अगर उधर भी बैठा होता तो भी उससे असहमत होता। हुआ यह है कि गोरखपुर फर्टीलाइजर फैक्ट्री की बात कही गयी है, वहां के मुआविजे की। उसके बारे में मेरे पास आंकड़े हैं। ८७५ एकड़ जमीन वहां पर ली गयी। ३५ लाख रुपया के करीब-करीब मुआवजा हुआ। वह सब दे दिया गया। खाली २४,००० रुपया बाकी है और वह रुपया इसलिए बाकी नहीं है कि सरकार देना नहीं चाहती है बल्कि उसके दावेदारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि मुझको मिलना चाहिए और दूसरा कहता है कि मुझको मिलना चाहिए तो इसलिए मुआवजा की बात तो कोई रही नहीं है अब गोरखपुर फर्टीलाइजर बन रहा है। उसके बनवाने में यह है कि फैक्ट्री में २ प्रकार की लेबर हुआ करती है। एक तो वह है जो रोजमर्रा का काम करती है और जिस रोज काम होता है, उनको उसकी मजदूरी मिल जाती है और एक वह है जो फैक्ट्री के परमानेन्ट स्टाफ पर होते हैं। उन परमानेन्ट स्टाफ के लोगों का इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस घटना का सामान्यतः सम्बन्ध उन लोगों से है जो रोजमर्रा वहां पर मजदूरी का काम करते हैं, चूंकि फैक्ट्री बन रही है। जब वहां पर काम होता है, ये लोग रखे जाते हैं और जब तक दूसरा काम न हो वे लोग अलग कर दिए जाते हैं और बाहर रहते हैं। तो श्रीमन्, जैसा मैंने कहा इसका सामान्यतः सम्बन्ध उस लेबर से है जो कि रोजमर्रा के हिसाब से काम करती है।

मैं अगर आवश्यकता हुई तो बताऊंगा कि किस प्रकार से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जब से फैक्ट्री बनी है तब से ही इस बात का प्रयत्न कर रही है कि वहां का नेतृत्व उनके हाथ में रहे। ठीक है, नेतृत्व रहे। नेतृत्व की बातें मैं भी करता हूं और हमारे दल के लोग भी करते हैं तो आप भी कोशिश करें। यह तो एक स्वस्थ परम्परा है, डेमोक्रेसी में होती है लेकिन अगर एक इतनी बड़ी योजना की जाय तो पहले हमें अपनी जगह पर संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हम लोगों के ऊपर काबू रखें, हम उन्हें सीमा के बाहर नहीं जाने देंगे। जन संघ से मेरा न कोई सम्बन्ध है और न मैं उनका हिमायती ही हूं, लेकिन उनकी मैं यह तारीफ करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में किया। लेकिन कहीं से यह कोई समाचार नहीं मिला कि उसमें किसी प्रकार की उद्दंडता हुई हो। अगर किसी को अपने नेतृत्व पर इतना विश्वास हो कि जिन लोगों को वह आमंत्रित कर रहा है उनको वह अपने काबू में रख सकेगा, स्थिति को काबू के बाहर नहीं जाने देगा तो प्रजातन्त्र में प्रदर्शन करना, सभा करना यह सब तो होता ही है और होना ही चाहिए। लेकिन किसी प्रजातन्त्र वादी देश में इस प्रकार की घटनायें नहीं होतीं जैसी यहां होती है। उसका उदाहरण यह है कि जिस प्रकार से सम्मानित सदस्य यहां बोलते हैं मर्यादा के बाहर तो जनता में कैसे बोलते होंगे, उसको कैसे उत्तेजित करते होंगे यह मेरे बतलाने की बात नहीं है, यह माननीय सदस्य अपनी जगह पर सोच लें।

इसमें हुआ क्या ? २२ तारीख को एक सभा हुई। २४ तारीख के लिए एक नोटिस दी गयी कि सुबह २४ तारीख को फैक्ट्री के फाटक पर सब लोग एकत्रित हों। एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां उस भवन में गृह मन्त्री ने सुबह की बात कही थी, वह उनकी समझ में नहीं आई। मैं उनको समझा दूं। सुबह की बात मैंने इसलिए कही थी कि सुबह फैक्ट्री में लोग काम करने जाते

हैं और उनको रोकने के लिए यह आयोजन किया गया था और इसलिए सुबह की बात कही गयी कि वहां ७ बजे सुबह फैक्ट्री के फाटक पर सभा करेंगे। जो अखबार इस कामरोको प्रस्ताव के साथ हमारे सामने आए, उनको भी मैं ने पढ़ा कि वहां पिकेटिंग शुरू कर दी गयी। कोई आदमी बाहर से भीतर नहीं जा सकता था। गाड़ियों में जो मजदूर लाए जा रहे थे उनको रोक दिया, उनके सामने लेट गए। इतना ही नहीं बावजूद आरजू मिन्नत के भी वहां से हटे नहीं। यही नहीं, सबसे पहली घटना यह हुई कि हेड कांस्टेबिल पर इस तरह का प्रहार किया गया जिसके बारे में जिलाधीश ने यह लिखा है कि उसको मार डालने की बात थी और आज भी अस्पताल में उसकी अवस्था चिन्ताजनक है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यहां ईंटों का जिक्र किया गया तो यह प्रहार करने का था?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह बात जरूर है कि वहां अश्रु गैस नहीं थी और १४४ भी पहले नहीं लगाई गयी थी। और इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि इससे पहले भी ऐसे प्रदर्शन हुए थे, उनमें ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। और इस तरह से पिकेटिंग भी नहीं हुआ था इसलिए १४४ नहीं लगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर एक को प्रदर्शन करने का अधिकार है और ऐसा प्रदर्शन करने का जिससे शान्ति भंग न होती हो।

एस० पी० के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं। वह वहां मौजूद भी नहीं थे। जब नोटिस बंटी कि २४ तारीख को साढ़े सात बजे एक मोर्चा बनेगा और उस पर डट कर आइए तब फैक्टरी के अधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा कि इस बात की आशंका है कि फैक्टरी की तोड़-फोड़ हो और शान्ति भंग हो, इसलिए उचित प्रबन्ध होना चाहिए। वह प्रबन्ध केवल यह हुआ कि एक प्लाटून पी० ए० सी० की और २४ पुलिस वाले भेज दिए गए, जिसमें एक डी० वाई० एस० पी०, एक इन्सपेक्टर, दो तीन सब-इन्सपेक्टर और पुलिस के आदमी थे। वहां पर केवल १५ राउन्ड गोली चली और ९ आदमी घायल हुए।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

और क्या ९०० आदमी घायल होते?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जैसा कि कहा जा रहा है कि गोली से वहां शिकार खेला जा रहा था और १,५०० आदमियों की वहां भीड़ थी। (व्यवधान) इसमें २४ पुलिस वाले घायल हुए। अब यह कहा गया कि वहां पत्थर कहां से आ गए? फैक्टरी के फाटक से केवल ३५ गज की दूरी पर ही रेल की सड़क है। उस पर कितनी गिट्टी होती हैं, शायद आप न जानते हों, मैं तो जानता हूं। उस समय फैक्टरी में भी मकान बन रहा था इसलिए उस किस्म की चीजों की कमी नहीं थी। जो चोटें लगी ह उनका डाक्टरी मुआयना हुआ है। वहां ९ आदमी गिरफ्तार हुए। मेरे लिए चिन्ता और दुख की बात है कि वहां पर गोली चली और सभी के लिए यह दुख की बात है। हमारे लिए दुख की बात है कि सरकारी अधिकारियों को गोली चलानी पड़ी और आपके लिए दुख की बात यह होनी चाहिए कि आपने जान बूझ कर ऐसी भीड़ का नेतृत्व किया जिसके ऊपर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं था। पहले लाठी चली, मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप लोग हट जाइए।

श्री अधिष्ठाता—

अन्त में भी आप कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, बोल लेंगे।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, समय का ध्यान रखिए ।

श्री अधिष्ठाता---

जी हां, ध्यान तो रख रहा हूं। लेकिन आप लोग शोर करते हैं, मैं क्या करूं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

एक पुलिस के हेड कांस्टेबिल का यह हुआ कि उस समय खयाल था कि शायद मार डाला और तब मैजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी और कहा कि सब लोग डिस्बर्स हो जायं। आप भले ही न मानें उग्रसेन जी, लेकिन आपके नेता की चिट्ठी है कि हमने घेर लिया पुलिस को और उसके बाद तब मैजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज का हुक्म दिया। लेकिन लाठी चार्ज का नतीजा यह हुआ कि वहां से लोग हटे नहीं और ९ आदमी तो आपके घायल हुए और २४ आदमी हमारी पुलिस के घायल हुए। फैक्टरी अधिकारियों की बात तो छोड़ दीजिए, वे तो अलग घायल हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

यह जो आप वक्तव्य दे रहे हैं, आपके जिलाधीश ने लिखा है कि पहले लाठी चार्ज हुआ और बाद में कांस्टेबिल घायल हुए और आप पहले घायल होने की बात कह रहे हैं, तो दोनों में कौन सच है, इसको आप कृपया बतला दें।

श्री हरगोविन्द सिंह---

इतनी बात जब हुई तब मैजिस्ट्रेट ने फायर करने का हुक्म दिया और मैं समझता हूं कि वैसी अवस्था में कोई भी वहां होता तो यही हुक्म देता कि फायर करके लोगों को हटा दें। यदि यह मंशा होती कि इनका शिकार किया जाय तो घायलों की संख्या बहुत होती। जहां तक एक औरत के घायल होने की बात कही गयी, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हैं तो उस औरत का नाम बतलाइए, हम उसके बारे में पता लगायेंगे। हमारे यहां एक औरत के बारे में सूचना यह है कि उसको एक ढेले से चोट लगी जिसकी दवा उसने फर्टिलाइजर फैक्टरी के डाक्टर से करायी उस फैक्टरी के भीतर। अगर उससे आपका मतलब हो तो मेरे पास यह सूचना है। (व्यवधान) मेरे पास यही सूचना है और लोग जो कहेंगे, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अधिष्ठाता महोदय. . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

प्रत्येक दल से एक-एक व्यक्ति बोल लें। कुंवर साहब, आप तो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। माननीय नेकराम शर्मा के नाम से भी प्रस्ताव है और उनके दल का कोई व्यक्ति बोला भी नहीं है। पहले उनको बोल लेने दें, फिर आप भी बोल लेंगे।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गृह मन्त्री के भाषण को सुन कर मुझे बड़ी निराशा हुई। एक बात उन्होंने यह कही कि विरोधी दल का कोई व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं गया। श्रीमन्, यह बड़े अफसोस की बात है कि गोरखपुर में लगातार गोली चले और यहां से गृह मन्त्री या सरकार का कोई भी व्यक्ति एक भी घटना की जांच के लिए नहीं गया। खुद नहीं जाते तो किसी को भेजते और वहां से सही रिपोर्ट लेकर आ जाते। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण मैं आपको दूंगा

कि माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा कि उनको इस बात की कोई सूचना नहीं है कि वहां किसी महिला को गोली लगी है। मैं आपको उस महिला को जहां गोली लगी है उसका चित्र दिखलाना चाहता हूं और आपका को बतलाना चाहता हूं कि यह वह महिला है जिसको गोली लगी है। आपकी आज्ञा से मैं इस चित्र को माननीय गृह मन्त्री को दे रहा हूं।

(श्री नेकराम शर्मा ने गृह मन्त्री को चित्र दिया।)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

माननीय नेकराम शर्मा जी को यह चित्र कहां से मिला है ?

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, महिला को गोली लगी और उस महिला को गोली लगी जो ४०० गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि गृह मंत्री स्वयं जाते तो तब यह वक्तव्य उनको देना चाहिये था या मुख्य मंत्री जी जातीं तो उनको वास्तविकता का पता चल जाता। यह पता चलता कि हम कह रहे हैं वह सत्य है या असत्य, मगर ऐसा नहीं हुआ।

यह कहा गया कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन तैयार किया और उस पर नियंत्रण नहीं था। ठीक हो सकता है, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि गृह मंत्री जी, आज आपका और आपकी सरकार का इस नौकरशाही के ऊपर और खासतौर से इस पुलिस के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है ? आपकी यह भावना होते हुए भी और दिल से इस बात को मानते हुए भी आपकी नीयत सही होते हुए भी आपकी बात नहीं चल पाती है। आपने स्वयं इस सदन में कई बार ऐसा गलत वक्तव्य दिया है जो आपको नौकरशाही ने दिलवाया है। बाद में क्षमायें मांगी हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिलवाये हैं, जिनको आपने स्वयं कहा है कि वे गलत या आप उत्तरों से असन्तुष्ट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने क्या उनके ऊपर कार्यवाही की जिन्होंने गलत रिपोर्ट देने की आदत बना ली है ? क्या अधिकारियों की यह बात सही है ? जो सूचना दी है वह सत्य से परे है। यह देख लीजिये कि गोली उस महिला के सीने पर लगी। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिये। अगर यह सही है तो क्या जिन्होंने आपको गलत रिपोर्ट दी, उनके ऊपर आप कोई कार्यवाही करेंगे ? कम से कम कुछ नहीं करते तो उनको सस्पेन्ड फौरन कर दें ?

श्रीमन्, यही नहीं, अफसोस की बात यह है कि गोरखपुर में एक बार नहीं दो बार नहीं ३, ३ बार गोली चल जाय और पुलिस अधिकारी को कोई सजा आज तक न मिले तो यह क्या है ? इससे उनका हौसला बढ़ेगा और अतीत में बढ़ा भी है। आपने यह कहा कि ९ आदमी घायल हुए और पुलिस ने लाठी चार्ज किया और सिपाही २४ घायल हुए हैं तो क्या सिपाही ने सिपाही को मारा ? यदि उन्होंने लाठी चार्ज किया तो ९ आदमी क्यों घायल हुए। वे गोली से घायल हुए या लाठी चार्ज से घायल हुए ? अगर पुलिस की लाठी चार्ज से घायल हुए तो कितने लोग घायल हुए ? गृह मंत्री जी यह बतलायें कि उनकी संख्या क्या है ? क्या जिलाधीश ने यह लिखा ? यह नहीं लिखा। मैं बैजनाथ सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि लाठी चार्ज से कितने आदमी घायल हुए और उनके नाम क्या हैं यह कृपया वे बतला दें ? नहीं बतलायेंगे, क्योंकि बात गलत है। निहत्थों पर गोली वर्षा करके अपने कुकृत्यों को ये अधिकारी छिपाना चाहते हैं। अगर गृह मंत्री जी स्वयं जाते तो इतनी गलत रिपोर्ट उनको नहीं मिलती। श्रीमन, अगर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और जनता पर लाठी चार्ज किया तो जो लोग घायल हुए थे उनकी सूची होनी चाहिये थी और उनके नाम होने चाहिये थे लेकिन गृह मंत्री जी भी इस बात को नहीं कहते हैं कि ९ व्यक्ति घायल हुए हैं। वह यह नहीं कहते कि लाठी चार्ज से घायल हुए हैं या गोली से घायल हुए हैं। भागती हुई जनता के ऊपर पीछे से गोली चलाई गई और उसमें गोली से घायल हुए हैं। लाठी चार्ज से एक भी घायल नहीं हुआ है। अगर मेरी सचना गलत है तो माननीय मंत्री जी इसको ठीक कर दें कि यह गलत है।

[श्री नेकराम शर्मा]

माननीय नवलकिशोर जी पुलिस के उपमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने यहां पर २, ३ सैद्धान्तिक प्रश्न उठाये, लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक का भी जवाब नहीं दिया कि हवाई फायर किया गया या टांगों में नीचे की तरफ फायर किया गया, लेकिन जो गोली लगी है वह पीछे लगी है, इसलिये यह बात असत्य है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया और विवश होकर गोली चलानी पड़ी और वह भी हवाई फायर नहीं हुआ। न आंसू गैस का प्रयोग किया गया और न पानी फेंका गया। केवल गोली चलाई गई। इसलिये मैंने कहा कि हिम्मत बढ़ती है पुलिस की और यह इसलिये बढ़ी कि वहां पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई। उनका हौसला बढ़ गया। इस वजह से जब चाहा गोली चला दी यह प्रदेश के लिये बहुत घातक है। मैं आपकी ईमानदारी में सन्देह नहीं करता। आप छोड़िये इस मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी को। मैं आपसे कहता हूं कि बात साफ हो जायगी। यदि मौके पर जाकर स्वयं जांच करें। अगर आप स्वयं सन्तुष्ट जांच के बाद हो जावें कि पुलिस का ऐक्शन ठीक था और इस बात को सदन में कह दें तो और सदस्य इसको न मानें, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन इतनी बार गोलियां चल जावें इतनी बड़ी बात हो जाय। आपके पास हवाई जहाज हैं। दिल्ली के लिये रोज हवाई जहाज से आप और मंत्री जी जाते हैं। क्या वहां नहीं जा सकते थे? लेकिन कोई मंत्री व उपमंत्री नहीं गया।

मैं विरोधी दल के नेताओं से मांग करता हूं कि छोड़ दीजिये सरकार की बात। कल असेम्बली बन्द हो जायगी। सब नेता गोरखपुर जायं दो दिन के लिये। टम्बेश्वर जी, उग्रसेन जी और सब सदस्यों से मैं मांग करता हूं विरोधी दल के नेताओं से कि एक कमेटी जाय और पूरी जांच करके सोमवार को अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे। जिससे सही बात प्रदेश की जनता के सामने आ जावे। साथ ही मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों के ऊपर गोली चली है उनको सरकार मुआवजा दे और वह उन अफसरों की तनख्वाहों से काटे जिनको आदत पड़ गयी है गोली चलाने की। आप उनको सस्पेन्ड कीजिये और अगर सस्पेन्ड करने में डरते हों तो ट्रांसफर कीजिये। जांच करने से पूर्व यह बड़ी आवश्यकता है कि जिम्मेदार अफसर हट जावें। इस समय जब कि पाकिस्तान ने हमला किया हो और प्रदेश में रोज गोलियां चलें, छात्रों पर, मजदूर और किसानों पर तो बाहर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह कहां तक उचित है? मैं विरोधी दल के नेताओं और अन्य सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यह समय नहीं है जब हम कोई प्रदर्शन करें, हम कोई चुनौती दें या बगावत की बात करें। हमारे सामने भयंकर खतरा पाकिस्तान का है। हम इस समय मिलकर निश्चय करें कि जबतक लड़ाई चलेगी, सीजफायर लाइन तो क्रास कर दी गई है, तो कोई प्रदर्शन और बगावत के नारे न दें। जब पाकिस्तान से लड़ाई साफ हो जाय तब जो चाहे रास्ता अपनावें, तयारी करें और तब मौका आयेगा सरकार को उलटने का।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि १५ राउन्ड चले। माननीय गृह मंत्री स्वयं इसका पता लगाय कि वास्तव में १५ ही चले। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एक्सट्रा कारतूस पास म हुआ करते ह और फायरिंग के बाद रिपोर्ट दे देते हैं कि इतने राउन्ड चले, चाहे चले कहीं अधिक। २२ तारीख को परचा छपा कि २४ तारीख को प्रदर्शन होगा। आपकी इंटेलिजेंस और सी० आई० डी० क्या कर रही थी? जब परचे में लिखा था कि मोरचा चलेगा तो आपको तैयारी करनी चाहिये थी १४४ लगाने की। गिरफ्तारी करनी चाहिये थी और उसके पश्चात अन्य कदम उठाते, जनता ने पुलिस को घेर लिया इसलिये गोली चलानी पड़ी, यह उत्तर गलत और पुलिस को अनुचित उत्साहित करना है। आप स्वयं अगर संतुष्ट हो जायं तो ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं होंगे। अगर खुद जाकर संतुष्ट हो जायं तो मुझे खुशी होगी। आप उनको सजा दे लेंगे। लेकिन अफसरों को बराबर कहने के बाद भी सजा नहीं दे पाते, इससे उनका हौसला बहुत बढ़ गया है। इसलिए

या तो माननीय मुख्य मंत्री जायं या गृहमंत्री जायं। जो आदमी मर गये उनके परिवारों को फौरन कम्पेंसेशन दीजिये और विरोधी दल के नेता जाकर स्वयं अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें। फिर अफसरों का कम से कम तबादिला कर दें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट पूछना चाहती हूं कि जब आज कल के प्रगतिशील युग में जब कि इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंट में यह बहुत ही महत्व दिया जा रहा है कि फांसी की सजा को हटा दिया जाय और जेल को जेल न मानकर रिफार्मेटरीज कर दिया जाय, तो इस प्रगतिशील युग में आये दिन इस प्रकार के फायरिंग के कार्य कहां तक जस्टिफाइड हैं ?

दूसरी बात मैं अपने मंत्री महोदय से पूछूंगी कि उन्होंने जैसा कि स्वयं स्वीकार किया कि पिछली बार ऐसी घटना भी हुई गोरखपुर में और ऐसी संभावना नहीं थी कि ऐसी आपत्तिजनक परिस्थिति तैयार हो जायगी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि जब यह घटना हुई तो पहले की घटना के ऊपर जज कराके या उस वास्तविक परिस्थिति की मांग के ऊपर जज करके तब फायरिंग होती है ? मैं स्पष्ट तरीके से जानना चाहूंगी कि फायरिंग को लास्ट रिजोर्ट समझते हुए जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि १४४ की धारा नहीं लगायी गयी, इस तरह से सरकार कैसे जस्टिफाइड कर सकेगी कि वह फायरिंग ठीक हुई ? और यह मानते हुए सरकार किस तरह से ऐसे अधिकारियों को बचाने का प्रयत्न कर रही है ? मैं तो अच्छी तरह से विश्वास करती हूं कि अगर सरकार को प्रशासन चलाना है तो वह इंटिग्रिटी और फर्मनेस के ऊपर चल सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो न वह सरकार खुद बच पाती है, न अधिकारी को बचा पाती है और न जनता को सुरक्षा दे सकती है। तीसरी बात मैं यह पूछना चाहती हूं कि आज यह केवल गोरखपुर का ही सवाल नहीं है। यह मुआवजे का प्रश्न सारे सूबे से संबंधित है। यह विकास का युग है जगह जगह फैक्टरियां बनायी जा रही हैं और उनके लिये जगह जगह पर जमीन अर्जन करनी होगी और उसके साथ ही मुआवजे के प्रश्न का फैसला भी करना होगा। कानपुर में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था और वहां पर किसानों को ७ पैसा प्रति गज के बजाय १२ आना प्रति गज दिया गया था। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देती हूं। इसलिये हमारे सामने यह एक बेसिक प्रश्न है जिसको हमें तय कर लेना चाहिये। चाहे वह मुआवजा पूरे कानपुर में दिया जाय या उसके एक हिस्से में दिया जाय, यह दूसरी बात है लेकिन इस प्रश्न को हमें तय करना ही है। यह इसलिये करना होगा कि प्रदेश में गोरखपुर गोलीकान्ड जैसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आनी चाहिये। जब हम कृषि से लोगों को हटाकर उद्योगों की तरफ ले जाना चाहते हैं तो १८९४ के पुराने कंपेन्सेशन क कानून को हमें बदलना होगा और उसको मार्केट रेट पर निर्धारित करना होगा।

यह हो सकता है कि एक औरत को गोली लगी। यहां औरत को और बच्चों या किसी और को गोली लगने की बात नहीं है। औरत मर गयी, वह एक तरह से अच्छा ही हुआ, अगर उसका पति मर जाता तो वह क्या करती। उसका सुहाग तो बना रहा। इस समय तो प्रश्न यह है कि गोली चलाने वाली स्थिति उस समय थी या नहीं ? जैसा कि विरोधी दल की ओर से कहा गया, जिसने गोली चलवाई उसी को इंक्वायरी के लिये रखा जा रहा है, भला वह कैसे न्याय कर सकता है ? मुझे तो कांग्रेस सरकार पर पूरा भरोसा है। वह एक न्याय प्रिय सरकार है, यह सरकार सिद्धान्तों पर बनी है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बनी है, इसने किसानों से ही बल पाया है। किसानों से वह सहानुभूति करती है। मंत्री जी इसको प्रेस्टिज का सवाल न बनायें बल्कि वे इस मान्यता पर चलें कि फाइरिंग उस स्थिति में जस्टीफाइड थी या नहीं। और अगर वे कंपेन्सेशन ऐक्ट में कुछ संशोधन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अवैद्यनाथ (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से जिस क्षेत्र में यह गोलीकान्ड हुआ है मैं उसी क्षेत्र का विधायक हूं। परसों दस बजे मुझे टेलीफोन पर यह सचना मिली कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री के गेट पर निरीह और बेगुनाह लोगों पर गोली चली जिसम दो आदमी मारे गये और कई घायल हुए, मैं तुरन्त ही जो गाड़ी मुझे पहले मिली, उसी से घटनास्थल पर वस्तुस्थिति की जानकारी के लिये चल दिया। मैंने माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुना। मुझे अफसोस है कि वहां के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को सूचना देने में गुमराह किया है। मैंने वहां पर जो दृश्य देखा है वह ऐसा था कि उसको देखकर किसी भी सहृदय व्यक्ति के आंखों में आंसू आये बिना नहीं रह सकते। यह भी बड़े अफसोस की बात है कि प्रान्त भर में माननीय गृह मंत्री जी के पास बड़े बड़े सी० आई० डी० होते हुए भी यह पता नहीं चला कि इस गोलीकान्ड में किसी स्त्री के गोली लगी या नहीं। और यदि वह जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि वहां जितने लोगों के गोली लगी है वह सरकारी अस्पताल में क्यों एडमिट नहीं हुए। जो गोली के शिकार हुए हैं वह आज भी सशस्त्र पुलिस के पहरे में बन्दी हैं और गृह मंत्री जी नोट कर लें कि जिस डाक्टर के यहां दवा हो रही है, जिसने उस औरत की दवा की है और यदि मैं इसको सिद्ध न कर सकूं तो यहां से इस्तीफा दे दूंगा कि १५–२० व्यक्ति अब भी बाहर दवा करा रहे हैं। मैं घटनास्थल पर देखकर आया हूं और मने देखा है कि लोगों के घरों में गोली लगी हैं और पीठों में गोली लगी हैं। मौके पर घरों में बुलेट्स मिली हैं, क्या गृह मंत्री जी को इसकी सूचना नहीं? इससे पहले भी कई बार गेट पर धरने दिये गये और पहले भी श्री केशव सिंह और दूसरे लीडर वहां बन्दी बनाये गये थे और कोई अप्रिय घटना वहां नहीं घटी लेकिन वहां यह सब पहले से ही प्रिअरेंज्ड था। वहां पर क्रान्ति भावना आज जागृत हो चुकी है। मैं आप को बता दूं कि वहां पर जिस दिन से खन्ना मैनेजर आया है उसने आरम्भ से ही प्रान्तीय भावना को प्रश्रय दिया है, उसने तमाम पंजाबी लोगों को वहां भरा है और निरीह मजदूरों को जिनका कोई भी सहायक नहीं है, जिनके लिये कोई बोलने वाला नहीं है, जिन्होंने केवल शान्त प्रदर्शन किया और कहा कि हम यहां पर पंजाबी राज नहीं होने देंगे उन पर गोली चलाई गई।

आज वहां पर अफसरों की १–२–३ और ४ कैटेगरीज हैं। कैटेगरी १ में १० अफसर हैं, उसमें यू० पी० का एक भी नहीं है, कैटेगरी २ में ६० अफसर हैं और उसमें भी तीन चार ही यू० पी० के हैं, बाकी सब पंजाब के और मदरास के हैं और अन्य प्रदेशों के हैं। जैसा कि गृह मंत्री जी कहते हैं कि वहां अभी इमारत बन रही है। वहां पर अनस्किल्ड लेबर में ७०० आदमी कैजुअल लेबर में लगे हैं जिसमें से आप को ताज्जुब होगा कि ५०० बाहर के हैं। ऐसे लोग वहां लगे हैं जो बाहर से परमानेन्ट सर्विस लेकर आते हैं वह वहां मौजूद हैं लेकिन जिन की जमीन ली गई है, जिनके पेट पर ठोकर मारी गई है, जिनकी रोजी रोटी छीनी गई है वह या तो नहीं रखे जाते या केजुअल लेबर में रखे जाते हैं। मंत्री जी को शायद ज्ञात नहीं है कि वहां पर डेली वेजेज पर टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर तक काम करते हैं। जो लोग सिंदरी, ट्रामवे दिल्ली और पंजाब से आये हैं वही स्थायी सर्विस लेकर आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वहां अभी तक मशीनरी नहीं आई है, मोटरें नहीं आई हैं लेकिन पंजाब से वहां ड्राइवर आये हुए हैं और ६ मास से वहां हैं। इसकी इन्क्वायरी कराई जाय, वहां के मजदूरों के सामने जीवन मरण का प्रश्न है। मैंने खुद वहां के मजदूरों की जायज मांगों को लेकर सत्याग्रह का संचालन किया जब कि उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। ४०० आदमियों के साथ मैंने सत्याग्रह वहां किया जिसमें १०० महिलायें भी थीं। (व्यवधान) वे लोग सोशलिस्टों की बिरादरी में नहीं हैं और न हिन्द सभा के प्रभाव में हैं बल्कि रोटी के लिये भूखे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनता की सेवा जो भी करेगा जनता उसका साथ देगी। मैं बता दूं कि इतवार के दिन मैंने गेट पर मीटिंग की थी और मैंने बताया कि यह सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी यह अपने झगड़े में है, आपकी बात न फर्टिलाइजर कारपोरेशन के चेयरमैन ही सुनेंगे, मैंने वहां के लोगों से कहा था

कि आपकी मांगें पूरी होंगी लेकिन उसके लिये आपको त्याग और बलिदान करना होगा। केवल एक दो हत्या से यह लड़ाई समाप्त नहीं होगी, जब तक उनके अधिकार पूरे न दिये जायेंगे जो उनकी न्यायोचित मांगे हैं, उनको नहीं माना जायगा। तब तक वहां की यह लड़ाई बन्द न होगी। वहां पर जो स्थिति है मैं उसकी पृष्ठभूमि बताऊं कि आज की स्थिति का मुख्य कारण क्या है। आज वहां पर जो फैक्ट्री बनाई जा रही है वहां के लोगों को प्रलोभन दिया गया था और उनकी जमीन ली गयी थी। माननीय मंत्री जी यह गलत कहते हैं कि मुआवजे के केवल २०,००० रुपये बाकी पड़े हुए हैं। मुआविजे का डेढ़ लाख रुपया बाकी है। कलेक्टर साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि कागजात लखनऊ गये हुए हैं। आदेश आने पर मुआवजा दिया जायगा। जो लोग वहां पर फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं वे अस्थायी नौकरी कर रहे हैं डेली वेजेज पर। उन्हें एक या सवा रुपया मिलता है और फैक्ट्री के लोग जब चाहते हैं उन्हें निकाल देते हैं। अभी हाल में २०० आदमियों को निकालने की एक योजना बनायी गयी। मेरे पास लोग आये। मैंने खन्ना को पत्र लिखा परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। जब जनता की बात वहां के अधिकारियों ने न सुनी, प्रदेशीय सरकार ने न सुनी और केन्द्रीय सरकार ने न सुनी तो जनता के सामने एक ही रास्ता रह जाता है और वह महात्मा गांधी जी द्वारा दिया हुआ अस्त्र सत्याग्रह है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई बुरा नहीं किया है।

वास्तव में गोरखपुर में गोली चलाने का जो कांड हुआ है, उसके पीछे वहां के अधिकारियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी। वहां पर डी० आई० जी०, खन्ना साहब और वहां के एस० पी० चौधरी साहब हैं। उनकी साजिश से वहां पर यह गोलीकान्ड हुआ है। वहां पर मजदूरों ने यह कहा कि हम पंजाबी राज्य नहीं चलने देंगे तो उसी का बदला लेने की यह साजिश की गयी है। इन तीनों ने मिलकर गोली चलायी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गोली चलाने के पूर्व क्या वहां पर लाउड स्पीकर्स द्वारा यह घोषित किया गया कि यह भीड़ अनियंत्रित है। वहां पर दफा १४४ भी न ही लगायी गई। मैं जानना चाहता हूं कि जब वहां पर गोली चलाई गयी क्या फर्टिलाइजर फैक्ट्री के मकान को नुक्सान पहुंचाया गया या बस तोड़ी गयी, कोई पुलिस कर्मचारी को मारा गया? तो जब ऐसा नहीं किया गया, कोई चीज डिस्ट नहीं की गयी तो क्या कारण है कि वहां पर गोली चलायी गयी? मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी कैसे कहते हैं कि वहां पर १५०० के करीब का मौब था। मैं स्वयं घटनास्थल पर गया था। मैंने सुना कि वहां पर केवल २०० या ३०० आदमी थे। वे सब लोग लौट रहे थे, उन पर गोली चलायी गयी। एक आदमी की पीठ पर गोली लगी। यही नहीं, जिस आदमी को गोली लगी उसकी पीठ में ही लगी। एक आदमी ६०० गज के फासले पर था उसके गोली लगी। पुलिस के लोगों ने इतनी भी मानवता नहीं की कि उस व्यक्ति को किसी डाक्टर के पास तक ले जाते। वह आदमी स्वयं रिक्शा पर गया। अगर उसको तुरन्त डाक्टरी एड मिल जाती तो संभव था कि बच जाता लेकिन पुलिस ने मानवता का भी व्यवहार उसके साथ नहीं किया। वह वहां से गोरखनाथ मंदिर तक गया। यह पुलिस की मानवता है।

और आगे आप कहते हैं कि वहां पर पुलिस के ५० आदमी थे। वहां पर फर्टिलाइजर फैक्ट्री के ही १८५ आदमी गार्ड थे जो एक्स-मिलिट्री के लोग हैं। इसके अलावा वहां पर ५ ट्रक और खड़ी थी। तो क्या इन ट्रकों में केवल इतने ही आदमी आते हैं? वास्तव में वहां पर गोली चलाने की पूर्व योजना थी। उन लोगों का कहना था कि अगर इनको अब दबा देते हैं तो फिर ये सर न उठा पावेंगे। उसके एक दिन पहले एक अधिकारी ने यह कहा था कि मैंने पूरी व्यवस्था कर ली है। गोरखपुर कांड की जिम्मेदारी वहां के कलेक्टर, एस०पी० और डी० आई० जी० की है। इन सबों को आप वहां से हटायें क्योंकि इनके रहते हुए हमें इनसाफ की आशा नहीं है। आपको इस घटना की सही सही ज्ञान के लिए एक जुडिशियल इन्क्वायरी बैठानी चाहिये और अगर आप नहीं बैठाते हैं तो हम यह समझेंगे कि केवल अधिकारियों की ही इसमें साजिश नहीं बल्कि सरकार भी इस शाजिस भी शामिल है।

[श्री अवैद्यनाथ]

इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां पर जुडीशियल इंक्वायरी बैठाइये तो वास्तविकता का आपको ज्ञान होगा ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह गोरखपुर गोलीकांड के सिलसिले में अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की और खास तौर से उस क्षेत्र के विधायक ने अपनी राय व्यक्त की । जहां तक गोलीकांड का सम्बन्ध है, पुलिस और भीड़ का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में मैं बाद में कहूंगा । इसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहले मुझे यह निवेदन करना, उस जिले में रहने के नाते जो मेरे मन की भावना है, जबसे फर्टीलाइजर फैक्टरी बनने की बात आई है तब से अनेक प्रकार की गुटबाजी वहां पैदा हुई । शुरू से ही वहां प्रान्तीयता का भाव घर करता गया । माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि कुछ दिन पूर्व यह बात कही गयी कि सिन्दरी से मजदूर आयेंगे और उस फर्टिलाइजर कारपोरेशन में रखे जायेंगे । सभी लोगों ने एक स्वर से माना है कि फर्टीलाइजर फैक्टरी में उन लोगों को सबसे पहले स्थान दिया जाय जिनकी जमीन ली गयी है । उसके बाद उस जिले के लोगों को और तत्पश्चात् पड़ोसी जिले के लोगों को स्थान दिया जाय जिनके इर्द-गिर्द वह फैक्ट्री निर्मित की गई है । यह कहने के लिये मैं क्षमा किया जाऊंगा कि यह भाव जनता के मन में बराबर बैठता हो गया कि यह फर्टीलाइजर फैक्ट्री केवल एक काम के लिये बन रही है कि बड़े-बड़े अफसरों को तरक्की करेगी । वहां औरों को बिठाया जायगा और जिन लोगों की जमीन ली गयी है वे या उस जिले के लोग केवल तमाशायी रहेंगे ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि गोरखपुर जिले में एक तरफ जनता के अन्दर यह स्थिति व्याप्त है, दूसरी तरफ फर्टीलाइजर फैक्ट्री के अन्दर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें भी इस समय गिरहबन्दी है और गिरहबन्दी होने का कारण यह है कि यह निश्चय नहीं हुआ कि फर्टीलाइजर फैक्टरी में क्लास वन और क्लास टू आफिसर्स कितने या और आफिसर कितने होंगे और यह निश्चय नहीं हुआ कि दरअसल कितनी पोस्टस वहां रहेंगी । आज एक आदमी भरती होता है कल उसको तरक्की मिल जाती है । जो आदमी सिन्दरी में या दूसरे कारखाने में लगे हुये हैं या दूसरे कारपोरेशन में लगे हुये हैं उनको यहां बिठा दिया जाता है । हमेशा यह कोशिश रहती है कि १०० रुपये वाले को २०० रुपये दे कर फर्टीलाइजर फैक्ट्री में बिठा दिया जाय । तो इस तरह की भावना फर्टीलाइजर फैक्टरी के अन्दर और वहां के रहने वाले लोगों के अन्दर अगर व्याप्त रहेगी तो मैं निश्चित यह समझता हूं कि इस से वहां की जनता का कल्याण नहीं होने वाला है और न प्रदेश का कल्याण होने वाला है ।

जहां तक इस गोलीकांड का ताल्लुक है गुस्सा भूखे को आयेगी, जिसकी जमीन ली गयी, जो बेघरबार किया जायगा, उसको नौकरी न मिले तो उसकी क्या हालत रहेगी । इसके अलावा डेली वेजेज की बात भी होती, उससे भी उसको वंचित किया गया तो वह कहां जायगा ? फिर यह परिस्थिति कैसे पैदा हुई ? मेरे खयाल में फर्टीलाइजर फैक्ट्री के अफसरान बहुत आसानी से ऐसा होने से रोक सकते थे । जब यह मालूम था कि फर्टीलाइजर फैक्ट्री पर्चे बाजी हो रही है, लोगों के जाय जज्बात उभाड़े जा रहे हैं और यदि यह सब सच है तो उस समय और भी काँशश रहने की जरूरत थी । जहां तक दफा १४४ की बात कही जाती है । वह मेरी समझ में नहीं आता है । अगर यह लगी होती तो भी लोग मजबूर होते क्योंकि लोग गुस्से में थे, उनकी रोजी चली गई थी और उनकी जमीन छिन गई थी । जहां तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, मेरा निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से न कराई जाय, क्योंकि लोगों में भ्रम रहेगा ।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया कि वह घटनास्थल पर नहीं गये। लेकिन बावजूद इसके कि वे वहां नहीं थे उन्होंने बड़े मजबूती के साथ बयान दिया और बताया कि इधर के लोग कहते हैं वे ठीक नहीं हैं। उनके वक्तव्य का आधार वही अधिकारी लोग हैं। यह वही अधिकारी हैं जिन्होंने बार-बार उनको धोखा दिया है। इसी सदन में पिछले २, ३ सालों में एक बार नहीं २, ३ बार उन्हें खेद प्रकट करना पड़ा है, क्षमा याचना करनी पड़ी है कि हमने गलत रिपोर्ट दी। माननीय नवल किशोर जी ने भी खेद प्रकट किया था। मेरी समझ में नहीं आता कि जो अधिकारी बार-बार उनको धोखा देते हैं फिर भी वे इतनी मजबूती से कैसे ऐसा बयान देते हैं, इससे मुझे बड़ा आश्चार्य और दुख होता है।

श्रीमन्, गोली चलने का क्रम कोई नई बात नहीं है। आये दिन गोली चला करती हैं और एक ही प्रकार से आक्रमण होता है और एक ही प्रकार का उत्तर मिलता है। वह यह कि जनता हिंसात्मक बन गई थी और पत्थर चलाये गये तो पुलिस को मजबूर हो कर गोली चलानी पड़ी। मैं वहां नहीं था इसलिये नहीं कह सकता कि कैसे गोली चली। आखिर जनता को ऐसा प्रदर्शन क्यों करना पड़ा, जनता हिंसक क्यों बन गई? क्या पुलिस की कार्यवाही हिंसात्मक नहीं है? म शब्दों के प्रयोग को ही हिंसात्मक नहीं समझता। लेकिन सरकार ने जो आश्वासन दिये हैं अगर उनको सरकार पूरा न करे तो वह भी हिंसा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जिन किसानों की जमीन ले ली और जिसके लिये आश्वासन दिया गया था कि उनको रोजी दी जायगी और उनको रोजी नहीं दी, तो क्या उन्होंने यह वायदा नहीं तोड़ा? क्या सरकार हिंसात्मक कार्यवाही के लिये जिम्मेदार नहीं है?

श्रीमन्, एक बुनियादी प्रश्न उठता है कि क्या जमीन की कीमत अदा कर देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? जिस जगह पर बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर हो। मैं समझता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। सरकार यदि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, रोजी ले सकती है लेकिन देने के साधन नहीं हैं तो इस प्रकार के प्रदर्शन होंगे और भीड़ हिंसात्मक हो जायगी। मैं हिंसा के विरोध में हूं, मेरे दाहिने वाले साथी ने कहा कि थ्री नाट थ्री होती तो न जाने क्या हो जाता? एक ने कहा साउथ वियतनाम की स्थिति हो सकती है। जब ऐसा होगा, बड़ दुर्भाग्य की बात होगी। यदि बुनियादी इंसाफ नहीं होगा, सरकार हिंसात्मक कार्यवाही करेगी तो जनता मजबूर होगी। वह अनपढ़ है उसको कोई भी उकसा सकता है और ऐसी कार्यवाही करने के लिये उत्तेजित कर सकता है तो मैं चाहता हूं कि सरकार बुनियादी इंसाफ करे और उस बुनियादी इंसाफ में एक बात यह भी है कि जहां इस प्रकार की गोली चले उसकी न्यायिक जांच होनी हो चाहिये। जब आपको इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आपके अधिकारियों ने वहां ठीक कार्य किया है तो फिर न्यायिक जांच की मांग को आप स्वीकार क्यों नहीं करते? इन शब्दों के साथ म न्यायिक जांच की मांग का समर्थन करता हूं।

(श्री चन्द्रबलीसिंह का नाम पुकारने पर)

श्री रक्षपालसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आप आज्ञा दें तो मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछ लूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय चन्द्रबली सिंह जी को बुला लिया है, वे बोल लें, उसके बाद आपको समय मिलेगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, इधर के सभी माननीय नेताओं ने यह स्पष्ट चार्ज किया है कि अधिकांश गोलियां लोगों की पीठ पर पड़ी हैं, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका स्पष्ट स्पष्टीकरण कर दें।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, इस तरह से क्या प्रश्न ही पूछने की आप इजाजत देंगे और यदि किसी को कुछ कहना होगा तो क्या वे उसे नहीं कह सकेंगे ? अच्छा होता कि प्रत्येक दल के एक-एक आदमी बोल लेते फिर आप प्रश्न पूछने की इजाजत देते ।

श्री अधिष्ठाता—

जिस तरह से दूबे जी ने प्रश्न पूछा है, उसी तरह से आपको भी यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लें, फिर सबका जवाब मंत्री जी एक साथ देंगे ।

(व्यवधान)

श्री बलवान सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोली चलाने के पहले क्या. . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बलवान सिंह जी, वैसे मैं आपको रोकता नहीं हूं लेकिन मैंने चन्द्रबली सिंह जी को बुला लिया है । पहले उनको कुछ कह लेने दें । माननीय चन्द्रबली सिंह जी, अगर आप कोई सूचना देना चाहते हैं तो दें लें ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्लोजर मूव हो गया और हमारे पार्टी के किसी आदमी को भी बोलने का मौका नहीं मिला है । मैं आपके माध्यम से अपोजीशन बैंच पर बैठने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं कि हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं और हमको इस घटना के सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर नहीं मिला है, आप इस तरह की यह गलत परम्परा डाल रहे हैं । मुझे इस बात का बड़ा ही खेद है कि प्रदेश के एक जिले में हुई घटना के सम्बन्ध में यहां विवाद हो और हमारे दल के किसी व्यक्ति को मौका न मिले ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय चन्द्रबली सिंह को बुला लिया है, उनका सवाल भी था ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, वहां एक दो मौतें नहीं बल्कि चार मौतें हुई हैं जिनके नाम हैं झबू, बसन्त, छोटे और मोती । इनके अलावा चार आदमी गायब हैं और ९ आदमी अस्पताल में हैं । इसके अलावा महन्त जी भी १८ आदमियों की दवा अलग से करा रहे हैं जो घायल हैं ।

जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, सत्याग्रह हो रहा था, श्री केशव सिंह, श्री रमाकान्त जी और श्री सुभाष गिरफ्तार हुये तो वहां की किसान जनता कहने लगी कि हमारे नेता जहां जायेंगे वहीं हम भी जायेंगे और इस तरह से वे लोग उस मोटर को घेर कर बैठ गये और कहने लगे कि हमको भी जेलखाने ले चलो । पुलिस ने बजाय जेल में ले जाने के लाठी चला कर समस्या का अन्त चाहा ।

जिस समय पुलिस ने मार कर खदेड़ा उस समय लोगों ने ईट पत्थर चला दिया। पुलिस लोग भागकर कारखाने के अन्दर छिप गए। जहां कारखाने के बाहर कारखाना सिपाहियों के पहरे के स्थान हैं वहीं से गोली छिपकर चलाई गई और जब भीड़ भागी तो भागती हुई भीड़ के ऊपर गोली चलाई गई। जितने राउन्ड भी गोली चली है वह सारी गोली उस भीड़ के ऊपर जो २००, ३०० की थी चलती तो और भी मरते। भागतों पर गोली चली, जनता से ज्यादा पी० ए० सी०, कारखाने के सिपाही और चतुर्वेदी डी० एस० पी० की देखरेख दूसरी पुलिस जो आई थी उसकी संख्या थी। उस औरत का नाम सहदेई है, यह मंत्री जी को मालूम नहीं है। मेरी मंत्री जी से मांग है कि कृपा करके आपके नेतृत्व में पुलिस आए दिन गोली न चलवावे।

यह कहना कि जनता हिंसा पर उतारू हो गई है यह कहना गलत है। मैं यह साफ कहूंगा कि जनता की तरफ से कोई भी पुलिस वाला कत्ल नहीं हुआ है। तो फिर जनता के हिंसक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं मांग करता हूं कि मंत्री न्यायिक जांच बैठाकर स्वयं इतीफा दे दें।

श्री विजयसिंह—

मंत्री जी इतना स्पष्टीकरण कर दें कि जिन लोगों की जमीन ली गई है, उनमें से कितने लोगों को उस कारखाने के अन्दर काम दिया गया है ?

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस गोलीगांड से सभी को दुख है। परन्तु जिस प्रकार से यहां पर भाषण हुए हैं और इस गोलीगांड से जैसे अन्य बातों को संबंधित किया गया है मेरी उससे घोर असहमति है। माननीय झारखंडेराय जी ने यह कहा कि जिस पुलिस अधिकारी ने गोली चलवाई उस अधिकारी के विरुद्ध बाद में कुछ नहीं किया गया। मैं यह कहूंगा कि जुडिशल इन्क्वायरी ने उस अधिकारी को निर्दोष ठहरा दिया।

श्री रक्षपालसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इस विषय पर अब वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। उधर से माननीय कल्पनाथ सिंह जी और नरसिंहनारायण पांडेय जी को सुनने के बाद और इधर से माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मैं यह समझा कि वे यह चाहते हैं कि घटनास्थल पर इन्क्वायरी कराई जाय। उनके कहने से दो नतीजे निकलते हैं। पहला नतीजा यह है कि जो घटना घटित हुई है वह घटना वहां पर जो गोली चलाने वाले लोग हैं, उनके खराब व्यवहार के कारण हुई है। वहां की जनता के साथ और वहां के किसानों के साथ अत्याचार करने के कारण वह घटना घटी है। उस कारखाने के अन्दर जो गड़बड़ी है, उसके लिए सरकार को कोई ऐसी इन्क्वायरी बैठानी चाहिए जो सही माने में उन गड़बड़ियों को दूर कर सके।

दूसरी बात यह है कि यह जो अतिरिक्त जिलाधीश की इन्क्वायरी की बात कही गई है, उसके स्थान पर जिलाधीश की इन्क्वायरी बैठानी चाहिए।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने लगभग मेरी मांग का समर्थन किया है। माननीय गृह मंत्री जी को एक सूचना देना चाहता हूं। जिलाधीश के वक्तव्य से और आपके

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

बक्तव्य में ही सैकड़ों गलतबयानी हैं। आज तक यह कह करके वक्तव्य आप देते र हैं कि जिलाधीश ने जो कह दिया वह हमने कह दिया। लेकिन जिलाधीन ने यह कभी नहीं कहा कि जनता ने पुलिस को घेर लिया। यह कभी नहीं कहा कि कांस्टेबिल पहले मारा गया। जिलाधीश ने कहा कि बाद को मारा गया। मेरी समझ में नहीं आता कि यह गलतबयानी क्यों हुई? इसकी मंत्री जी सफाई करें।

दूसरी बात यह है कि महन्त जी और दूसरे सदस्यों ने बतलाया कि और सैकड़ों लोगों को गोली लगी। तो मंत्री जी को वस्तुस्थिति का पूरा पता नहीं है। जो बात ए० डी० एम० या जिलाधीश ने कह दी उन्हीं को आपने मान लिया। उन्होंने जांच को तोड़ा-मरोड़ा है। इसलिए आप उनसे जांच लेकर न्यायिक जांच करवायें। मैं समस्त विरोधी दल की तरफ से मांग रखता हूं और इसी मांग के साथ बैठता हूं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह यह कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जितने हम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए इस घटना के संबंध में, किसी की जानकारी अपनी स्वयं की नहीं है, क्योंकि घटनास्थल पर कोई मौजूद नहीं था। इसलिए उन तथ्यों के बारे में मैं कोई दृढ़ता के साथ जिस दृढ़ता के साथ माननीय सदस्य लोग कहते हैं कि यह बात सत्य है, मैं नहीं कह सकता। इसलिए उसकी इन्क्वायरी हो रही है।

श्री उग्रसेन—

हम लोगों की मांग है न्यायिक जांच की। इसके बारे में बताइए, लम्बे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

पता नहीं यह गलतफहमी सदस्यों को कहां से हो गयी है कि जिस मैजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का हुक्म दिया, वही जांच कर रहा है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

गोलीकांड होते समय तक वह जिलाधीश रहे हैं और उस साजिश में यह मेवाराम शामिल रहे हैं। मंत्री जी का यह कहना कि जिलाधीश ने उन्हें नियुक्त किया है ठीक नहीं है। मेवाराम गोली चलवाकर चार्ज दिए हैं। इनसे जांच न कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता—

चन्द्रबली सिंह जी, बैठ जाइए।

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न है कि दफा १४४ क्यों नहीं लगायी गयी पहले। मैं पहले ही वक्तव्य में स्पष्ट कर चुका हूं कि....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, यह एक प्रमुख प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

न्यायिक जांच पर ही कहिए, यह जनता की मांग है।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी बात सुन ली गई। आदरणीय मंत्री जी को जवाब देना है, यह मांग है कि न्यायिक जांच कराई जाय, इस विषय में आपको कुछ कहना है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस के कानून में जहां तक गोली चली, उसकी एक जांच होनी है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक मैजिस्ट्रेट को वहां जांच स्थापित कर दी है और वह जांच हो रही है। (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हम इस रुख का विरोध करते हैं। न्यायिक जांच नहीं करायी जा रही है, इसलिए हम सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अगर न्यायिक जांच नहीं होती है तो जो हिंसा होती है, उसकी सारी जिम्मेदारी गृहमंत्री पर है। अगर उनका यही रवैया रहा तो वह तो जायेंगे ही, साथ में सुचेता जी भी जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, लोग वाक आउट कर रहे हैं। आप जरा बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—

हम भी इस सरकार के सामने क्या बैठें। हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री झारखंडेराय—

अधिष्ठाता महोदय, आपने जुडीशियल इन्क्वायरी वाली बात कही कि मंत्री जी उसके बारे में बतायें। क्योंकि इस समय माननीया मुख्य मंत्री भी यहां पर बैठी हुई हैं इसलिए वे इस बात को बतायें....

श्री अधिष्ठाता—

अब हम लोग उठते हैं और ११ बजे फिर कल मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२६ अगस्त, १९६५।

नत्थी "क"

परिशिष्ट "क"

[देखिये नियम ३९ (२) के ता० प्र० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर।]

क्रमांक	ऋणी का नाम	बकाया धनराशि मूलधन	तथा	ब्याज
		रु०		
१—श्री	हमीदउल्लाह	१,०००	"	"
२—श्री	मोहम्मद केशर खां	३,०००	"	"
३—श्री	मोहम्मद वेग ..	१,०००	"	"
४—श्री	महराज सिंह	५००	"	"
५—श्री	भजन लाल ..	५००	"	"
६—श्री	झब्बू लाल ..	१,०००	"	"
७—श्री	करार हुसैन ..	७७५	"	"
८—श्री	कोमिल राम ..	७००	"	"
९—श्री	माधुरी सरन	८७५	"	"
१०—श्री	प्रमोद चरन ..	१,५७५	"	"
११—श्री	राम भरोसे लाल	१,५००	"	"
१२—श्री	हीरालाल ..	२,२५०	"	"
१३—श्री	कन्हैयालाल ..	२,४००	"	"
१४—श्री	मोहम्मद ईशाक	१,५००	"	"
१५—श्री	बदलू ..	३७५	"	"
१६—श्री	गौरी शंकर ..	३७५	"	"
१७—श्री	राज नारायण दुबे	३,०००	"	"
१८—श्री	कुंज विहारी ..	१,५००	"	"
१९—श्री	कैलाश चन्द्र गुप्त	३,०००	"	"
	योग ..	२६,८२५	"	"

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ख"

(देखिये ता० प्र० सं० ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर।)

टीन की कीमत का विवरण, जो अप्रैल, सितम्बर ६४ तथा अक्तूबर, ६४ मार्च ६५ में लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित की गई।

क्रम-सं०	डिपो के नाम	कीमत फी मै० टन जो अप्रैल, सितम्बर, १९६४ में रही		कीमत मै० टन जो अक्तूबर, १९६४ मार्च ६५ में रही।	
		रु०	न० पै०	रु०	न० पै०
१	कानपुर डिपो	१५,७९६	७३	२०,१००	७५
		२०,१००	७५		
		२२,४९५	०९		
२	मेरठ डिपो	१५,७९६	३७	२२,५३८	३९
		२२५,३८	३९	२१,४५०	२५
		२२,६९७	३३		
३	आगरा डिपो	२२,३१५	६१	..	..
४	नैनी डिपो	..	..	२२,४६२	९८
५	वाराणसी	..	..	२२,४४८	६८

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी "ग"

(देखिये ता० प्र० ९ और १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८—३०९ पर ।)

सूची "क"

वर्ष	कुंओं की संख्या जिन पर कार्य चल रहा है	निर्मित कुंओं की संख्या
१९६२–६३	२	पूर्ण नहीं है।
१९६३–६४	शून्य	शून्य
१९६४–६५	१	१–(पूर्ण है)

सूची "ख"

वर्ष	धनराशि
	रु०
१९६२–६३	२,६००.००
१९६३–६४	१,५००.००
१९६४–६५	१,०००.००

विधान पुस्तकालय पटना

नत्थी "घ"

(देखिये ता० प्र० २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१७ पर।)

तालिका

थाना ललिया, जिला गोंडा के अन्तर्गत जब श्री अब्दुल समद थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे, पिस्तौल तथा बन्दूक के लाइसेंस के निमित्त प्राप्त प्रार्थना-पत्रों तथा उनके निस्तारण के संबंध में सूचना

नाम प्रार्थी	किस्म असलहा जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया	स्वीकृत	अस्वीकृत
१—श्री जगन्नाथ प्रसाद, पुत्र सोमन पांडेय, सा० मथुरा बाजार	पिस्तौल	..	अस्वीकृत
२—श्री शिवबालक प्रसाद पुत्र गुरचरन लाल सा० चौधरी डीह	बन्दूक	स्वीकृत	
३—श्री मोहम्मद इसहाक पुत्र अशरफ, सा० प्रानपुर ..	"	..	"
४—श्री खलील खां पुत्र युसुफ खां, सा० कैली ..	"	..	"
५—श्री राम दास पुत्र भगवतप्रसाद, सा० भटपुरवा ..	"	"	..
६—श्री खन्नन पुत्र अमजद सा० मुरतिहवा ..	"	"	..
७—श्री बशीर खां पुत्र जंगबहापुर खां, सा० मुरतिहवा ..	"	..	"
८—श्री नाजिम अली खां पुत्र—निवासी अम्बर नगर ..	"	..	"
९—श्री जमील खां पुत्र अली उल्लाह खां सा० दलपतपुर	"	"	..
१०—श्री लाल मुहम्मद पुत्र तैयब खां सा० अमहवा ..	"	"	..
११—श्री मुहम्मद नजीर पुत्र अमानतखां सा० बीरपुर ..	"	"	..
१२—श्री अब्दुल हसनपुर रौनक अली सा० मथुरा बाजार	"	"	..
१३—श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र संतराम सा० जुरावर डीह ..	"	"	..
१४—श्री अलखराम पुत्र त्रिवेनी प्रसाद, सा० अहलादनगर	"	"	..
१५—श्री बच्चू पुत्र दरयांव, सा० चौधरी डीह ..	"	..	"
१६—श्री उमा नाथ पुत्र अम्बर दास, सा० चौधरी डीह ..	"	"	..
१७—श्री संतराज सिंह पुत्र हनुमन्त, सा० सिवानगर ..	"	"	..
		११	६

नत्थी "ङ"

(देखिये ता० प्र० २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१८ पर।)

नाम तथा पद	विभाग	कब से	कारण
श्री आर० एन० सिंह, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक अफसर	नियोजन (क)	१३-२-१९६२	आदेश संख्या ४११/२-क-७२-१९५८ दिनांक १५-१-६२ के अनुसार इनका स्थानान्तरण पांच वर्ष बाद होता है।
श्री बांके बिहारी लाल, कोषाधिकारी ..	वित्त (सेवायें)	२०-७-१९६२	यह १६-७-६६ को रिटायर होने वाले हैं। इसलिये इनका स्थानान्तरण करना उचित नहीं समझा गया।
श्री ईश्वर दयाल, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, बुलन्दशहर।	सामुदायिक विकास (ख)	६-५-१९६२	शासकीय आदेश संख्या १४०६ / ३५-सी-२४९-६०, दिनांक २२ मार्च, १९६१ एवं संख्या ३४०४/३८-ए, दिनांक ९ नवम्बर, १९६४ के अनुसार प्रशिक्षण पांच वर्ष तक प्रशिक्षण केन्द्र पर रक्खे जा सकते हैं।
श्री राज बहादुर भटनागर प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, बुलन्दशहर।	,,	२६-४-१९६१	
श्री वी० के० सक्सेना, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि), बुलन्दशहर।	,,	१६-५-१९६१	
श्री बलबीर सिंह वर्मा, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, लखीटी।	,,	८-६-१९६२	(श्री बलवीर सिंह वर्मा को क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी हो चुका है)।
श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, सहायक अभियन्ता द्वितीय उप-खण्ड, नलकूप खण्ड।	सिंचाई (क)	२२-५-१९६२	इनका स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के पत्र संख्या ७८०९ ई० ०१ / १७१ मिस-६५, दिनांक १८ जून, १९६५ के द्वारा कर दिया गया था श्री जैन ने अपने २३ जून, १९६५ वाले पत्र में यह प्रार्थना की कि

नाम तथा पद	विभाग	कब से	कारण
			उनकी पत्नी के बीमार होने के कारण उनका तबादला ४ माह के लिए स्थगित कर दिया जावे। उसको स्वीकार करते हुए उसका तबादला स्थगित कर दिया गया है।
श्री गोपाल टंडन, डिजाइन एक्सटेंशन अफसर (पौटरी), खुरजा।	उद्योग (क)	१-१२-१९६१	चूंकि इनका पद पौटरी विकास केंद्र खुरजा से ही संबंधित है अतः इनको स्थानान्तर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
श्री एम० सी० जोशी, डी० पी० ओ०।	नियुक्ति (क)	१-७-१९६१	प्रशासकीय कारणों से।
श्री सी० बी० एस० गौर, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर।	,,	१-७-१९६२	
श्री एम० एम० कहूसी, प्रधानाध्यापक, राजकीय दीक्षा विद्यालय, सिकन्दराबाद।	शिक्षा (ख-२)	१४-७-१९६२	राजाज्ञा संख्या ख-३४८७/१५—२३ (७)-५७, दिनांक २० सितम्बर, १९५८ में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए शासन ने यह छूट दे रखी है कि उनका स्थानान्तरण चार वर्ष में किया जाय। उसी राजाज्ञा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिला अधिकारियों पर स्थानान्तरण का तीन साल का नियम कड़ाई से लागू न किया जाय। अतः श्रीमती सावित्री वर्मा के स्थानान्तरण का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता। श्री एम० एम० कहूसी को तीन वर्ष अभी पिछले जुलाई में पूरे हुए हैं और उनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।
श्रीमती सावित्री वर्मा, प्रधानाचार्या, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भुवन बहादुरनगर।	,,	९-२-१९६२	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम तथा पता	विभाग	कब से	कारण
डा० के० डी० जैन, सिविल सर्जन।	चिकित्सा (क–२)	१३–७–१९६२	सिविल सर्जनों के वार्षिक तबादले के समय डा० जैन को ३ वष पूरे नहीं हुए थे।
डा० एस० पी० के० शर्मा, (१) चिकित्साधिकारी, टी० बी० क्लिनिक।	,,	२६–६–१९६५	वे टी० बी० में विशेष योग्यता प्राप्त किए हैं अतएव प्रशासकीय आवश्यकताओं के आधार पर उनका स्थानान्तरण उसी जिले के टी० बी० क्लिनिक में किया गया है।
(२) उप चिकित्सक, जिला अस्पताल।		१६–७–१९६१	
डा० डी० एस० शुक्ला, चिकित्साधिकारी, दादरी चिकित्सालय	,,	५–८–१९६२	चिकित्सकों के वार्षिक तबादले के समय डा० शुक्ला को ३ वर्ष पूरे नहीं हुए थे।
डा० पी० एस० सेठी, चिकित्साधिकारी, मौं बहादुर चिकित्सालय।	,,	३–९–१९६०	प्रशासकीय आवश्यकताओं के आधार पर उनका तबादला नहीं किया गया
डा० आर० एन० चौधरी, चिकित्साधिकारी, शिकारपुर चिकित्सालय।	,,	२५–६–१९६२	,,
डा० आर० एस० गुप्त, (१) चिकित्साधिकारी, गुलौटी, चिकित्सालय।	,,	१६–६–१५६४	,,
(२) सयाना चिकित्सालय	,,	१०–८–१९५९ से १२–६–१९६४ तक।	,,
श्री सूरज भान, प्रिंसिपल, सेठ गंगासागर जाटिया पालिटेकनिक।	टेक्निकल एजूकेशन	१–८–१९६०	संस्था तथा विद्यार्थियों के हित में।
श्री ए० के० मुकर्जी, वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट सेठ गंगा सागर जाटिया पालिटेक्निक।	,,	१९–७–१९६०	,,

नत्थी "च"

(देखिये ता० प्र० ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर।)

(१) स्टेट उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(२) श्री लक्ष्मी नारायण, सर्किल इन्स्पेक्टर, थाना कलेक्टरगंज, शहर कानपुर।

(३) राम सूरत सिंह, सब-इन्स्पेक्टर, पुसिल थाना हथगांव, परगना हथगांव, जिला फतेहपुर।

(४) आशा राम नरवरिया, सब-इन्स्पेक्टर, पुलिस थाना मसानगर, जिला कानपुर।

(५) हसन उद्दीन, हे० कां०, पी० पी० आफिस, फतेहपुर।

(६) रनजीत सिंह, हे० कां०, थाना कल्यानपुर, परगना कुटिया मुनीर, जिला फतेहपुर।

(७) श्याम सरन
(८) जगदीश नारायन, } महारथी, शहर, फतेहपुर।

(९) राम नरायन सिंह, मुहर्रिर, मालखाना, सदर फतेहपुर।

(१०) मुहम्मद अब्बास, कोर्ट मोहर्रिर, जुडीशियल आफिसर, फतेहपुर।

(११) शमशुद्दीन, कांस्टेबिल, नं० २३, थाना कोतवाली, कलक्टरगंज, कानपुर।

(१२) बिन्ध्याचल, कांस्टेबिल, असिस्टेंट मालखाना, मोहर्रिर, कोतवाली, फतेहपुर।

(१३) पी० सी० सिंहल, कोर्ट इन्स्पेक्टर, इन्चार्ज मालखाना, पी० टी० सी०, मुरादाबाद।

(१४) गया प्रसाद, कोर्ट इन्स्पेक्टर, इन्चार्ज, मालखाना, प्रतापगढ़।

(१५) बृज मोहन शर्मा, पी० पी० कानपुर।

नत्थी "छ"

(देखिये ता० प्र० ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर)

बाराबंकी जिले में थानानुसार वित्तीय वर्ष १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में स्वीकृत किये गये असलहाकों के लाइसेंस की सूची

क्रम सं०	नाम थाना		१९६३–६४ लाइसेंस बन्दूक	१९६३–६४ लाइसेंस रिवाल्वर	१९६३–६४ लाइसेंस रायफल	१९६४–६५ लाइसेंस बन्दूक	१९६४–६५ लाइसेंस रिवाल्वर	१९६४–६५ लाइसेंस रायफल
१	कोतवाली	..	६५	६	३	६९	४	५
२	सफदरगंज	..	६९	२	..	८६	२	१
३	कोठी	..	६३	१	..	१०४	२	..
४	कुर्सी	..	२२	..	१	७४	१	१
५	रामसनेहीघाट	..	२९	४	२	५४	१	१
६	मेलेसर	..	४२	१	१	५०	..	१
७	मवई	..	३२	२	..	२९	१	..
८	टिकैतनगर	..	३७	२	२	६५	..	..
९	फतेहपुर	..	५०	३	३	२१९	२	१
१०	मोहम्मदपुर	..	३४	२	..	४९	१	..
११	राम नगर	..	५९	५	२	८४	३	३
१२	लोनी कटरा	..	१५	१	..	४७	..	..
१३	सुबेहा	..	१०	..	..	४१	२	..
	कुल योग	..	५२७	२९	१४	९७१	१९	१३

उपरोक्त के अतिरिक्त राजकीय कर्मचारियों को भी लाइसेंस दिये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

	१९६३–६४ बन्दूक	१९६३–६४ रिवाल्वर	१९६३–६४ रायफल	१९६४–६५ बन्दूक	१९६४–६५ रिवाल्वर	१९६४–६५ रायफल
..	३१	–	–	३२	१	–

नत्थी "ज"

(देखिये ता० प्र० ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर)

तालिका "क"

क्रम-सं०	चीनी मिल का नाम			पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (हजार मैट्रिक टन)
१	परताबपुर	..	..	१५.४२	१४.९७
२	बैतालपुर	..	..	१३.५०	१२.६१
३	गौरी बाजार	..	..	८.९२	८.६८
४	देवरिया	..	..	१२.६६	१२.१३
५	कप्तानगंज	..	..	१८.३८	१७.४६
४	खड्ठा	..	..	११.०३	१०.०३
७	छितौनी	..	..	१३.४०	१२.८४
८	लक्ष्मीगंज	..	..	१२.७८	११.८४
९	रामकोला (पी०)		..	२६.९९	२७.६९
१०	रामकोला (के०)	..	..	१२.०६	१२.०४
११	पडरौना	..	..	१८.३७	१७.५३
१२	कठकुइयां	..	..	१३.२०	१२.२७
१३	सिवराही	..	..	२०.२५	१८.६९
१४	भटनी	..	..	९.५४	९.१९
	योग	..	..	२०६.५०	१९७.९७

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'झ'

(देखिये ता० प्र० ३८ और ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर)

जिला शाहजहांपुर के जिन व्यक्तियों को १–२–६५ से १०–६–६५ तक फायर आर्म्स के लाइसेंस बिना पुलिस के रिपोर्ट दिये गये उनकी सूची

क्रम सं०	नाम व पता जिनको लाइसेंस दिया गया	शस्त्र का विवरण
१	श्री राम लाल सक्सेना, कलेक्शन अमीन, मोहल्ला मोहम्मद हदफ, सदर तहसील ।	एक नाली कारतूसी बन्दूक
२	श्री गोविन्द राम जाटव, अपर डिवीजन क्लर्क, क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर ।	दुनाली कारतूसी बन्दूक
३	श्री राम औतार, कलेक्शन अमीन, ग्राम सेरामऊ दक्षिण सदर तहसील ।	एक नाली बन्दूक
४	श्री राम नाथ अमीन, पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद, कलेक्शन अमीन, सदर तहसील ।	,, ,,
५	श्री चन्दन सिंह, पुत्र श्री नन्द राम सिंह, चकबन्दी कर्ता, स० च० अधिकारी, खेड़ा बझेड़ा ।	रायफल
६	श्री अजीजउल्ला, दफतरी, पुत्र श्री विलायत सिविल जजी, शाहजहांपुर ।	एक नाली बन्दूक
७	श्री सन्त कुमार अवस्थी, पुत्र श्री भगवान दीन अवस्थी, असिस्टेन्ट कन्सालिडेटर, तिलहर ।	दुनाली बन्दूक
८	श्री एस० एम० ए० खुसरी, मुन्सिफ शाहजहांपुर ..	दुनाली बन्दूक
९	श्री तिलकराम, पुत्र श्री शिव चरन लाल, मोहल्ला एमन, जलालनगर, अर्दली सिविल तथा सेशन जजी ।	एक नाली बन्दूक
१०	श्री झब्बू लाल, पुत्र पाती राम, पंचायत मंत्री, ब्लाक जलालाबाद ।	एक नाली बन्दूक
११	श्री पूरन लाल पुत्र श्री प्रेम राम, पंचायत मंत्री, क्लर्क, ब्लाक जलालाबाद ।	,, ,,
१२	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम सहाय, पंचायत मंत्री, ब्लाक जलालाबाद ।	,, ,,
१३	श्री महेन्द्र सिंह, पुत्र श्री लक्खी राम, ए० सी० ओ०, कुन्डरा ।	रिवाल्वर
१४	श्री खयाली राम, पुत्र राम दयाल पतरौल, चांदापुर ..	एक नाली बन्दूक
१५	श्री मनीराम बाजपेयी, पुत्र श्री नत्थू लाल टेलर, डी० फैक्टरी, क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर ।	दुनाली कारतूसी बन्दूक
१६	श्री हरद्वारी लाल, पुत्र श्री गुलजारी लाल, मोहल्ला हुसेनपुरा ए० आर० के०, जजेज कोर्ट ।	एक नाली कारतूसी बन्दूक
१७	श्री श्रीराम, पुत्र श्री राम लाल, ग्राम भिलावां, ए० डब्लू० बी० एन० पुवायां ।	,, ,,

क्रम सं०	नाम व पता जिनको लाइसेंस दिया गया	शस्त्र का विवरण
१८	श्री इकराम हुसेन, पुत्र श्री अफीक हुसेन, कम्पाउन्डर, जिला अस्पताल ।	दुनाली टोपीदार बन्दूक
१९	श्री सत्य प्रकाश शुक्ल, पुत्र श्री छेदा लाल कैशियर, क्लर्क, भावल खेड़ा ।	,, ,,
२०	श्री प्रीतम सिंह नेगी, पुत्र कुन्दन सिंह, आपत्तिकरण अधिकारी, जलालाबाद ।	,, ,,
२१	श्री ए० बी० एल० अग्निहोत्री, नायब तहसीलदार, पुवांया ।	रिवाल्वर
२२	श्री राम भरोसे लाल शर्मा, पुत्र श्री कढ़ेरमल, रेक्टेन्गुलर आफिस, जलालाबाद ।	एक नाली टोपीदार बन्दूक
२३	श्री मसरूर अली, पुत्र श्री मुश्ताक अली मुहम्मद जई, मुन्सरिम सिविल जजी, शाहजहांपुर ।	एक नाली टोपीदार बन्दूक
२४	श्री राम पाल सिंह पुत्र श्री बृजपाल सिंह लेखपाल, अख्तरपुर बठोरा ।	एक नाली कारतूसी
२५	श्री जुल्फिकार खां, पुत्र श्री बलीजिया खां कटरा, टर्नर, एन० आर० रेलवे कर्मचारी ।	,, ,,
२६	श्री राम पाल सिंह, पुत्र श्री पोहम सिंह, संग्रह अमीन, जलालाबाद ।	एक नाली कारतूसी
२७	श्री इन्द्र पाल सिंह, पुत्र श्री राम गुरैया, पतरौल ..	,, ,,
२८	श्री सिया राम, पुत्र बुद्ध सेन, सहायक मास्टर, कटरा ..	,, ,,
२९	श्री राज नारायन त्रिपाठी, पुत्र श्री रामजश मंत्री क्षेत्रीय सहकारी समिति ।	एक नाली टोपीदार
३०	श्री राम भजन, पुत्र श्री कन्धई लाल कलेक्शन चपरासी, पुवांया ।	एक नाली कारतूसी
३१	श्री मकसूद अली, पुत्र श्री महफूज अली, स्टेनो, सेल्स टैक्स ।	,, ,,
३२	श्री राम मिलन सिंह, पुत्र श्री भुजा सिंह सिकन्दरपुर, लेखपाल, तहसील जलालाबाद ।	,, ,,
३३	श्री राम चन्द्र, पुत्र श्री गनेश राम, लेखपाल, तहसील जलालाबाद ।	दुनाली करतूसी
३४	श्री सुरेश चन्द्र शुक्ल, पुत्र श्री शिव रतनलाल, कोषाध्यक्ष रोडवेज शाहजहांपुर ।	रायफल
३५	श्री सैयद रजी उल्ला संग्रह, अमीन पुत्र श्री सैयद नबी-उल्ला, तहसील सदर ।	एक नाली करतूसी
३६	श्री योगेन्द्र पाल सिंह, फोरमैन, यू० पी० रोडवेज शाहजहांपुर ।	रिवाल्वर
३७	श्री आत्म प्रकाश शुक्ल, स्टोरकीपर व कैशियर, विकास क्षेत्र भावल खेड़ा ।	दुनाली टोपीदार
३८	श्री हरदत्त शर्मा, पुत्र श्री राम शंकर कलेक्शन अमीन, तहसील सदर ।	एक नाली

क्रम सं०	नाम व पता जिसको लाइसेंस दिया गया	शस्त्र का विवरण
३९	श्री राम गोपाल गुप्ता, पुत्र श्री राम दयाल एक्जीक्यूटिव आफिसर, म्यूनिसिपल बोर्ड तिलहर।	रिवाल्वर / पिस्टल
४०	श्री घनश्याम स्वरूप भटनागर, पुत्र श्री बृजनन्दन स्वरूप मारकेटिंग इंस्पेक्टर, तिलहर ।	,, ,,
४१	श्री चन्द्रिका सिंह क्लर्क कुर्क अमीन, पुवांया ..	एक नाली टोपीदार
४२	श्री जगेश्वर दयाल, पुत्र श्री लालमन, ड्राइवर ..	दुनाली टोपीदार
४३	श्री अब्दुल कदीर, पुत्र श्री अब्दुल करीम ड्राइवर कचेहरी ।	,, ,,
४४	श्री राम लड़ैते, पुत्र श्री राम स्वरूप कम्पनी कमान्डर कांट ।	रिवाल्वर / पिस्टल
४५	श्री हरिशंकर निगम, पुत्र श्री काशी राम एकसाइज इंस्पेक्टर ।	रायफल
४६	श्री गया प्रसाद लेखपाल, कोला तहसील जलालाबाद	दुनाली करतूसी
४७	श्री जोधा पुत्र श्री दिब्बा खिन्नी बाग बंगला क्लेक्टर साहब ।	एक नाली टोपीदार
४८	श्री अलगू राम, सिटी मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ..	दुनाली कारतूसी
४९	श्री वीरेन्द्र सिंह रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस ..	,, ,,
५०	श्री आर० के० श्रीवास्तव, डिप्टी आर० एम० ओ० शाहजहांपुर ।	रिवाल्वर / पिस्टल
५१	श्री देवी चरन मिश्र, पुत्र श्री माधोराम आफिस असिस्टेंट ग्रेड २ रोडवेज, शाहजहांपुर ।	रायफल
५२	श्री अर्जुन लाल, पुत्र श्री सुमेर दास गुप्त, लीडर प्रान्तीय रक्षा दल ।	एक नाली कारतूसी
५३	श्रीमती कृष्ण भागी विधवा, श्री राम प्रकाश भागी, मोहल्ला कटिया टोला।	दुनाली करतूसी बन्दूक
५४	श्री बुद्ध सेन, पुत्र श्री राम स्वरूप निवासी कस्बा तिलहर	रिवाल्वर, पिस्टल
५५	श्री विनोद नाथ, पुत्र दामोदर दास कपूर, था० कोतवाली	रिवाल्वर
५६	श्री कृष्ण सहाय वैद्य, पुत्र श्री बल्देव सहाय, सदर बाजार ।	एक नाली बन्दूक
५७	श्री राम स्वरूप, पुत्र श्री हुलासी राम, मोहल्ला भाटन टोला, शाहजहांपुर ।	रिवाल्वर / पिस्टल
५८	श्री थम्मन लाल, पुत्र जालिम राम पलिया ..	एक नाली कारतूसी
५९	श्री कृष्ण गोविन्द मिश्र, पुत्र श्री राधेश्याम वैद्य, विजयपुर रेती ।	दुनाली कारतूसी
६०	श्रीमती राम लली विधवा, श्री बच्चू लाल वैश्य, फतेहपुर रेती।	दुनाली करतूसी बन्दूक

क्रम सं०	नाम व पता जिसको लाइसेंस दिया गया	शस्त्र का विवरण
६१	सरदार कुन्दन सिंह, पुत्र गन्डार सिंह, ग्राम गलरहिया, थाना बन्डा ।	एक नाली करतूसी
६२	श्री मथुरा प्रसाद रस्तोगी, पुत्र श्री सीताराम, था० तिलहर ।	रिवाल्वर
६३	श्री बिशन दत्त त्रिपाठी, पुत्र श्री सुन्दर लाल त्रिपाठी, था० सदर बाजार ।	रिवाल्वर / पिस्टल
६४	श्री बटकेश्वर दत्त त्रिपाठी, पुत्र श्री झब्बू लाल, ग्राम भावरखेड़ा, था० सदर बाजार ।	रायफल
६५	श्री सीताराम, पुत्र श्री बिहारी उदियापुर, था० सेहरामऊ दक्षिण ।	दुनाली टोपीदार ।
६६	श्री हुकुम सिंह, पुत्र जवर सिंह तिहरा, थाना सेहरामऊ दक्षिणी ।	रायफल
६७	श्री भूपेन्द्र विक्रम सिंह, पुत्र श्री रघुराज सिंह, ग्राम खेड़ारठ, थाना जैतीपुर ।	रिवाल्वर / पिस्टल
६८	श्री हरीश चन्द सक्सेना, पुत्र श्री राम बहादुर लाल, एडवोकेट, मोहल्ला बहादुरगंज, थाना सदरबाजार ।	दुनाली कारतूसी
६९	श्री कमल किशोर सेठ, पुत्र श्री जुगुल किशोर सेठ, मोहल्ला तलैया घूरन, थाना कोतवाली ।	रिवाल्वर / पिस्टल
७०	श्री सुभाष चन्द्र सक्सेना, पुत्र श्री कृष्ण सहाय वैद्य, कटिया टोला, थाना सदरबाजार ।	रायफल
७१	श्री महेश चन्द्र, पुत्र श्री राधेश्याम, मोहल्ला बिरियागंज, थाना तिलहर ।	रिवाल्वर / पिस्टल
७२	श्री दामोदर दास, पुत्र श्री बाबू राम, तिलहर ..	,, ,,
७३	श्री साधु बद्री प्रसाद, पुत्र श्री साधू श्याम लाल, तिलहर	,, ,,
७४	श्री जदुनाथ सिंह, पुत्र श्री लल्लू सिंह जलालाबाद ..	रिवाल्वर / पिस्टल
७५	श्री अब्दुल वहीद खां, पुत्र श्री अब्दुल वहद खां, मोहल्ला हुन्डाल खेल, थाना कोतवाली ।	रायफल २२ बोर
७६	श्री मैपाल सिंह, पुत्र श्री मोती सिंह निवासी जठौरा, थाना निडौही ।	रायफल
७७	श्री प्यारे लाल, पुत्र श्री प्रीतम किसान नि० चांदापुर, थाना सेरामऊ दक्षिणी ।	एक नाली कारतूसी

नत्थी 'ञ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर।)

पत्र संख्या ९४५/२८६ — ७३, विधान भवन, लखनऊ
१८ जून, १९६५

सेवा में

माननीय हरिजन कल्याण मंत्री,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रिय महोदय,

राजकीय अन्ध विद्यालय गोरखपुर के भूतपूर्व प्रिंसपल की ज्योति स्वरूप अग्रवाल ने गस्त तौर पर लगभग ६०,००० रु० गबन किया है। उनके प्रशासन काल में वहां का खून हुआ है। इतना बड़ा जालिम उक्त विद्यालय का प्रमुख बनाया गया था। मुझे आश्चर्य है। अतः निवेदन है कि उनके विरुद्ध जांच कर उन्हें सख्त सजा दोषी पाए जाने पर दिया जाय।

आपका
उग्रसेन,
एम० एल० ए०,

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ट"

(देखिए तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर)

क्रम सं०	प्रार्थी का नाम तथा पता	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत धनराशि	भुगतान किया गया धन	शेष धन
			रु०		रु०
१	श्री बैजनाथ, ग्राम अइलिया	२३-९-६२	५००		५००
२	श्री बंशी हरिजन, ग्राम परेवा	२३-१२-६२	५००		५००
३	श्री फेरु हरिजन, ग्राम जिमियाब ।	"	६५०		६५०
४	श्री बेचू चमार, ग्राम शिवपुर	"	२३५		२३५
५	श्री रामेश्वर, ग्राम कोहलवां	"	५००		५००
६	श्रीमती भगवन्ता, बेवा देवदीहल, ग्राम कंडुआ ।	"	५००	शून्य	५००
७	श्री लहुरी हरिजन, ग्राम कुदरहा	"	२९०		२९०
८	श्री मंगेरु ,ग्राम चकिया	"	५००		५००
९	श्री भगेलू हरिजन, ग्राम गायघाट ।	"	५००		५००
१०	श्री विदेशी हरिजन, ग्राम इगरगढ़ ।	"	५००		५००
११	श्री जियाऊ हरिजन, ग्राम छरदही ।	"	५००		५००
१२	श्री भरोसे, ग्राम वगही उर्फ बेनीपुर ।	"	५००		५००
१३	श्री राम प्रसाद, ग्राम मुरादपुर	"	५००		५००
	योग		६,१७५		६,१७५

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११४ एल० ए०—१९६५—८६२।